लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA
DEBATES

[तीसरा सत्र]

Third Session

[खंड 10 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. X contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/Contents

अंक 13, गुरुवार, 30 नवम्बर, 1967/9 अग्रहायण, 1889 (शक)

No. 13—Thursday, November 30, 1967/Agrahayana 9, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
361.	आयकर की बकाया राशि Income-Tax Arrears	1765-1768
362.	पैकेज कार्यक्रम Package Programme	1768-1769
363.	वित्तीय संस्थाओं का पुनर्गठन Reorganisation of Financial Institutions	1769
364.	कलकत्ता में पटसन के जहाजी व्यापारियों के कार्यालयों पर छापा Raid on Offices of Jute Shippers in Calcutta	1770-1771
365.	उर्वरक कारखाने Fertilizer Factories	.. 1771-1775
366.	अशोक होटल के कर्मचारियों के लिए बोनस Bonus for Employees of Ashoka Hotel	.. 1775-1777
367.	दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के कार्य संचालन की जाँच करने वाली समिति Committee on Working of Government Hospitals in Delhi	.. 1777-1780
	अल्प सूचना प्रश्न Short Notice Question	
6.	दिल्ली में आग लगने की घटना Fire in Delhi	.. 1780-1783

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		
368.	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिजली की समान दर Uniform Electricity Rates for Rural Areas	1783
369.	व्यापार गृहों को जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण दिया जाना L. I. C. Advances to Business Houses	.. 1783-1784

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्रश्न संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
370.	इन्द्रप्रस्थ बिजलीघर	Indraprastha Power House	.. 1784
371.	नेशनल एंड ग्रिंडलेज बैंक	National and Grindlays Bank	... 1784
372.	राज्यों के आवास मंत्रियों का सम्मेलन	State Housing Ministers Conference	.. 1785
373.	गुजरात में पेट्रोलियम गैस ग्रिड	Petroleum Gas Grid in Gujarat	.. 1785
374.	इंडेन गैस	Indane Gas	.. 1785-1786
375.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये संगणक (कम्प्यूटर)	Computers for Public Undertakings	.. 1786
376.	चिट फंड योजनाएँ	Chit Fund Schemes	.. 1786-1787
377.	भारतीय मुद्रा की चोरी के लिये विदेशों में ले जाया जाना	Smuggling of Indian Currency Abroad	.. 1787
378.	भारत में विदेशी पूंजी का विनियोजन	Foreign Capital Investment in India	.. 1787-1788
380.	कृषि कार्यों के लिये दी जाने वाली बिजली की दरों में वृद्धि	Increase in Electricity Rates for Agricultural Purposes	.. 1788
381.	पेट्रोलियम और रसायन उद्योग में विदेशी पूंजी निवेश	Foreign Investment in Petroleum and Chemicals Industry	.. 1788
382.	पेरिस में हुई भारत सहायता सार्थ संघ की बै क	Aid India Consortium Meeting held in Paris	.. 1788-1789
383.	हल्दिया में उद्योग-समूह का विकास	Development of Industrial Complex in Haldia	1789
384.	वृद्धावस्था पेंशन योजना	Old Age Pension Scheme	.. 1790
385.	फौरेन बैलेंसिज़	Foreign Balances	.. 1790
386.	मिट्टी के तेल का उत्पादन	Production of Kerosene Oil	... 1790
387.	बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के संबंध में बैंकरों का सम्. न	Conference of Bankers on Social Control on Banks	1791
388.	अमरीकी व्यापारियों के लिये वाणिज्यिक व्यापार के अवसर	Commercial Trade Opportunities for U. S. Businessmen	... 1791
389.	मजूरी, मूल्य, लाभांश, को रोकने के सरकारी नि गय का समय से पूर्व पता चल जाना	Leakage of Government's Decision Re. Wage-price Dividend Freeze	.. 1791-1792

ता० प्रश्न संख्या

S.Q.Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
390. कृषिजन्य आय पर कर	Tax on Agricultural Income ..	1792

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

2410. भारत के रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों को सहायता	Assistance to States by Reserve Bank of India	1792-1793
2411. चन्दा जिले में आदिम जातियों के कल्याण के लिए विकास कार्य	Development Works in Chanda District for Tribal Welfare ..	1793
2412. अनुसूचित जातियों के लिये शिक्षा तथा वित्त संबंधी सुविधायें	Educational and Financial Facilities for Scheduled Castes	1794
2413. गुजरात में सरकारी क्षेत्र के नये उपक्रम	New Public Undertakings in Gujarat ..	1794
2414. मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड	Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.	1794
2415. बम्बई की फर्म मैसर्स झुनझुनवाला एण्ड ब्रादर्स द्वारा लिया गया ऋण	Loan taken by M/s Jhunjhunwala and Bros., Bombay	1794-1795
2416. मैसर्स जी० पी० एण्ड सन्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन और मैकेंजीज लिमिटेड, बम्बई	M/s J. P. & Sons, Oriental Timber Trading Corporation and Mckanzies Ltd., Bombay	1795
2417. मैसर्स औरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.	1795
2418. कच्चे तेल का मूल्य	Prices of Crude Oil	1795-1796
2419. गुजरात में बड़ी सिंचाई योजनायें	Major Irrigation Scheme in Gujarat	1796
2420. गंदी बस्तियों की सफाई पर दिल्ली नगर निगम द्वारा खर्च की गई राशि	Slum Clearance-Amount spent by Delhi Municipal Corporation	1796-1797
2421. स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा दिये गये विज्ञापन	Advertisements given by State Bank of India	1797-1798

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2422.	औद्योगिक वित्त निगम	Industrial Finance Corporation	.. 1798
2423.	मद्रास में उद्योग को स्टेट बैंक के ऋण	State Bank's loans to Industries in Madras	1798-1799
2424.	स्टेट बैंक आफ इंडिया	State Bank of India	.. 1800
2425.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुभाग अधिकारियों के नये पदोन्नति नियम	Promotion Rules for Section Officers in C. P. W.D.	1800-1801
2426.	फरीदाबाद में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नगर भत्ता	Compensatory (City) Allowance to Central Government Employees stationed at Faridabad	1801
2427.	गुजरात में औद्योगिक आवास निर्माण योजना	Industrial House-building scheme in Gujarat	1801-1802
2428.	खाद्य पदार्थों की शुद्धता	Purity of Edible Commodities	.. 1802
2429.	महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाएँ	Major Irrigation projects in Maharashtra	1802-1803
2430.	अनुसूचित जातियाँ	Scheduled Castes	.. 1803
2431.	चेचक के टीके	Small Pox Vaccination	1803-1804
2432.	हैदराबाद का निज़ाम	Nizam of Hyderabad	1804
2433.	मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) में बाढ़-नियंत्रण उपाय	Flood Control measures in Madnapur (West Bengal)	1804-1805
2434.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Srike by Employees of All India Institute of Medical Sciences	1805-1807
2435.	तालकटोरा रोड, नई दिल्ली में पानी का बन्द हो जाना	Stoppage of Water Supply at Talkatora Road, New Delhi	1807
2436.	अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य	Prices of Essential Goods	.. 1807
2437.	दिल्ली के एक गाँव में हरिजनों का समाज से बहिष्कार	Social Boycott of Harijans in a Delhi Village	.. 1807
2438.	चण्डीगढ़ को सुन्दर बनाना	Beautification of Chandigarh	.. 1808
2439.	पर्यटक केन्द्रों में मद्य निषेध की नीति	Prohibition Policy at Tourist Centres	.. 1808
2440.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर को विवाह के लिये बंगलों का दिया जाना	Accommodation for Marriage Purposes to Chief Engineer, C.P.W.D.	1808-1809

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2441.	भूतपूर्व पेट्रोलियम मंत्री की ओर बकाया राशि	Dues from former Minister of Petroleum ..	1809
2442.	कृषि भूमि की सिंचाई	Irrigation of Agricultural Land	1809-1810
2443.	दिल्ली में अध्यापकों के लिये क्वार्टर	Accommodation for Teachers in Delhi	1810
2444.	बिड़ला की फर्मों द्वारा करापवंचन	Income-Tax Evasion by Birla Firms	1810-1811
2445.	रकाब गंज मार्ग पर स्थित बंगला संख्या 7 का संयुक्त समाजवादी दल को हस्तातरण	Handing over of 7, Rakabganj Road, New Delhi to S. S. P.	1811
2446.	राज्यों की प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income of States ..	1811
2447.	इंडियन आयल कारपोरेशन के तेल शोधक कारखानों में लाभ	Profit of Indian Oil Corporation Refineries ..	1811
2448.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सामान तथा उपकरणों की खरीद	Purchase of Stores and Equipment by Public Undertakings	1812
2449.	इंडोनेशिया को निर्यात	Export to Indonesia ..	1812
2450.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	Administrative Reform Commission's Report on Public Undertakings	1812-1813
2451.	कानपुर स्थित लूप कारखाने में गोलमाल	Misappropriation in Loop Factory, Kanpur ..	1813
2452.	औद्योगिक वित्त निगम तथा औद्योगिक विकास बैंक	Industrial Finance Corporation and Industrial Development Bank	1813-1814
2453.	मध्य प्रदेश में नया सरकारी उपक्रम	New Public Undertaking in Madhya Pradesh ..	1814
2454.	पुनाक्षी बाँध	Poonakshi Dam ..	1815
2455.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारी सुझाव प्रणाली	Employees Suggestion System in Public Undertakings	1815
2456.	राष्ट्रीय बचत योजना	National Savings Scheme	1815
2457.	कृषि पुनर्वित्त निगम	Agricultural Refinance Corporation ..	1816

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2458.	त्रिपुरा में आदिमजातीय भूमि से आदिमजातियों का निष्कासन	Eviction of Tribes from Tribal Land in Tripura	1816
2459.	विदेशियों की गिरफ्तारी	Arrest of Foreign Nationals	1816-1817
2460.	सेंधा नमक का तस्कर व्यापार	Smuggling of Rocksalt ..	1817
2461.	गोआ में अनुसूचित जातियाँ	Schedule Castes in Goa ..	1818
2462.	भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा	Indian Audit and Accounts Services ..	1818
2463.	भारत में धन भेज जाने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Remittances of Money into India ..	1818
2464.	कोयम्बटूर में चिकित्सा महाविद्यालय	Medical College at Coimbatore ..	1819
2465.	दिल्ली में अस्पतालों में दाखिल किये गये संसद् सदस्य	M.Ps. admitted to Hospitals in Delhi ..	1819
2466.	सीमा शुल्क विभाग द्वारा पकड़ा गया सामान	Seizures by Customs	1819-1820
2467.	नई दिल्ली स्थित वायु सेना मुख्यालय भवन की छत में पानी का टपकना	Leakage in Air Headquarter Building in New Delhi	1820
2468.	हैदराबाद के निजाम की आस्तियाँ	Assets of Nizam of Hyderabad	1820-1821
2469.	विदेशी बैंक	Foreign Banks ..	1821
2470.	गर्भपात का उपकरण	U.S.S.R. Instrument for Abortion ..	1821
2471.	भिक्षावृत्ति	Beggary	1822
2472.	राजघाट और शान्तिवन के लिये भूमि	Land for Raj Ghat and Shantivan	1822
2473.	वाराणसी में गिरफ्तार किये गये विदेशी	Foreigners Arrested in Varanasi	1822-1823
2474.	राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना	Subsidised Industrial Housing Scheme ..	1823
2475.	हरिजनों के लिये मकान	Houses for Harijans	1823-1824
2476.	मेसर्स बी० आर० सन्स लि० बम्बई से वसूल की जाने वाली करकी बकाया राशि	Tax Arrears due from M/S B.R. Sons Ltd., Bombay ..	1824

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	UBJECT	पृष्ठ/PAGES
2477.	सरकारी उपक्रमों की आन्तरिक लेखा परीक्षा	Internal Audit of Public Undertakings	1824-1825
2478.	आयकर निर्धारण के लिए अधिकारियों के दौरे	Tours by Officials for Income-tax Assessments	1825
2479.	हरिजन सेवक समाज	Harijan Sewak Samaj	1825-1826
2480.	भारत सेवक समाज	Bharat Sewak Samaj	.. 1826
2481.	बम्बई में सोना पकड़ा जाना	Seizure of Gold in Bombay	1826-1827
2482.	कृषि तथा ग्राम अर्थ व्यवस्था समिति	Agriculture and Rural Economy Committee	.. 1827
2483.	बारक बांध परियोजना	Barak Dam Project	1827-1828
2484.	पुरानी दिल्ली क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना केनये औषधालय	New C.G.H.S. Dispensaries in Old Delhi Areas	.. 1828
2485.	मंदिरों के पास सोना तथा जवाहरात	Gold and Jewellery with Temples	1828
2486.	विसर्जन आश्रम	Visarjan Ashram	1828-1829
2487.	पश्चिम कोसी नहर को अपने अधिकार में लेना	Taking Over of Western Kosi Canal	.. 1829
2488.	राजस्थान के सीमा क्षेत्र में तेल की खोज	Exploration in Rajasthan Border	1829-1830
2489.	मंत्रियों का बिजली और पानी का खर्च	Consumption of Electricity and Water for Ministers	.. 1830
2490.	मंत्रियों के लिये निःशुल्क फर्नीचर तथा बिजली के सामान की सीमा	Limit for Free Furniture and Electrical Appliances for Ministers	.. 1830-1831
2491.	ऋषिकेश में प्रतिजीवाणु औषधि सम्बन्धी परियोजना	Antibiotics Project at Rishikesh	1831-1832
2492.	कैनेडा से सहायता	Canadian Aid	.. 1832
2493.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के लिये स्वयंसेवक ब्यूरो	Bureau of Volunteers for Central Social Welfare Board	1832
2494.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	Engineers India Ltd.	1833
2495.	जीवन बीमा निगम का धन	L. I. C. Funds	.. 1833
2496.	ग्रामीण क्षेत्रों के लिये गन्दी बस्तियों की सफाई तथा गृह निर्माण की योजनायें	Slum Clearance and House-Building Schemes for Rural Areas	1833-1834

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2497.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सुविधायें	Facilities to Scheduled Castes and Scheduled Tribes	1834
2498.	दिल्ली में विकसित भूमि की बिक्री	Sale of Developed Land in Delhi	.. 1835
2499.	इण्डियन आयल कारपोरेशन	Indian Oil Corporation	.. 1835
2500.	मध्य प्रदेश को सहायता	Assistance to Madhya Pradesh	.. 1836
2501.	अखिल भारतीय आयुर्वेदिक परिषद्	All-India Ayurvedic Council	.. 1836
2502.	वाणिज्यक बैंकों द्वारा जमा राशि में से उदारतापूर्वक अधिक राशि दिया जाना	Liberal Overdrafts by Commercial Banks	1836-1837
2503.	दिल्ली में बस्तियों को मंजूर करना	Approval of Colonies in Delhi	.. 1837
2504.	नर्मदा बाँध	Narmada Dam	.. 1837
2505.	ज्वालामुखी में छिद्रण कार्य	Drilling at Jwalamukhi	1837-1838
2506.	चाय के मानक	Tea Standards	.. 1838
2507.	नई दिल्ली में विलिंडगन हस्पताल में रोगियों का दाखिला	Admission of Patients in Willingdon Hospital New Delhi	1838 ..
2508.	नई दिल्ली में मोती बाग में दुकानों का अलाटमेंट	Allotment of Shops in Moti Bagh, New Delhi	1839
2509.	पश्चिम बंगाल को सहायता	Assistance to West Bengal	1839
2510.	सिन्धु नदी पर बाँध	Dam on River Indus	.. 1840
2511.	क्वार्टर अलाटमेंट संबंधी नियम	Accommodation Rules	1840-1841
2512.	दिल्ली छावनी में सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Accommodation for Government Employees in Delhi Cantonment	.. 1841 ..
2513.	रामकृष्णापुरम क्षेत्र में क्वार्टरों का अलाटमेंट	Allotment of Quarters in Ramakrishna Puram Area	1841-1842
2514.	साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली में झुग्गियाँ	Jhuggies in South Avenue, New Delhi	.. 1842
2515.	चाँदी का व्यापार	Silver Trade	.. 1842
2516.	अस्पृश्यता मानने के मामले	Untouchability Cases	1842-1843
2517.	नई दिल्ली के क्षेत्रों में मच्छरों का उत्पात	Mosquito Menance in New Delhi Areas	... 1843

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2518. भिक्षवृति को रोकने सम्बन्धी विधि	"Laws to check Beggary"	1843
2519. आयकर विभाग का पुनर्गठन	Reorganisation of Income-tax Department	1843-1844
2520. मकानों के निर्माण के लिये गैर-सरकारी साधन	Private Resources for Construction of House	.. 1844
2521. भारत में अपविकास संबंधी रोग	Degeneration Diseases in India	1844-1845
2522. बैंक आफ इंगलैंड द्वारा बैंक दर में वृद्धि की जानी	Increase in Bank Rate by Bank of England	1845-1846
2523. अमरीकी बैंकिंग और औद्योगिक प्रबंधाधिकारियों की भारत-यात्रा	American Banking and Industrial Executives' Visit to India	.. 1846 ..
2524. चेचक	Small Pox	1846-1847
2525. उड़ीसा के लिये अनुदान	Grant for Orissa	.. 1847
2526. सरकारी होटल	Government Hotels	1847-1848
2527. हिमाचल प्रदेश में पीने के पानी की सप्लाई	Drinkng Water Supply in Himachal Pradesh	.. 1848
2528. हिमांचल प्रदेश में जल विद्युत	Hydel Project in Himachal Pradesh	1848-1849
2529. गोदामों की पदार्थीय जाँच	Physical Verification of Godowns	.. 1849
2530. बम्बई पत्तन के निकट चोरी छिपे लाये गये सामान का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Goods near Bombay Harbour	1849-1850
2531. कोलार स्वर्ण-खानों में सोने की उत्पादन लागत	Cost of Production of Gold in Kolar Gold Mines	1850-1852
2532. चक्षु बैंक अभियान	Eye-Bank-Movement	1852
2533. 'बिना बारी के' सरकारी क्वार्टरों का अलाटमेंट	Allotment of Government Accommodation 'Out of Turn' Basis	.. 1852
2534. सरकारी क्षेत्र में बड़े-बड़े भवनों का निर्माण	Construction of Big Building in Public Sector	1852-1853
2535. चौथी योजना में औषधियों की देशी पद्धति का विकास	Development of Indegenous System of Medicine During Fourth Plan	1853 ..
2536. केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे	Foreign Tours by Officials	1853-1854
2537. दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ब्लेडों और फान्उटेन पेनों का पकड़ा जाना	Seizure of Blades and Fountain Pens at Delhi Railway Station	1854

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय UBJECT	पृष्ठ/PAGES
2538.	मद्रास में पकड़ा गया सोना Gold Seized in Madras	1854-1855
2539.	जबलपुर में पकड़ा गया सोना Gold Seized in Jabalpur	.. 1855
2540.	गोहाटी के निकट पकड़ी गई अफीम Opium Recovered Near Gauhati	.. 1855
2541.	कलकत्ता में सोना पकड़ा जाना Gold Seized in Calcutta	1855-1856
2542.	योग के बारे में अनुसंधान Reserach on Yoga	.. 1856
2543.	दिल्ली में मेडिकल लाइब्रेरी Medical Library in Delhi	.. 1856
2544.	राजस्थान में परिवार नियोजन की प्रगति Progress of Family Planning in Rajasthan	1856-1857
2545.	राजस्थान में छिद्रण कार्य Exploration in Rajasthan	.. 1857
2546.	भारत में खाई जाने वाली गर्भरोधक गोलियों का उत्पादन Manufacture of Oral Contraceptive Pills in India	1857-1858
2547.	कृषकों को सहायता देने के लिये रिज़र्व बैंक की योजना Reserve Bank's Plan for Assistance to Farmers	1858
2548.	भारत में रति रोगों की रोक थाम Veneral Diseases Control in India	1858-1859
2549.	पैराफिन मोम Paraffin Wax	1859-1860
2550.	सरकारी क्वार्टरों की मरम्मत Repairs to Government Quarters	.. 1860
2551.	अप्रत्यक्ष कर Indirect Taxes	1860-1861
2552.	सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क संबंधी अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण Appellate Tribunal for Customs and Central Excise Appeals	1861
2553.	बिहार में जीवन बीमा संगठन का कार्यालय L.I.C. Office in Bihar	.. 1861
2554.	श्री राम रतन गुप्त द्वारा देय कर Taxes due from Shri Ram Rattan Gupta	1861-1862
2555.	प्रचार (पब्लिसिटी) उद्योग Publicity Industry	1862
2556.	पलाणा लिगनाइट विद्युत परियोजना Palana Lignite Power Project	.. 1862
2557.	पेट्रो-रसायन निगम Petro-Chemical Corporation	.. 1862
2558.	पिछड़े वर्गों संबंधी आयोग Backward Classes Commission	.. 1863
2560.	मैसूर राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की क्रियान्विति Implementation of Irrigation Projects in Mysore State	.. 1863 .. 1863

अता० प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2561. दिल्ली में क्वार्टरों का अलाटमेंट	Allotment of Quarters in Delhi	1863-1864
2562. चौथी योजना में नये मेडिकल कालिज	New Medical Colleges in Fourth Plan ..	1864
2563. मैसूर के वित्त मंत्री का विदेश-दौरा	Mysore Finance Minister's Tour Abroad ..	1864
2564. मध्य प्रदेश में बिजली की खपत	Consumption of Electricity in Madhya Pradesh	1865
2565. मध्य प्रदेश में गन्दी बस्तियाँ	Slums in Madhya Pradesh ..	1865
2566. ट्राम्बे उर्वरक कारखाने के लिये समझौता बोर्ड	Board of Conciliation for Trombay Fertilizer Factory	1865-1866
2567. हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड	Hindustan Insecticides	1866
2568. आकाशवाणी में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme at A.I.R.	1866-1867
2569. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में परिवार नियोजन	Family Planning in Public Sector Undertakings	1867
2570. राम गंगा बाँध	Ram Ganga Dam ..	1867
2571. कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली काम में लाने के लिये उड़ीसा को सहायता	Assistance to Orissa for utilising electricity for agriculture purposes.	1867-1868
2572. उड़ीसा को नयी सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता	Assistance to Orissa for New Irrigation Projects	1868
2573. बाढ़ नियंत्रण के उपायों के लिये उड़ीसा को सहायता	Assistance to Orissa for Flood Control Measures	1868
2574. चलचित्रों के बिल पर आयकर का अवंचन	Income-Tax Evasion on Sale of Films	1868-1869
2575. चलचित्रों के काम करने वालों द्वारा करापवंचन	Income-tax Evasion by Film people	1869
2576. कुनैन का मूल्य	Price of Quinine ..	1869
2577. राजस्थान नहर पर लिफ्ट चैनल	Lift channel on Rajasthan Canal	1869-1870
2578. गोहाटी तेल शोधक कारखाने में आग	Fire in Gauhati Oil Refinery	1870

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2580.	राज्यों में नई सिंचाई परियोजनायें	New Irrigation Projects in States ..	1870
2581.	मध्य प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता	Assistance to M.P.	1870-1871
2582.	नई दिल्ली में राजौरी गार्डन क्षेत्र में श्मशान भूमि	Cremation Ground Rajouri Garden, New Delhi	1871
2583.	आसाम से वसूल किया गया आय कर	Income-tax Realised from Assam ..	1871
2584.	विदेशों की यात्रा के लिये 'पी' फार्म	'P' Form for visits abroad	1871-1872
2585.	डीजल तेल	Diesel Oil	1872
2586.	अनुसूचित आदिम जातियाँ	Scheduled Tribes	1872
2587.	फिल्म अभिनेता द्वारा कर अपवंचन	Tax Evasion by Film Actor	1872-1873
2588.	पहाड़गंज दिल्ली में आटे की मिलें	Flour Mills in Paharganj, Delhi ..	1873
2589.	उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Orissa ..	1873
2590.	राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा आय कर का भुगतान	Payment of Income-tax by Representatives of Political Parties	1874
2591.	कलकत्ता में आयकर कार्यालय	Income-tax Offices in Calcutta	1874
	सेनापति बापत के बारे में	Re. Senapati Bapat ..	1875
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ..	1875
	ऊन के आयात और वितरण के बारे में नयी नीति	New Policy of Import and distribution of wool	1875
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1875-1878
	दक्षिण यमन के लोक गणराज्य की स्वाधीनता के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Independence of the People's Republic of South Yemen ..	1878
	श्रीमती इंदिरा गाँधी	Shrimati Indira Gandhi ..	
	पश्चिमी बंगाल की स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Situation in West Bengal	1878-1880
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan ..	

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
संविधान (संशोधन) विधेयक 1967	Constitution (Amendment) Bill—1967	.. 1880
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन प्रतिस्थापित करने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joit Committee	..
देश में खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion re: Food Situation in the country	1880-1889
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo	
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwari	
श्री इन्दुलाल याज्ञिक	Shri Yajnik	
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani	
श्री जि० ब० सिंह	Shri J. B. Singh	
श्री अ० सि० सहगल	Shri A. S. Saigal	
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav	...
श्री भगवती	Bhagvati	
पाकिस्तानियों की काश्मीर में घुसपैठ के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Pakistani Infiltration into Kashmir	1889-1905
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia	
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	
श्री यज्ञदत्त शर्मा	Shri Yajna Datt Sharma	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	
श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी	Shri Gulam Mohammed Bakshi	
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi	
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma	
श्री राम मूर्ति	Shri P. Ramamurti	
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	
श्री महन्त दिग्विजय नाथ	Shri Mahant Digvijai Nath	
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरूवार, 30 नवम्बर, 1967/9 अग्रहायण, 1889 (शक)

Thursday, November 30, 1967/ Agrahayana 9, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आयकर की बकाया राशि

*361. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने आय कर की बकाया राशि को शीघ्र वसूल करने के उद्देश्य से आय-कर आयुक्तों तथा आयकर विभाग के अन्य उच्चाधिकारियों के साथ विशेष रूप से परामर्श किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आय कर अधिनियम की 147–149 धाराओं के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करने की सिफारिश की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हाँ। आयकर की बकाया की वसूली के कार्य में तेजी लाने के प्रश्न पर अगस्त 1967 में हुए आयकर आयुक्तों के पिछले सम्मेलन में विचार किया गया था।

(ख) जो निर्णय किये गये उनका ब्यौरा इस प्रकार है:—

(I) जिन मामलों में आयकर की बकाया रकम वसूल होनी बाकी है उनमें उचित कार्यवाही करने की जिम्मेदारी विशिष्ट अधिकारियों पर इस प्रकार रखी गयी है:—

आयकर अधिकारी	..	1 लाख रुपये से कम की बकाया के मामले
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त	..	1 लाख रुपये से ऊपर तथा 5 लाख रुपये से नीचे की बकाया रकमों के मामले
आयकर आयुक्त	..	5 लाख रुपये से ऊपर की बकाया रकमों के मामले

(2) न्यायालय में चल रही कार्यवाही के कारण रुकी पड़ी मांग के बारे में अफसरों को कहा गया है कि वे न्यायालय में चल रहे मामलों में शीघ्र फैसला कराने की दृष्टि से उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए विभागीय वकीलों को जरूरी हिदायतें दें, जिससे बकाया की रकम वसूल हो सके।

(3) कर वसूली के काम की राज्य सरकारों से ले लेने की कार्यवाही को शीघ्रता से पूरा किया जाय।

(4) वसूल न हो सकने योग्य मांगों को बट्टे खाते डालने की कार्यवाही शीघ्रता से पूरी की जाय।

(ग) और (घ) धाराएँ 147–149 उन मामलों को फिर से कर-निर्धारण की कार्यवाही करने से सम्बन्ध रखती हैं जिसमें कर लगने योग्य आय कर लगने से छूट जाती है। आयकर की बकाया की वसूली पर इन धाराओं का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है। इसलिये उपर्युक्त धारा के अधीन कार्यवाही करने की सिफारिश करने का सवाल ही नहीं उठता।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the enquiry into the case of Income-tax arrears against M/s Ram Narain and Sons has since been completed and the action, taken in the matter and the officers found guilty have been punished?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहाँ तक व्यक्तिगत मामलों का सम्बन्ध है मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये।

Shri Madhu Limaye : I have already given him notice through a letter.

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : प्रश्न पूछने का यह एक अजीब तरीका है। उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा था और उसकी जाँच हो रही है। परन्तु उसका उत्तर मैं इस समय अभी नहीं दे सकता। मैं एक सामान्य प्रश्न में विशिष्ट प्रश्नों को नहीं ला सकता। यदि वह पूर्व सूचना दें तो मैं निश्चय ही उसका उत्तर दूंगा। इस समय इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं प्रत्येक मामले को प्रत्येक दिन अपने दिमाग में नहीं रख सकता।

Shri Madhu Limaye : In how many cases of Income-tax arrears involving more than five lakh rupees investigations have been completed and against whom?

Shri K. C. Pant : We have issued instructions to the Commissioners to take upon themselves the responsibility for enquirying into the cases of Income-tax arrears involving more than Rs. 5 lakhs. He has also been directed to prepare a list of such cases and forward their progress report to the Director of Inspection quarterly.

Shri Hukam Chand Kachwai : How many such cases are pending for the last 3 years and do Government itself propose to take any steps in such cases as nothing is being done in these cases at present ?

Shri K. C. Pant : Yes, Sir, we propose to dispose them of at the earliest. The figures I cannot tell off hand.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : आय कर की कुल बकाया राशि में वे रकम भी शामिल हैं जिनके विरुद्ध अपीलें दायर की गई हैं। प्रश्न संख्या 802 के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि 65 प्रतिशत मामलों में अपीलों का फैसला करदाताओं के पक्ष में किया गया। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि बकाया राशि में से कितने रकम के बारे में अपीलें दायर की गई हैं और कितनी राशि के विरुद्ध अपीलें दायर नहीं की गई हैं।

श्री मोरारजी देसाई : बजट के समय इन सब मामलों का स्पष्टीकरण किया जाता है। विशिष्ट प्रश्न पूछने पर अब भी यह जानकारी दी जा सकती है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न होता है।

श्री मोरारजी देसाई : यह मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

Shri Brij Bhushan Lal : May I know whether the accumulation of this Income-tax arrears to the tune of Rs. 5 lakhs betrays the inefficiency of Government's machinery or the faulty assessment ?

Shri K. C. Pant : Sir, in 1966-67 the total arrears amounted to Rs. 541 crores. The net amount realised during an year is Rs. 640 crores. On 30th June, the arrears came down to Rs. 500 crores from Rs. 541 crores. Now the arrears of Rs. 205 crores is under recovery and against the rest of the amount appeals have been filed by the assessees.

श्री हेम बरुआ : श्री कृष्णामाचारी के समय में बम्बई के कुछ फिल्म सितारों के विरुद्ध जाँच की गई थी जिसके परिणामस्वरूप आश्चर्यजनक रहस्यों का पता लगा था। क्या हमारे वर्तमान वित्त मंत्री ने इन फिल्मी सितारों से आयकर की बकाया राशि वसूल करने का प्रयत्न किया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जी हाँ फिल्मी सितारों के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाता है।

Shri George Fernandes: In reply to Question No. 1623 in the name of Shri S. M. Joshi, the Hon. Minister had stated that during the three years 63-64, 64-65 and 65-66, 28 cases were filed against 13 persons and that one csse was compounded. In 20 cases the accused were released by the Court and the 8 cases are still going on. Now I want to know how much time will be taken in filing cases for realising this amount of Rs. 500 crores and why these cases are defeated.

Shri K. C. Pant : Out of the total arrears of Rs. 500 crores Rs. 50 crores are involved in appeals, 5 crores in productive assessment and 5 crores in double income tax relief. Therefore, there is some arrear which cannot be realised immediately. As regards the question of filing cases, we shall do so if the law permits.

श्री दामानी : पिछले तीन वर्षों में करदाताओं की संख्या में 75 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि अधिकारियों की संख्या में केवल 10 से 15 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। वसूली की गति को तेज करने के लिये क्या सरकार अधिकारियों की संख्या बढ़ाना चाहती है ताकि वे काम को शीघ्र पूरा कर सकें ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस विषय में हम दो तरफा कार्यवाही कर रहे हैं। वर्तमान अधिकारियों द्वारा छोटे मामलों को जो समय दिया जाता है, उस समय को कम करके हम उनको

अधिक प्रभावशाली बना रहे हैं ताकि वे बड़े मुकदमों में अच्छी कार्यवाही कर सकें। जहाँ पर आवश्यकता पड़ती, है हम अधिकारियों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं।

श्री हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी : हमें बताया गया है कि फिल्मी सितारों के साथ पक्षपात नहीं किया जाता है। जिन फिल्मी सितारों ने आय कर नियमों का उल्लंघन किया था वे ही फिल्मी सितारे श्री कुन्टे के स्वावधान में हुए कुछ समारोहों में उपस्थित थे और वित्त मंत्री उनमें स्थायी मुख्य अतिथि थे। ऐसा करने से आयकर का अपवंचन करने वाले फिल्मी सितारों की धारणा फिर से अच्छी बनती है।

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : एक मंत्री के नाते मुझे कई ऐसे लोगों के साथ सम्बन्ध रखना पड़ता है जिन्हें कुछ लोग अवांछनीय समझते हैं। मेरे माननीय मित्र को भी मुझे सहन करना पड़ता है, यद्यपि वह मुझे अवांछनीय समझते हैं। हमें एक दूसरे को सहन करना पड़ता है। ऐसे मामलों में हम क्या कर सकते हैं। यह कहना कि मैं उनका स्थायी मुख्य अतिथि हूँ, इससे तो माननीय सदस्य को किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने की क्षमता ही सिद्ध होती है।

श्री हो० ना० मुकर्जी : आपने स्वयं कहा था कि आप प्रति वर्ष स्थायी मुख्य अतिथि रहते हैं।

श्री मोरारजी देसाई : मैंने कहा था कि मैं स्थायी मुख्य अतिथि नहीं रहना चाहता। इसलिये मैं वहाँ पर कई वर्षों तक नहीं गया। इसको वह भूल गये हैं।

पैकेज कार्य-क्रम

*362. **श्री प्र० के० देव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में मुद्रा के फैलाव को रोकने के लिये और मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये जिस पैकेज कार्यक्रम का उपबन्ध किया गया है और क्रियान्वित किया गया है उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मुद्रा के फैलाव को रोकने के सरकारी कार्यक्रम में अनेक उपाय शामिल हैं, जैसे कि आयात तथा अधिक उत्पादन द्वारा वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ाना, बजट तथा चुनीदा ऋण नियन्त्रण द्वारा प्रभावशाली माँग को कम करना और मूल्यों तथा/या अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण का विनियम। मुद्रा स्फीति को रोकने की इस नीति का ब्यौरा उस समय भी दिया गया था जब कि कर विधियाँ (संशोधन) अध्यादेश, 1967 14 सितम्बर, 1967 को प्रख्यापित किया गया था। दूसरा अध्यादेश 18 सितम्बर, 1967 को प्रख्यापित किया गया था। इसका उद्देश्य अत्यावश्यक वस्तुएँ अधिनियम में संशोधन करके उसके दाण्डिक उपबन्धों को अधिक कड़ा और प्रभावशाली बनाना था। चालू वित्तीय वर्ष में नकदी के रूप में व्यय को न्यूनतम करने के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1.2. 1967 और 31. 8.67 के बीच जो अतिरिक्त महंगाई भत्ता मंजूर किया गया था वह भविष्य निधि के खाते में जमा कर दिया गया था।

श्री प्र० के० देव : मुद्रा स्फीति विरोधी उपायों के बावजूद हम देखते हैं कि इस देश की आर्थिक हालत बद से बदतर होती जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में रुपये का मूल्य गिरता जा रहा है। कीमतें आसमान को छू रही हैं। हमारे अनुभव को ध्यान में रखते हुए, सरकार इस सम्बन्ध में और क्या उपाय करना चाहती है ?

श्री मोरारजी देसाई : मैंने जो कुछ किया है उसमें सुधार करने के लिये मैं अपने माननीय मित्र के ठोस सुझावों की प्रतीक्षा करूँगा और यदि वह मुझे कोई सुझाव देंगे तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा।

श्री प्र० के० देव : सरकार ने अभी तक निश्चित रूप से यह नहीं बताया है कि घाटे की अर्थव्यवस्था को बन्द कर दिया गया है। क्या इस बीच कोई घाटे की अर्थव्यवस्था नहीं हुई है ?

श्री मोरारजी देसाई : वर्ष की समाप्ति से पूर्व मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं सह सकता। यह कहना सही नहीं है कि कीमतें बढ़ रही हैं। अब भी कीमतें गिर रही हैं।

श्री प्र० के० देव: यह तो केवल अस्थायी रूप से है।

श्री मोरारजी देसाई : चाहे अस्थायी रूप से ही हो (**व्यवधान**)।

Shri Maharaj Singh Bharati : Since, the attainment of Independence the volume of currency has almost been tribled while the production has not increased proportionately. Have Government ever pondered over the suggestion that we should withdraw from the circulation an amount equal to the sale proceeds of goods obtained on credit from America and sold here on cash?

Shri Morarji Desai : We have thought over it and we have also taken the decision that nothing need be done in this regard.

Shri O. P. Tyagi: May I know whether the fabulous amounts of P. L. 480 rupees and black money have also contributed to inflation, if so, the preventive measures taken by Government?

Shri Morarji Desai : P. L. 480 and black money are two different things and they need not be taken together. The hon. Member may please pass on to us any information that he might have regarding black money and we shall take appropriate action in the matter. Recently a seminar was held on P. L. 480 and divergent views were expressed, but the dominant view was that P. L. 480 has not contributed to inflation.

वित्तीय संस्थाओं का पुनर्गठन

*363. **श्री यशपाल सिंह** : क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों की पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से वित्तीय संस्थाओं के समूचे ढांचे का पुनर्गठन करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

Shri Yashpal Singh : May I know how much money will be given to Agriculture and how much to industries through those institutions?

Shri K. C. Pant. This question pertains to capital requirement of industries and not to agriculture. Total amount to be given to industries would come to Rs. 625 crores.

Shri Yashpal Singh: What is the opinion of the Government about those industrialists who in the name of small industries have opened industries at four different places?

Shri K. C. Pant: If the hon. Member supplies us with information in this regard we will look into the same.

कलकत्ता में पटसन के जहाजी व्यापारियों के कार्यालयों पर छापा

*364. **श्री मरण्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने 18 अगस्त, 1967 को कलकत्ता में पटसन के जहाजी व्यापारियों के कार्यालय पर छापा मारा था;

(ख) जिन फर्मों पर छापे मारे गये थे उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने ऐसे दस्तावेज पकड़े हैं, जिनसे इन फर्मों द्वारा किये गये विदेशी मुद्रा विनियमों तथा व्यापार करार सम्बन्धी उल्लंघन का पता चलता है; और

(घ) यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) माँगी गयी सूचना के प्रत्येक भाग के बारे में विवरण-पत्रसभा की मेज पर रखा जाता है।

(क) तथा (ख) कलकत्ता के सीमा-शुल्क अधिकारियों ने 18 तथा 21 अगस्त, 1967 के बीच जूट की बनी वस्तुओं के आठ निर्यातकर्त्ताओं के कार्यालयों की तलाशी ली। जिन फर्मों के कार्यालयों की तलाशियाँ ली गयी थीं, उनके नाम ये हैं:

1. मेसर्स बाँगड़ ब्रदर्स लिमिटेड
2. " बर्ड एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड
3. डंकन ब्रदर्स एण्ड कम्पनी लिमिटेड
4. " गोवर्धनदास जयरामभाई
5. " जी० अम्बालाल (एक्सपोर्ट) प्राइवेट लिमिटेड
6. " जारडीन हेण्डरसन लिमिटेड
7. " टामस डफ एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड
8. " विण्डो ग्लास लिमिटेड (तथा उनकी सहवर्ती फर्में मेसर्स खेरुका एण्ड कम्पनी, मेसर्स बनस्पति डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड तथा मेसर्स किंग ब्रदर्स)।

(ग) तथा (घ) : इन फर्मों से बड़ी तादाद में दस्तावेज पकड़े गये हैं तथा उनकी छानबीन की जा रही है। पकड़े गये दस्तावेजों की अब तक जो छान-बीन हुई है उसके आधार पर कलकत्ता के सीमा-शुल्क अधिकारियों को, प्राथमिक रूप से, इस आरोप के पक्ष में प्रमाण मिले हैं कि प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में उल्लिखित पहली 5 फर्में माल का निर्यात करने में सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 तथा विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 के उपबन्धों का उल्लंघन करती रही हैं। जिन आरोपित उल्लंघनों के बारे में अब तक पता लगा है उनके बारे में इन पाँच फर्मों को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किये गये हैं।

जहाँ तक अन्य तीन फर्मों का सम्बन्ध है, जाँच-पड़ताल चल रही है। अभी तक उनको कोई भी 'कारण बताओ' नोटिस जारी नहीं किया गया है।

भारत तथा विदेशों के बीच व्यापार समझौतों सम्बन्धी करार करने वाले पक्ष, करार करने वाले देशों के कोई व्यक्तिगत निर्यातकर्ता अथवा आयातकर्ता नहीं होते हैं बल्कि सम्बन्धित सरकारें होती हैं; इसलिये जूट की बनी वस्तुओं का निर्यात करने वालों द्वारा व्यापार करारों के उल्लंघन का सवाल पैदा नहीं होती।

Shri Marandi: Is it a fact that although three months have passed since these firms were raided yet no action has been taken against them during these months? Will Government blacklist these firms and cancel their licences?

Shri K. C. Pant: Five of these firms have been issued "Show cause notices" and whatever action will be deemed necessary to be taken against them, the same will be taken.

Shri Marandi : Is it a fact that these countries were engaged in importing from the soft currency countries and then exporting the same to hard currency countries. What action has been taken by Government against them?

Shri K. C. Pant: This question does not pertain to soft and hard currency countries but it pertains to East European and West European countries.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन 8 फर्मों में से 5 फर्में तो बहुत प्रसिद्ध हैं जिनका सम्बन्ध न केवल पटसन के माल के लाने लेजाने से है अपितु उसके उत्पादन से भी है। क्या यह सच है कि एक फर्म मेसर्स बर्ड एंड कम्पनी को जोकि माल के कम लिखे जाने आदि कुरीतियों में संलग्न थी और जिसे विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन में रंगे हाथ पकड़ा गया था तथा जिसे लगभग बिना दंड दिये छोड़ दिया गया, उससे दूसरी फर्मों को भी गलत कार्य करने में प्रोत्साहन मिला है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : इस मामले का सम्बन्ध माल के कम लिखे जाने से नहीं है। यह मामला ऐसा है जिसमें माल को पूर्वी यूरोपियन देशों को भेजा गया दिखाया गया, परन्तु वास्तव में उसे पश्चिमी देशों को भेज दिया गया।

डा० रानेन सेन : क्या सरकार ऐसी कुछ फर्मों को काली सूची में रखने का विचार रखती है जो इस प्रकार का उल्लंघन बार-बार करती रही हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : उनके पास नोटिस भेज दिये गये हैं उसके बाद विभागीय कार्यवाही आरंभ की जायेगी। फिर जो भी संभव होगा कार्य किया जायेगा।

Shri Kanwar Lal Gupta: Will the Minister give some details about the firms against whom prima facie cases has been established? I want to know the facilities which the five firms have been receiving from the Government who violated the rules and whether those facilities have now been stopped ?

Shri K. C. Pant : I do not know about the facilities as my ministry is not concerned with that. I also do not know about the fine imposed on the firms.

श्री कंवर लालगुप्त : महोदय जो जाँच की गई है उसका विवरण तो यहाँ दे दें ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जाँच का विवरण यदि दे दिया गया तो जाँच में गड़बड़ हो जायेगी।

उर्वरक कारखाने

*365. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री काशी नाथ पाण्डेय :
श्री स. च. बेसरा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये उर्वरक कारखानों की स्थापना में विलम्ब किया जा रहा है तथा इससे उत्पादन में कमी होने की सम्भावना है, क्योंकि विदेशी कम्पनियों को दी गई रियायत की अवधि 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त हो रही है;

(क) क्या सरकार का विचार रियायत की अवधि को बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब और किस तारीख तक उसे बढ़ाने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस अवधि को बढ़ाने के बारे में कोई सुझाव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

Shri Onkar Lal Berwa : How much material pertaining to fertilisers do we import and what is the foreign exchange content in that and the steps being taken to save foreign exchange?

पैट्रोलियम तथा रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : मेरे मंत्रालय का उर्वरक आयात से सम्बन्ध नहीं है, इस कारण मेरे पास यह सूचना नहीं है ।

Shri Onkar lal Berwa. Cannot some other Minister answer this question? The concessions given are valid upto 31 December only. What steps are we taking to save foreign exchange?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर माँग सकते हैं।

Shri Atal Behari Vajpai : Perhaps Shri Berwa wants to know that if the date for concessions is not increased and as a result thereof new factories are not set up, how shall we be able to stop the import of fertilizers?

Shri Asoka Mehta: We have formed proposals for a capacity of 2·2 million tons and the work has begun on that. By the end of this year our factory will be to the tune of a lakh ton. In 1969 we will be having a capacity upto 2·2 million tons. According to the proposals before us we hope to have a capacity of 3 to 3.5 million tons during the next three or four years.

Shri Onkar Lal Berwa : What are those foreign companies with whom we had talks and why are we putting an end to it?

Shri Asoka Mehta: Sometimes we have to have negotiations with foreign countris too but for them we have to search Indian partners. Then there are certain Indian companies for whom we have to search foreign partners. I may mention the names of some of the firms who are in this line:

Mangalore—Duggal 1D & K Co; Haldia Phillips Petroleum; Ghaziabad—Modi Spinning and Wearing Co. Ltd. with Rohm and Hass, Mirzapur—Pilani Investment Corporation and Kaiser; Vizag Expansion—Coromandel Fertisers; Kandla Indian Farmers' Fertiliser Company with the Co-operative League of America. Then Barium Chemicals have made some proposals.

प्रश्न के दूसरे भाग में यह पूछा गया है कि यह रियायतें 31 दिसम्बर को क्यों समाप्त कर दी हैं। इसका उत्तर यह है ताकि लोग अपने आवेदन पत्र जल्दी भेज दें और उनके जारी रखने का कोई कारण नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ समय पूर्व यह बताया गया था कि सरकार ने धर्मसी मोरारजी नाम की फर्म का इस प्रकार का सुझाव अन्तिम रूप से अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसमें लिक्विड अमोनिया का आयात करना था जिसमें विदेशी मुद्रा का व्यय होना था और जो देश के हित में नहीं था। अब समाचार पत्रों में आया है कि उस सुझाव पर फिर विचार हो रहा है। यदि ऐसा है तो उसका क्या कारण है ?

श्री अशोक मेहता : धर्मसी मोरारजी कम्पनी ने अपने सुझावों में परिवर्तन किया है और सरकार इन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकती। जब वह सुझाव आवेंगे तो सरकार उन पर पुनः विचार करेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह वही सुझाव हैं अथवा नये सुझाव हैं ?

श्री अशोक मेहता : यह नये सुझाव हैं तथा जब सरकार का उन पर निर्णय हो जायेगा तो सदन के सामने सारी बातें रख दी जायेंगी। परन्तु जब तक मामला विचाराधीन है, इस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

Shri Raghubir Singh Shastri: The fertiliser industry is very profitable and new in India. Will government see to it that they are opened only in the Public Sector and the capitalists are not given a free hand into these?

Shri Ashoka Mehta: Government intend to instal as many fertilizer plants in public sector as it can according to sources available in the country. At present construction work on five new fertilizer plants is going on. But the demand for fertilizers in our country cannot be met with the production of public sector fertilizer plants. So we want to invite private enterpreneurs as well as foreign investors to enter into this industry. This is the decision of the Government, which is before the House itself.

Shri K. N. Tiwari : What is about the fertilizer plant to be installed at Barauni? The list read by the Minister does not include the name of Barauni fertilizer plant.

Shri Ashoka Mehta : I have read a list of names of private firms and the Barauni fertilizer plant is in public sector.

Shri Molahu Prasad: In Budget Session Government stated that Gorakhpur fertilizer factory would go into production in September. May I know whether it has gone into production. if so, the production of fertilizer in tons per day there?

Shri Ashoka Mehta : It will go into production in January. This delay was caused due to exchanging of spare parts which were not working properly, and which were imported from Japan.

श्री चेंगलराया नायडू : अमरीकी कोपरेटिव कन्सोरयिम ने यह सिफारिश की थी कि कांडला तथा विशाखापटनम में उर्वरक कारखाने खोले जायें परन्तु सरकार ने इसके लिये केवल कांडला को ही क्यों चुना है है ?

श्री अशोक मेहता : इस सम्बन्ध में भली भाँति विचार करने के पश्चात् यह सुझाया गया है कि पहला कारखाना काँडला में स्थापित किया जाये, क्योंकि तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से कारखाना की यह स्थापना लाभप्रद तथा सुगम रहेगी। यह भी सुझाव है कि दूसरा कारखाना विशाखापटनम में खोला जाये। परन्तु फिलहाल सरकार केवल काँडला में कारखाना खोलना चाहती है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : सरकारी क्षेत्र के नये उर्वरक कारखानों में क्या प्रगति हो रही है ?

श्री अशोक मेहता : सरकारी क्षेत्र में भारत का उर्वरक निगम तथा फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर नामक दो निगम हैं जहाँ तक पहले निगम का सम्बन्ध है, उसके अधीन अब तीन कारखाने चल रहे हैं। इसके अधीन दो अन्य कारखानों में एक गोरखपुर में तथा दूसरा नामरूप में। कुछ ही महीनों में उत्पादन शुरू हो जायेगा। दूसरे निगम के अधीन एक कारखाना चल रहा है तथा इसने कोचीन में एक और कारखाना अपने हाथ में लिया है। इसके अतिरिक्त एक और निगम सरकारी क्षेत्र में है। यह मद्रास तेलशोधक कारखाना है और इसे विदेशी सहयोग ही प्राप्त है।

श्री दी० चं० शर्मा : प्रत्येक राज्य में उर्वरक की आवश्यकता होती है । उर्वरक कारखानों को सब राज्यों में वितरित करने की दिशा में सरकार क्या कर रही है जिससे किसी भी राज्य में उर्वरकों का अभाव न रहे ?

श्री अशोक मेहता : उर्वरक कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में केवल इस आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक राज्य में उर्वरक कारखाना हो। नेफ्था पर आधारित उर्वरक के कारखाने तटीय स्थानों पर स्थापित करने में अधिक लाभ होता है । कुछ समय बाद देश के अन्दर भी तेलशोधक तथा ऐसे कारखाने स्थापित किये जा सकेंगे। तकनीकी आर्थिक पहलुओं पर विचार करने पर अब भी यह प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक राज्यों में ये कारखाने स्थापित किये जाने चाहिये।

श्री तेन्ने टि विश्वनाथम : मंत्री महोदय ने बताया कि रिपोर्ट में काँडला में कारखाना लगाने की सिफारिश की गई है। क्या वह उक्त रिपोर्ट को सभा पटल पर रखेंगे।

श्री अशोक मेहता : जब तक इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ भी सभा पटल पर रखने को तैयार नहीं हूँ ।

Shri Onkar Lal Bohra: There are large deposits of Gypsum in Rajasthan and there is only one fertilizer plant going to be installed in private sector. May I know whether any fertilizer factory will be set up there in public sector also?

Shri Ashoka Mehta : In Rajasthan a fertilizer plant in private sector is being set up at Kotah. Moreover the Gypsum available in Rajasthan is not of much use. In Sindri fertilizer factory this Gypsum is being used about which we are getting complaint. Now we are trying to use synthetic Gypsum in place of it.

श्री जेवियर : क्या मद्रास राज्य के तूतीकोरन नामक स्थान पर उर्वरक कारखाना खोलने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है ?

श्री अशोक मेहता : फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर निगम तूतीकोरन में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में एक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है। निर्माणाधीन पाँच कारखानों के पूरा हो जाने के पश्चात् विस्तार कार्यक्रम में तूतीकोरन में एक नया उर्वरक कारखाना लगाने पर विचार किया जायेगा।

श्री जी० एस० रेड्डी : क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के कोठागोदाम में कोयले से चलने वाला उर्वरक कारखाना खोलने के बारे में कोई योजना तैयार की है ?

श्री अशोक मेहता : परियोजना रिपोर्ट तो तैयार की जा रही है। कारखाना चाहे कोयले पर आधारित हो अथवा नहीं। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कोयले पर आधारित कारखाना आर्थिक रूप से उपयोगी न रहेगा।

Shri Yashwant Singh Kushwah : May I know whether M. P. Government have requested the Central Government to set up a fertilizer plant there on priority basis, if so, the action taken thereon?

Shri Ashoka Mehta : Yes, Sir, Madhya Pradesh Government have requested for it. F. C. I. has prepared a project report of a fertilizer plant at Korba and it is being considered on techno-economic basis.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : गुजरात में बड़ौदा में एक उर्वरक कारखाना है जिससे निकलने वाले रासायनिक तत्व और धुआँ वहाँ के किसानों के लिये अभिशाप बना हुआ है। क्या सरकार इस

बात पर विचार करेगी कि ऐसे कारखानों को खेतों के बीच न लगाया जाये ताकि किसानों को कोई हानि न हो।

श्री अशोक मेहता : अधिकांश कारखाने तटीय क्षेत्रों में स्थापित किये जा रहे हैं। यद्यपि मैं मानता हूँ कि कारखाने के धुएँ आदि से किसानों को कष्ट होता है, परन्तु इस सम्बन्ध में क्या सावधानियाँ बरती जानी चाहिये, मेरी समझ में यह नहीं आता। यदि सदस्य महोदय इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे, तो मुझे खुशी होगी।

श्री हेम बरुआ : हमारे अधिकतर उर्वरक कारखाने नेफ्था पर आधारित हैं और नेफ्था 1970-71 तक हमारे देश में प्रायः समाप्त हो जायेगा। क्या सरकार ने इस बारे में भी विचार किया है कि नेफ्था के स्थान पर तरल अमोनिया प्रयोग में लाया जाये।

श्री अशोक मेहता : पहले तो माननीय सदस्य का यह कहना ही गलत है कि 1970-71 तक नफ्था का अभाव हो जायेगा। दूसरे इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि हमारे उर्वरक कारखाने नेफ्था पर आधारित रहें या किसी अन्य वस्तु पर। यदि सभा चाहे तो मैं इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी दे दूंगा।

Mr. Speaker: Next question—Shri Shardanand.

Shri Madhu Limaye : I want to raise a point of order which concerns Question Hour. While replying the Minister said that on a question of general nature a definite or personal question is put. This is a sermon I have got just now. But I want to bring it to your kind notice that today I secured the first number in ballot and such a question is brought here to which I have given no priority and the questions which I want to ask on priority basis were put behind. This is injustice. This kind of fraud should not take place here in respect of questions. Something should be done for it.

Bonus for Employees of Ashoka Hotel

*336. **Shri Sharda Nand:**
Shri A. B. Vajpayee:
Shri Mohan Swarup:
Shri Yajna Datt Sharma:
Shri N. S. Sharma:

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Ashoka Hotel, New Delhi, recently refused to receive bonus and there is great discontentment amongst them ;

(b) if so, their demands and the cause of the discontentmment amongst them ;

(c) whether Government have taken any steps in the matter ; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) The workers refused to accept bonus at the rate of 4% admissible to them under the Payment of Bonus Act, 1965, on the date fixed for its disbursement, i.e., 27th October, 1967.

(b) The workers demanded bonus at the rate of 20%. Non-payment of bonus at this rate was the cause of discontentment amongst them.

(c) and (d). Negotiations were held by the management of the Ashoka Hotel with the representatives of workers nominated by the three Unions jointly operating in the Hotel and a settlement was arrived at on 5th November, 1967 in terms of which:

(i) the management of the Ashoka Hotel has given the eligible employees a bonus at the rate of 15% of the wages (basic pay, food allowance and interim relief, where

admissible) earned for the year 1966-67 which is 11% higher than what was admissible ;

(ii) the three Unions representing the workers have agreed that the existing strength of the workers of the Hotel will take on the additional work of running and maintaining the Annexe to the Hotel, which will start functioning shortly, in the manner which may be prescribed by the management from time to time without any addition in the number of workers; and

(iii) the management can, at its discretion, recruit additional staff, if in its opinion it becomes absolutely necessary to do so.

The higher bonus was disbursed on 10th November, 1967.

Shri Shardanand : This institution is being run by Government. May I know whether Government have taken any steps to settle the dispute between the employees and the Management?

Shri Iqbal Singh: It is correct that this Hotel is being run by Government. But there are three Unions which have regular contacts with the Management and decide such issues. This decision has been taken on this very basis.

Shri Shardanand : Could not the Management take the decision regarding bonus at the rate of 15% earlier as they have done later on?

Shri Iqbal Singh: According to the law bonus was admissible to them only at the rate of 4 per cent. But later on the Unions and the management agreed on the bonus rate of 15 per cent. But simultaneously it was also decided that no new staff will be recruited for a new Annexe consisting of 300 beds. Both have accepted these decisions.

Shri A. B. Vajpayee: Along with Ashoka Hotel there are three more hotels Janpath Hotel, Ranjeet Hotel and Lodi Hotel—which are beeing run by the same institute. May I know whether the bonus at the rate of 15% which has been agreed to, will be paid to the employees working in the above mentioned hotels also or will they have to resort to strike etc.?

Shri Iqbal Singh : As far as the Janpath Hotel is concerned the agreement about Bonus has been reached and the bonus rate is 10%. But it will not apply to Ranjeet Hotel and Lodi Hotel, because they did not make profits.

Shri N. S. Sharma : If the law allows only 4% bonus but after the strike by employees why did they agree to pay the bonus at the rate of 15 per cent? Secondly what will be the difference between the bonus calculated at the rate of 4% and that calculated at rate of 15%?.

Shri Iqbal Singh : The bonus at the rate of 15% was allowed because it was agreed to that no additional staff will be recruited for the new Annexe. At the rate of 4 percent a sum of Rs. 80,000 was to be paid and now at the rate of 15% the sum will amount to 2 lakhs and 79 thousands.

अध्यक्ष महोदय: श्री स० मो० बनर्जी ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्योंकि श्री बाजपेयी ने तीन अन्य होटलों के विषय में प्रश्न पूछा था, जनपथ, रणीजीत और लोदी होटल भी केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य है कि जनपथ होटल के कर्मचारियों को, जो लोदी होटल और रणजीत होटल की अपेक्षा बहुत अधिक लाभ कमा रहा है, अधिक बोनस नहीं दिया जा रहा और उन्हें केवल 4 प्रतिशत बोनस दिया जा रहा है जो बोनस अधिनियम के अनुसार न्यूनतम है क्योंकि उन्हें अन्य होटलों को भी चलाना है, जो कोई लाभ नहीं कमा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कुछ समय पूर्व पूछा गया था।

श्री स० मो०बनर्जी : क्या जनपथ होटल के कर्मचारियों को उसी दर से बोनस मिलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने 10 प्रतिशत बताया था। यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य उस समय उपस्थित नहीं थे।

30 नवम्बर 1967 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के कार्य संचालन की जांच करने वाली समिति

*367. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री मयावन :
श्री उमानाथ :
श्री वेदव्रत वरुआ :
श्री न० कु० सांघी :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रामजी राम :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों के कार्य संचालन की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्देश-पद क्या हैं;

(ग) समिति की प्रथम बैठक कब होने की सम्भावना है ; और

(घ) प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी हां।

(ख) यह समिति नई दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के काम का निरीक्षण करेगी और उनमें उपलब्ध चिकित्सा, शल्य और विशेषज्ञ सुविधाओं में सुधार करने के सुझाव देगी।

(ग) 4 दिसम्बर, 1967।

(घ) समिति से कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्ट 6 सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत कर दे।

श्री स० मो० बनर्जी : एक बार पहले जब डा० राम मनोहर लोहिया की मृत्यु तथा अस्पताल के कर्मचारियों की विफलता पर चर्चा कर रहे थे हमें माननीय प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि कुछ गैर सरकारी व्यक्ति, इस सभा के सुप्रसिद्ध सदस्य जो डाक्टर है इस समिति में सम्मिलित किये जायेंगे। क्या इस समिति में इस सभा के कुछ सदस्यों को सम्मिलित किया गया है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जी हां। डा० द० स० राजू, संसद सदस्य, का नाम उसमें जोड़ दिया है।

Shri Madhu Limaye : Is there no non-official person?

श्री ब० सू० मूर्ति : हमने बम्बई के एक शल्य चिकित्सक डा० शान्तिलाल जे० मेहता को उस समिति में सम्मिलित किया है।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे विश्वास है कि श्री सत्य नारायण सिंह के स्वास्थ्य मंत्री बन जाने से अब इस देश का स्वास्थ्य एक स्वस्थ धनवान तथा बुद्धिमान मंत्री के हाथों में है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न के विषय में कहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह समिति जनता से भी कुछ अन्य सूचना एकत्र करेगी क्योंकि वास्तव में शिकायत तो जनता की ओर से है ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : हम जनता को अपनी शिकायत बताने के लिये आमन्त्रित करेंगे।

श्री नायपाई : मंत्री महोदय ने यह स्वीकार कर लिया है कि वह धनवान व्यक्ति है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस सम्मान को स्वीकार कर लिया है।

Shri Hardayal Devgun : Whether government is aware of this fact that many complaints in respect of Government hospitals have been published in the newspapers and so much so that they have been named slaughter houses. In view of this positions whether Members of Parliament or eminent representatives of public of Delhi would be associated with this enquiry Committee so that complaints of the people residing in Delhi could be brought to the notice of the Committee? Whether Government would associate these representatives or Members of Parliament from Delhi on this Committee.

The Minister of Health., Family Planning and Urban Development.

Shri Satya Narayan Sinha : The honble Members must have seen that except Dr. Kothari who has refused to be associated as he has no time, all other medical men have been associated on this Committee. This Committee would examine the conditions of the hospital—what are the requirements of the hospitals—a lay man does not know all these things. However if representatives of people of Delhi or Members of Parliament want to bring to the notice of the Committee, they can do so and the same can be examined.

श्री बेदब्रत बरुआ : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि समिति में केवल चिकित्सा की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है परन्तु इस सभा में बार-बार ये आरोप लगाये गये है कि इन अस्पतालों में बहुत लापरवाही की जाती है और ऐसे लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता जिनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिये। इसलिये क्या मंत्री महोदय इस सभा को यह सूचित करेंगे कि केवल चिकित्सकों को ही नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी समिति में सम्मिलित किया जायेगा और आम जनता से भी उनके विचार पूछे जायेंगे ?

श्री सत्य नारायण सिंह : हमने कहा है कि जनता से उनके विचार पूछे जायेंगे, इसलिये जनता में सभी लोग आ जाते हैं और वे अपनी शिकायतें बता सकते हैं। इस समिति के 9 सदस्य हैं। हम बहुत बड़ी समिति नहीं बनाना चाहते जो कार्य ही न कर सके।

Shri Raghuvir Singh Shastri : It is not only the people of Delhi who are making use of hospitals in Delhi but the patients have been coming here from the areas situated at a distance of 100 miles around Delhi. Keeping in view this position whether Government would appoint a permanent Committee which should continue to see the working, management of these hospitals and should work to remove the difficulties which are coming in the way of working of these hospitals?

Shri Satya Narayan Sinha : The hon'ble Minister may not perhaps be aware that we have appointed study group under the Chairmanship of Shri A. P. Jain and their Report is likely to be submitted in 1st or 2nd. week of Februrary. They are looking into all these things. In case that Committee recommends that a permanent Committee should be appointed we would certainly consider it.

Shri Y. S. Kushwah : Whether the hon'ble Minister will be pleased to state whethere there is any discrimination in treatment of rich and poor patients and whether this Committee would examine this aspect also ?

Shri Satya Narayan Sinha : All the aspects would be examined.

Shri Kanwar Lal Gupta : This is good that a Committee has been appointed. This Committee will have two functions—one is that what are the difficulties with a medical point of view and the second thing is that what other things are lacking. They will examine these two paints. But main grievance of the people of Delhi is that Government has invested money, apparatus is there, eminent doctors are there but their attitude is callous and that of criminal negligence towards patients. Corruption is there. An hon'ble Member has just asked that none of the Members of Parliament from Delhi has been associated on the Committee and in reply thereto the hon'ble Minister has said that they should also express their views before the Committee. When we, the people of Delhi would express our views then the Doctors, who are officers, would give their decision in the matter. This is no good. I want to ask the hon'ble Minister two questions—whether some of the Members of Lok Sabha from Delhi would be associated on this Committee so that they should be party to the decisions to be taken with regard to the removal of difficulties of people of Delhi and the second thing is whether any non-official person will be appointed as Chairman of the Committee ?

Shri Satya Narayan Sinha : Technically we have appointed Director General of Health Services as Chairman of the Committee but otherwise all others are non-officials and all are good people. They will definitely listen to their problems. This Committee consists of 9 members and if we increase the number then it would not function.

Shri Kanwar Lal Gupta : It is alright that they would listen to us but the decision would be taken by the officers. This is the first Committee with regard to Delhi but there is no one representing Delhi.

अध्यक्ष महोदय: आपने प्रश्न पूछा है और आपको उसका उत्तर मिल गया है।

Shri Rabi Ray : When the question of treatment of Dr. Lohia was being discussed then we were informed about this Committee that its Chairman would be Director of Health Services. Director of Health Services is an official and himself a defaulter in this matter. I want to ask the hon'ble Minister whether he would appoint any non-official as Chariman of this Committee, in which people would have their full faith? Why he is adament in the appointment of Director of Health. Services as Chairman if he is himself a defaulter?

Shri Satya Narayan Sinha : Director General of Health Services is the Director General of all the hospitals in the country. Moreover he would retire from service after two months. Therefore there is nothing particular in this matter.

Shri Balraj Madhok : All the hospitals of Delhi are situated in the same area but there is extraordinary expansion of Delhi. The population of Delhi is increasing and residentieal areas have been expanded but there is no hospital located there. Whether this Committee would examine as to how uniform medical facilities can be provided to the people of Delhi? The main problem of Delhi is that when a patient goes to a hospital, he is not treated well and sometime a medical murder takes place but poor people have no means to express their grievances so that the same could be examined. Whether he would appoint such a machinery which should listen to these grievances and redress them?

Shri Satya Narayan Sinha : The study group appointed by us would cover all the subjects. Then there is question of establishing more hospitals, we shall sit together and examine this point.

Shri K. K. Nayar : Will the hon'ble Minister be pleased to let this House know the terms of reference of that Committee? So, many questions have been asked only because the House is not aware of the terms of reference of the committee.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस सम्बन्ध में पहले बता दिया है।

श्री नाथ पाई: क्या मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिला सकता हूँ कि जहां तक दिल्ली के अस्पतालों में इतनी खराब स्थिति का सम्बन्ध है उसके लिये मुख्य रूप से उनका मंत्रालय दोषी नहीं है। इसके दो मुख्य दोषी, जिनकी ओर सभा का और जनता का ध्यान नहीं जा रहा है, वित्त मंत्रालय तथा केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग है। वित्त मंत्रालय द्वारा इन अस्पतालों को धन देने के बारे में कृपणता के कारण अस्पतालों में पुराने उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। मुझे पता नहीं कि क्या अध्यक्ष महोदय, आपको वहाँ जाने का अवसर मिला है (**व्यवधान**)। मुझे जब दिल का दौरा पड़ा था तो मैंने यह खतरा मोल लिया था क्योंकि मैं विमान द्वारा बम्बई नहीं जा सकता था। मेरा सब प्रकार से ख्याल रखा गया था, यदि मैं यह नहीं कहता तो यह अनुचित होगा। मैं इनजेक्शन की सुई के बारे में कह रहा हूँ। सामान्य रूप से अमरीका और योरुप में यह रिवाज है कि एक इंजेक्शन लगाने के बाद सूई का पुनः प्रयोग नहीं किया जाता। जब मैंने दर्द से चिल्लाना शुरू किया जो मैं सामान्य रूप से नहीं करता, तो मुझे बताया गया कि वह सूई दो वर्ष पुरानी थी। हमारे अस्पतालों में इस प्रकार के उपकरण हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या वित्त मंत्री अस्पतालों के स्तर में सुधार करने के विषय में फिर से विचार करेंगे और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इसमें बाधा उपस्थित नहीं करेगा जिससे आधुनिक आर्किटेक्ट और इंजीनियर अस्पतालों का आधुनिकीकरण कर सकें?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : वित्त मंत्रालय ने अस्पतालों में उपयुक्त उपकरण लगाने के बारे में कभी बाधा नहीं डाली और वह कभी भी बाधा नहीं डालेगा।

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग भी इस कार्य में बाधा नहीं डालता है।

अल्प-सूचना प्रश्न

Short Notice Question

दिल्ली में आग लगने की घटना

6. **श्री कंवर लाल गुप्त**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 17 नवम्बर, 1967 को दिल्ली में चाँदनी चौक में आग लग जाने के परिणामस्वरूप जान और माल की कितनी हानि हुई;

(ख) क्या आग लगने के कारणों की जाँच करने का सरकार का विचार है;

(ग) इस घटना के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त लोगों को अपने व्यवसाय को पुनः आरम्भ करने में सहायता देने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या दिल्ली में इस प्रकार बड़े पैमाने पर आग न लगने देने के लिये सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :(क) आग 17 नवम्बर 1967 को नहीं अपितु 18 नवम्बर, 1967 को लगी थी। इसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई किन्तु लगभग 43 लाख रु० की सम्पत्ति की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) जी नहीं। दिल्ली नगर निगम के चीफ फायर आफिसर की, जिसने कि इस मामले की जाँच की थी, रिपोर्ट के अनुसार आग लगने को आकस्मिक बताया गया है और कहा गया है कि वह किसी जलती हुई चीज के गिरने के कारण लगी।

(ग) दिल्ली नगर निगम आग से प्रभावित दुकानदारों और निवासियों के अस्थायी पुनर्वास के प्रश्न पर विचार कर रहा है। नया कटरा के क्षेत्र का, जहाँ आग लगी थी, पुनर्निर्माण करने की योजनायें बना ली गई हैं।

(घ) दिल्ली नगर निगम यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से सर्वेक्षण कर रहा है कि खास-कर चाँदनी चौक के अन्य कटरों और साधारणतया अन्य क्षेत्रों में भी आग लगने के विरुद्ध उपयुक्त सावधानियाँ बरती जायें। निगम यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि विभिन्न व्यापारियों के लाइ-सेन्सों की शर्तों का जहाँ कहीं आवश्यक हो सख्ती से पालन किया जाये।

Shri Prakash Vir Shastri : I would like to submit that in case the original question is in Hindi the reply to it should also be given in Hindi by the Minister concerned.

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : The original question was in English.

Shri Kanwar Lal Gupta : A loss of about Rs, 1,50,00,000 has been caused by the fire. The amount of loss estimated by the hon. Minister is wrong. Material worth rupees 25 lakhs was damaged from the shops which were not insured and the material worth Rs. 35 lakhs was damaged from the shops which were insured. Nearly 100 Shops were burnt. Whether Government propose to give long term loans on reasonable interest and subsidy to the affected people for their rehabilitation. I would like to thank the hon. Prime Minister and Deputy Prime Minister for their visit to the affected area. I would like to know about the action they propose to take in this regard after visiting the site.

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जब तक दिल्ली प्रशासन कोई प्रस्ताव नहीं भेजेगा तब तक केन्द्रीय सराकार के लिये इस संबंध में विचार करना संभव नहीं होगा।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहाँ तक क्षति का अनुमान लगाने का संबंध है दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में उन व्यापारियों से सम्पर्क स्थापित किया था जो इस आग से प्रभावित हुये हैं और इन व्यापारियों द्वारा क्षति का जो अनुमान लगाया है उसके अनुसार ही दिल्ली प्रशासन ने भी क्षति का अनुमान लगाया है। उन्होंने बताया है कि आग के कारण 3 लाख रुपये के सामान का नुकसान हुआ है और 4 लाख रुपये की इमारत, फर्नीचर आदि का नुकसान हुआ है। जहाँ तक सहायता का संबंध है, उप प्रधान मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि यदि इस संबंध में कोई विशेष प्रस्ताव भेजा जायेगा तो हम उस पर विचार करेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta : The fire broke out in the Katra because there was too much of congestion and the entrance of the Katra was so much straitened that it obstructed the fire brigade in extingushing the fire. There are other markets, Bazars and Katras in congested areas which are linked by narrow passages. I would like to know whether the Government propose to draw up a phased programme and allocate funds to the Corporation for shifting such markets from congested areas with a view to prevent such incidents?

Shri Vidya Charan Shukla : I agree with the assessment made by the hon. Member. The Chief Engineer of Delhi Municipal Corporation is carrying out a survey of the site with a view to carry out rehabililation work and prevent such incident.

Shri Kanwar Lal Gupta : Whether funds would be allocated for this work by the Central Government?

Shri Vidya Charan Shukla : The question of funds will arise only after the programme is drawn up.

श्री उमानाथ : इस अग्निकांड की दुर्घटना से प्रभावित लोगों में 61 व्यक्ति ऐसे हैं जो आग से जलने वाली दुकानों के नीचे वाली दुकानों में काम करते थे। उन्हें अपने निवास और सामान आदि से हाथ धोना पड़ा और वे सर्दी के इन दिनों में अपने बच्चों के साथ खुली हवा में रह रहे हैं। क्योंकि दिल्ली प्रशासन से इन लोगों को कोई सहायता नहीं मिली है, अतः दीर्घ-कालीन पुनर्वास योजना के अतिरिक्त क्या केन्द्रीय सरकार गलीकूचों में कठिनाई उठाने वाले इन लोगों के परिवारों की कुछ सहायता करना चाहती है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : आग लगने के बाद इन लोगों की तुरन्त सहायता की गई थी। दीर्घकालीन सहायता को भी इसके साथ ही मिला दिया गया है।

श्री उमा नाथ : उनके आवास के बारे में क्या कुछ किया गया है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : पहले उनके लिये गाँधी मैदान में तम्बू लगाये गये थे। कुछ धर्मशालाओं में भी उनके आवास की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद उन दुकानदारों ने, जिनके साथ वे काम करते थे, यह काम अपने हाथ में लिया। मैं इस समय यह नहीं कह सकता हूँ कि क्या बाद में क्या कुछ व्यवस्था की गई है किन्तु सहायता के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

Shri Prem Chand Verma : I would like to know whether it is a fact that shops have been opened everywhere in streets and markets in Delhi during the last six months?

अध्यक्ष महोदय : संभवतः माननीय सदस्य को यह मालूम नहीं है कि अनुपूरक प्रश्न पूछना आवश्यक नहीं है।

श्री बलराज मधोक : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि अधिक भीड़भाड़ और घनी आबादी होने के कारण ही वहाँ पर आग लगी तथा उस क्षेत्र में इतनी भीड़भाड़ है कि वहाँ पर सामान्य सुविधाओं की तो बात ही क्या करनी है आग लगने पर उसे बुझाने के लिये नलों का पानी भी नहीं मिल सकता है। क्या सरकार किसी ऐसे खुले स्थान पर बाजार स्थापित करना चाहती है जहाँ पर इन सभी कटरों की दुकानों को स्थान दिया जा सके जिससे दिल्ली और इसके आस पास के क्षेत्रों के लिये कपड़े का एक बड़ा बाजार खोला जा सके ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहाँ तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दिल्ली नगर निगम के चीफ इंजीनियर आग से प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहे हैं। यदि सम्पूर्ण कपड़े के मार्केट को किसी दूसरे नये स्थान पर ले जाने और एक पूर्णतया नया बाजार खोलने का प्रस्ताव प्राप्त होगा तो हम उस पर अवश्य विचार करेंगे।

Shri A. B. Vajpayee : Whether some assistance has been given to the workers in the shops affected by the fire from Prime Minister's Relief Fund, and if not, the reasons therefor?

Shri Vidya Charam Shukla : So far it has not been felt necessary to provide such relief as immediate relief was provided to these people by Delhi Municipal Corporation. After that the traders with whom they worked began to look after them. If any such proposal had been received from Delhi Municipal Corporation, it would have been looked into.

Shri A. B. Vajpayee : Is it necessary that a proposal should be made for seeking assistance from Prime Minister's Relief Fund ? Cannot the assistance be given to those whose houses have been burnt and who have been deprived of their jobs from Prime Minister's Relief Fund without any proposal made in this regard?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : When I went there to see them, I was told that they would let me know what sort of assistance should be given to them.

Shri Kanwar Lal Gupta : Did you not receive anything in writing?

Shrimati Indira Gandhi : So far as I remember I did not receive anything in writing. I was not told even verbally about it.

श्री नरेन्द्र सिंह महोड़ा : क्या सरकार ऐसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के लिये जहाँ नाइलोन आदि ज्वलनशील सामान रखा रहता है, अनिवार्य बीमा योजना लागू करना चाहती है ? क्या सरकार इन दुकानों के लिये अनिवार्य बीमा योजना लागू करने पर विचार करेगी ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह एक ऐसा सुझाव है जिस पर दिल्ली नगर निगम कार्यवाही कर सकता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये बिजली की समान दर

*368. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिजली की समान दरें निर्धारित कराने के लिए और क्या कार्यवाही की गयी है:

(ख) क्या इस प्रश्न पर राज्य सरकारों से बातचीत की गयी है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। (**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०-1801/67**)

व्यापार गृहों को जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण दिया जाना

*369. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966–67 में जीवन बीमा निगम द्वारा उद्योगों को दिये गये ऋण की अधिकतर राशि उन व्यापार गृहों के हाथों में चली गई है, जिनका उल्लेख एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन में किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन व्यापार गृहों को दिये गये ऋण की कुल राशि कितनी है;

(घ) क्या जीवन बीमा निगम की पूंजी निवेश तथा ऋण नीति का मार्गदर्शन करने के लिए सरकार द्वारा कोई सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं; और

(ड़) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) वर्ष 1966–67 में सभी पार्टियों को मंजूरशुदा और दिये गये क्रमशः 12.15 करोड़ और 4.86 करोड़ रुपये के कुल ऋणों में से एकाधिकार जाँच आयोग की रिपोर्ट उल्लिखित व्यापार संस्थाओं को उसी वर्ष में क्रमशः 3.50 करोड़ और 2.61 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किये गये और बाँटे गये। जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण, उद्योगपतियों के बड़े अथवा छोटे होने का विचार किये बिना आवेदनपत्रों की पात्रता के आधार पर दिये जाते हैं।

(घ) और (ङ) जीवन बीमा निगम द्वारा दिये जाने वाले ऋण और लगाई जानेवाली पूंजी, 1938 की धारा 27 (क) के उपबन्धों से जिस रूप में वे निगम को लागू होते हैं, तथा 25 अगस्त 1958 को वित्त मंत्रालय द्वारा लोक सभा में दिये गये वक्तव्य में निरुपित सिद्धान्तों से अनुशासित होते हैं।

इन्द्रप्रस्थ बिजलीघर

*370. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री राममूर्ति : **श्री नम्बियार :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर 1967 में उप प्रधान मंत्री द्वारा इन्द्रप्रस्थ बिजली घर के पहले विस्तार कारखाने का उद्घाटन जिस दिन किया गया था, वह कारखाना उसी दिन बन्द हो गया था :

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण थे; और

(ग) क्या इस मामले की जाँच करने का सरकार का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) पहला विस्तार एकक 3 नवम्बर, 1967 को खोला गया था। उत्तर प्रदेश के विद्युत प्रबन्ध के साथ जुड़ने के कारण विद्युत भार बहुत बढ़ जाने से 4 नवम्बर, 1967 की प्रातः को मशीन जल गई। तब से विद्युत संबंध में परिवर्तन कर दिया गया है ताकि वह इक्का दुक्का विद्युत भार झेल सके। मशीन 8 नवम्बर, 1967 से पुनः चालू कर दी गई है। क्योंकि यह एकक असामान्य परिस्थितियों में जला था इसलिये इस संबंध में कोई जाँच आवश्यक नहीं समझी गई।

नेशनल एंड ग्रिंडलेज बैंक

*371. **श्री जि० ब० सिंह :** **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री श्रीधरन :

क्या **वित्त** मंत्री 27 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1433 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेयर जारी करने के बारे में मंत्रणा देने तथा शेयरों का निम्नांकन करने के लिये नेशनल एंड ग्रिंडलेज बैंक को विशेष निगम-गृह के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के प्रश्न पर इस बीच विचार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) नेशनल एंड ग्रिंडलेज बैंक ने इस संबंध में अभी अपने सुझाव नहीं दिये हैं।

राज्यों मे आवास मंत्रियों का सम्मेलन

*372. **श्री मयाबन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री भगवान दास : **श्री रमानी :**
श्री प० गोपालन : **श्री उमा नाथ :**
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 नवम्बर, 1967 को मद्रास में राज्यों के आवास मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें किन-किन विषयों पर विचार किया गया था;

(ग) उसमें क्या-क्या निर्णय किये गये; और

(घ) उन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी हाँ, 8 से 10 नवम्बर, 1967 तक।

(ख) आवास, नगर-आयोजना तथा नगर-विकास।

(ग) सम्मेलन के द्वारा की गयी सिफारिशों के सारांश का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1802/67)**

(घ) संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, प्राधिकरणों, राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों के प्रशासनों के परामर्श से सिफारिशों पर कार्यवाही की जायेगी।

गुजरात में पैट्रोलियम गैस ग्रिड

*373. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में एक पैट्रोलियम गैस ग्रिड स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उसे कार्यान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंडेन गैस

*374. **श्री स० च० सामन्त :** **श्री मधु लिमये :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयल कम्पनी द्वारा तैयार की गई इंडेन गैस को बेचने में कितनी सफलता मिली है तथा अन्य कम्पनियों को ऐसी गैस बेचने में प्राप्त हुई सफलता की तुलना में यह सफलता कैसी है;

(ख) क्या इंडियन आयल कम्पनी चालू पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस गैस की समस्त आवश्यकता की पूर्ति करने की स्थिति में है; और

(ग) लागत तथा अन्य खर्चों को निकालने के बाद इंडियन आयल कम्पनी को इस गैस से कितना लाभ प्राप्त होता है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता):

(क) इंडियन आयल कारपोरेशन ने अक्टूबर, 1965 में तरलीकृत पैट्रोलियम गैस (इंडेन) को बेचना शुरू किया। इस समय कलकत्ता, पटना, जमशेदपुर, राँची, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली और बरौदा में बेची जा रही है। अक्तूबर, 1967 के अन्त तक कारपोरेशन में उपर्युक्त मण्डियों में लगभग 29,400 उपभोक्ता थे। इण्डियन आयल कारपोरेशन ने दो साल की एल० पी० जी० (L.P.G.) की विक्रय के बाद, जो इंडेन गैस की विक्रय प्राप्त की है, उसकी तुलना प्राइवेट कम्पनियों की विकास के ऐसे ही काल में भी की गई बिक्री से, भली प्रकार की जा सकती है।

(ख) तरलीकृत पैट्रोलियम गैस सलिण्डरों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि होने पर इण्डियन आयल कारपोरेशन अपनी शोधनशालाओं द्वारा सेवित क्षेत्रों में इस गैस की आवश्यकताओं को समुचित रूप से पूरा कर सकता है।

(ग) इण्डियन आयल कारपोरेशन के लेखे अपने सारे कार्यों के समस्त लाभों को बताते हैं; उत्पाद-अनुसार लाभ निर्धारित नहीं किया जाता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये संगणक (कम्प्यूटर)

*375. **डा० रानेन सेन:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के लिये विद्युत-चालित संगणकों का आयात करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने संगणकों का आयात किया जायेगा;

(ग) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं, जिनका विचार इनका उपयोग करने का है;

(घ) क्या यह सच है कि इन संगणकों के आयात के बारे में श्रम मंत्रालय से परामर्श नहीं किया गया था; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत):

(क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1803/67]

चिट फण्ड योजनाएं

*376. **श्री राम कृष्ण गुप्त:** क्या **वित्त** मंत्री 10 अगस्त, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1731 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चिट फण्ड योजनाओं के कार्य संचालन का नियंत्रण और विनियमन करने के लिये एक केन्द्रीय कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय जाँच विभाग द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) और (ख) केन्द्रीय जाँच कार्यालय के सुझावों पर अभी विचार किया जा रहा है।

भारतीय मुद्रा को चोरी छिपे विदेशों में ले जाया जाना

*377. **श्री अमृत नहाटा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय मुद्रा मध्य यूरोप तथा पश्चिम एशिया के देशों में बड़े पैमाने पर चोरी छिपे ले जाई जा रही है, और वहाँ से चीन तथा पाकिस्तान द्वारा हमारी सीमाओं पर तोड़ फोड़ की कार्यवाहियाँ करने के लिए इसका प्रयोग करने हेतु इसे कम मूल्य पर खरीद लिया जाता है; और

(ख) इसे रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) सरकार के पास प्राप्त जानकारी से न तो भारतीय मुद्रा के भारत के बाहर बड़े पैमाने पर चोरी छिपे ले जाये जाने का कोई संकेत मिलता है, और न हमारी सीमाओं पर तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों के निमित्त काम में लेने के लिए किसी देश द्वारा भारतीय मुद्रा खरीदे जाने का कोई संकेत मिलता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में विदेशी पूंजी का विनियोजन

*378. **श्री रा० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक संस्थानों में बढ़ती हुई श्रमिक अशान्ति के कारण हाल में भारत में विदेशी पूंजी का विनियोजन काफी कम हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या अनुमान है; और

(ग) विदेशी पूंजीपतियों को भारत में विनियोजित उनकी पूंजी की सुरक्षा के बारे में विश्वास दिलाने तथा अधिक विदेशी पूंजी विनियोजन आकर्षित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) : इसमें सन्देह नहीं कि औद्योगिक उत्पादन पर श्रमिक-अशान्ति का बुरा प्रभाव पड़ा है; फिर भी यह कहना कठिन है कि इस अशान्ति के कारण देश में विदेशी पूंजी के निवेश में भी कमी हुई है।

(ग) सरकार औद्योगिक अशान्ति के कारणों को दूर करने के उपायों के सम्बन्ध में और समय-समय पर उत्पन्न होने वाले औद्योगिक झगड़ों को शान्तिपूर्वक और उचित तरीकों से निपटाने के लिये राज्य सरकारों से लगातार सम्पर्क बनाये हुए है। मई, 1967 में स्थायी श्रम-समिति की जो बैठक हुई थी उसमें भी इस विषय पर विचार किया गया था। समिति ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें "घेराव" की निन्दा करते हुए यह कहा गया था कि उनसे मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच के शान्तिपूर्ण सम्बन्धो के उस आधार को ही खतरा पहुँचता है, जो त्रिपक्षीय विचार-विमर्श और बातचीत से देश में बना है।

सरकार आम विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के विभिन्न उपायों पर सदा विचार करती रहती है। सरकार का यह भी विचार है कि विदेशी पूंजी के निवेश से सम्बन्धित प्रस्तावों के बारे में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने के लिये विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना करके कार्य-प्रणाली को दोष-रहित बनाया जाय।

Increase in Electricity Rates for Agricultural Purposes

*380. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission have suggested to increase the rate of electricity and water supplied for agricultural purposes ; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1804/67]**

Foreign Investment in Petroleum and Chemicals Industry

*381. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the amount of foreign investment in the Petroleum and Chemicals Industry ;

(b) the terms and conditions thereof ;

(c) the extent of annual profits being taken out of the country ; and

(d) the amount being remitted abroad in the form of pay and allowances paid to the foreign personnel employed in these industries and the number of such personnel ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) The amount of foreign investment in the Petroleum and Chemicals Industry as on 31st March 1965 was Rs. 275.2 crores. Of this, Rs. 177.8 crores was in the Petroleum industry and Rs. 97.4 crores in chemicals and allied products.

(b) The terms and conditions of investment are settled between the parties concerned, with the approval of the Government of India in each case and no simple discription of them is is possible in this reply.

(c) During 1965, the profit before interest and taxation in respect of foreign Oil companies processing and marketing bulk refined products was about Rs. 18.87 crores. The Oil companies will be entitled to make remittances from the profits after deduction of taxes.

In addition, as its share of the dividend relating to Oil India Limited for the year 1965, M/s. Burmah Oil Company remitted Rs. 1.26 crores to U. K.

As regards the Chemical Industry, similar information is not readily available.

(d) The information is not available.

पेरिस में हुई भारत सहायता सार्थ संघ की बैठक

*382. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : **श्री मणि भाई पटेल** :
श्री रा० बरुआ : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1968-69 के लिये विदेशी सहायता सम्बन्धी भारत की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिये 13 तथा 14 नवम्बर, 1967 को पेरिस में भारत सहायता सार्थ-संघ का एक अधिवेशन हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम रहा और क्या सार्थ-संघ द्वारा की गई सिफारिशें भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं;

(ग) चालू वर्ष में वापिस किए जाने वाले ऋणों की अदायगी को स्थगित करने के किस तरीके पर सार्थ-संघ अन्तिम रूप में सहमत हुआ है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई सुझाव दिए गए हैं कि भारत द्वारा प्राप्त की जाने वाली विदेशी सहायता की राशि किस प्रकार तथा किस रूप में लागयी जाय जिससे शीघ्र परिणाम प्राप्त हो सकें?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क) और (ख) भारत सहायता संघ की बैठक में, जो 13 और 14 नवम्बर, 1967 को पेरिस में हुई थी, अन्य बातों के साथ-साथ प्रारम्भिक रूप से इस बात पर विचार किया गया था कि 1968–69 में गैर-प्रायोजना और प्रायोजना-सम्बन्धी कार्यों के लिए अनुमानतः कुल कितनी नयी सहायता की आवश्यकता होगी। विश्व-बैंक द्वारा तैयार किए गए विश्लेषण के आधार पर सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रायोजना से भिन्न कामों के लिए अपेक्षाकृत अधिक सहायता की आवश्यकता बनी रहेगी और प्रायोजना सम्बन्धी सहायता, हाल के समय के मुकाबले, अधिक मात्रा में देने के वचन देने की जरूरत होगी। इस बात का ठीक-ठीक पता न होने के कारण कि कितनी सहायता प्राप्त होगी, इसके पर्याप्त होने या न होने के बारे में कोई निश्चय नहीं किया जा सकता।

(ग) यद्यपि सहायता संघ के कुछ सदस्य देशों ने सीमित मात्रा में ऋण-शोधन सम्बन्धी राहत देना स्वीकार कर लिया है, पर सहायता संघ ने ऋण-शोधन सम्बन्धी राहत के बारे में अन्तिम फैसला नहीं किया है। इस प्रश्न पर विश्व बैंक की ओर से विचार किया जा रहा है और आशा है कि सहायतासंघ इस विषय पर अगले वर्ष के शुरू में विचार करेगा।

(घ) इस समय हमें जो विदेशी सहायता मिल रही है उसका अधिकांश मुख्यतः गैर-प्रायोजना सहायता के रूप में मिलता है और इसका उपयोग सहायता संघ के सदस्यों के परामर्श से रासायनिक खाद और खेती की अन्य आवश्यक वस्तुओं को आयात तथा औद्योगिक उत्पादन और आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए मशीनों के हिस्सों, कच्चे माल और फालतू पुर्जों का आयात करने के लिये किया जाता है। इस प्रकार ऐसे उत्पादन कार्यों के लिए सहायता का उपयोग किए जाने पर पहले से ही बल दिया जा रहा है जिनसे शीघ्र फल प्राप्त हो सके।

हल्दिया में उद्योग-समूह का विकास

*383. **डा० रानेन सेन** : **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हल्दिया में उद्योग-समूह के विकास के बारे में सरकार ने हाल में पश्चिम बंगाल के मंत्री के साथ किसी योजना पर विचार विमर्श किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उस योजना का स्वरूप क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वृद्धावस्था पेंशन योजना

*384. **श्री स. चं० सामन्त :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू है;

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं और इस योजना को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) जी हाँ।

(ख) आँध्र प्रदेश, केरल, मद्रास, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल और चण्डीगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश के केन्द्रीय प्रशासित प्रदेश।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

फारेन बैलेंसिज

*385. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के पास जितने फौरन बैलेंसिज़ थे, क्या उनमें बहुत कमी हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी कमी हो गई है तथा इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) इसमें कुछ कमी हुई है। भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि (इसमें 182.52 करोड़ रुपए—2434 लाख डालर का सोना शामिल नहीं है) जो 18 नवम्बर, 1966 को 271.30 करोड़ रुपए (3617 लाख डालर) थी, घट कर 17 नवम्बर, 1967 को 254.99 करोड़ रुपए (3,400 लाख डालर) रह गयी। इस कमी के मुख्य कारण ये हैं कि ऋण सेवा सम्बन्धी अदायगियों और अन्न के आयात पर अधिक खर्च करना पड़ा।

Production of Kerosene Oil

*386. **Shri Maharaj Singh Bharati.** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that kerosene oil production capacity in the country is not being utilized fully and the kerosene oil is being imported ;

(b) whether it is also a fact tht the imported kerosene oil is superior in quality to the indigenous kerosene oil ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the steps taken to utilize the indigenous capacity fully and save the foreign exchange)?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta):

(a) No, Sir. Capacity is used to the fullest extent. But since this capacity is less than the demand at present, imports are resorted to meet the deficit.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से सम्बन्ध में बैंकरों का सम्मेलन

*387. **श्री मरंडी :** **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री रामावतार शर्मा :**
महन्त दिग्विजय नाथ : **डा० सूर्य प्रकाश पुरी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की सरकारी योजना के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिए उन्होंने 9 नवम्बर, 1967 को बैंकरों का एक सम्मेलन बम्बई में बुलाया था, और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या-क्या परिणाम निकले हैं?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) उप-प्रधान मंत्री ने कुछ भारतीय तथा विदेशी बैंकों के मालिकों से अनौपचारिक बात-चीत की थी जिसमें बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण संबंधी प्रश्नों पर भी चर्चा हुई थी।

(ख) बैंक मालिकों ने सामाजिक नियंत्रण सम्बंधी कार्यों में सरकार के साथ पूरा पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है।

अमरीकी व्यापारियों के लिये वाणिज्यिक व्यापार के अवसर

*388. **श्री यशपाल सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी मुद्रा की कमी के कारण अमरीकी व्यापारियों के लिए वाणिज्यिक व्यापार के अवसर सीमित हो गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस कमी को दूर करने के लिये कोई उपाय करने का विचार है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) चूंकि वाणिज्यिक व्यापार के अवसरों के लिए विदेशी मुद्रा की कमी होने की बात कही गयी है, इसलिए यह मान लिया जाता है कि माननीय सदस्य का आशय भारत द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा से किए जाने वाले आयात से है। यदि यह ठीक है तो ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है जिससे विदेशी मुद्रा की कमी से अमरीकी व्यापारियों के, भारत को निर्यात करने के अवसर अन्य मित्र देशों के व्यापारियों की अपेक्षा अधिक सीमित हो जायं।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता।

मजूरी, मूल्य, लाभांश वृद्धि को रोकने के सरकारी निर्णय का समय से पूर्व पता चल जाना

*389. **श्री मधुलिमये :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि मजूरी, मूल्य, लाभांश वृद्धि रोकने के सरकारी निर्णय के बारे में कुछ बातों का पता अगस्त, 1967 में जनता को समय से पहले लग गया था;

(ख) क्या इस सूचना के प्रकट हो जाने का शेयर मार्केट पर कोई प्रभाव पड़ा था;

(ग) क्या सरकार के निकटस्थ कुछ व्यक्तियों ने शीघ्र मुनाफा कमाने के लिये इसका अनुचित लाभ उठाया था;

(घ) क्या इस सूचना के प्रकट होने के बारे में जाँच का आदेश दिया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) सरकार ने कुछ समाचारपत्रों में छपे समाचार देखे हैं, जो मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले संभाव्य उपायों के बारे में प्रकाशित बहुत-से कल्पित समाचार से भिन्न नहीं हैं।

(ख) इन समाचारों का शेयर बाजार पर कुछ प्रभाव पड़ा था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) चूंकि सरकार का कोई भी निर्णय समय से पहले प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए इस सम्बन्ध में जांच के लिए आदेश देना आवश्यक नहीं समझा गया।

Tax on Agricultural Income

*890. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Planning Commission has suggested to levy agicultural income-tax and also to have uniform tax on agricultural income and other incomes in the entire country ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) the State Governments which have accepted the suggestion ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant). (a) Yes, Sir.

(b) The suggestion is still in a preliminary stage of consideration.

(c) The suggestion has not yet been referred to the State Government for their comments.

भारत के रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों को सहायता

2410. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के रक्षित बैंक द्वारा सब राज्यों को क्या-क्या वित्तीय सहायता अर्थात् निर्धारित राशि से अधिक राशि, ऋण, अग्रिम धनराशि आदि, दी गयी है; और

(ख) भारत के रक्षित बैंक ने प्रत्येक राज्य के लिये निर्धारित राशि से अधिक राशि निकालने के बारे में क्या सीमा निर्धारित की है?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) रिज़र्व बैंक अर्थोपाय पेशगियों के रूप में जो दिए जाने की तारीख से तीन महीने के अन्दर वापिस करनी होती है, राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देता है। ये पेशगियाँ बिना जमानती और जमानती दोनों प्रकार की होती हैं जो राज्य सरकारों के पास रखी हुई भारत सरकार की प्रतिभूतियों के विरुद्ध दी जाती है। इसके अतिरिक्त, बैंक द्वारा भी राज्य सरकारों का सहकार्य समितियों की अंशपूंजी में अंशदान करने के लिये ऋण दिये जाते हैं जो 20 वर्ष के अन्दर वापिस करने पड़ते हैं।

(ख) बैंक द्वारा राज्य सरकारों को मिलने वाली अर्थोपाय पेशगियों की वर्तमान प्राधिकृत सीमायें इस प्रकार हैं:

(लाख रुपयों में)

राज्य	बिना जमानत की अग्रिम राशियों की सीमायें	भारत सरकार की प्रतिभूतियों के विरुद्ध विशेष अर्थोपाय अग्रिम राशियों की सीमायें*
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	1,50	5,00
आसाम	60	2,60
बिहार	1,05	3,50
गुजरात	1,05	2,10
हरियाना	45	90
केरल	90	3,75
मध्य प्रदेश	1,20	2,80
मद्रास	1,65	3,30
महाराष्ट्र	2,25	4,50
मैसूर	1,20	2,75
नागालैंड	15	30
उड़ीसा	90	1,80
पंजाब	90	4,80
राजस्थान	90	1,80
उत्तर प्रदेश	2,55	10,00
पश्चिम बंगाल	1,50	3,00

*ये कालम 2 में दी गई सीमाओं से सामान्यतः दुगनी होती है। तथापि रिज़र्व बैंक को आवश्यक हो, अधिक राशियाँ भी दे देता है, बशर्ते बैंक के पास जमानत के तौर पर रखने के लिए राज्यों के पास भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ हों।

चन्दा जिले में आदिम जातियों के कल्याण के लिये विकास कार्य

2411. **श्री कु० मा० कौशिक**: क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1962 से लेकर 1967 तक की अवधि में चन्दा जिले में, जिसमें आदिम जातियों की पर्याप्त जनसंख्या है, केन्द्रीय सरकार द्वारा कौन से विकास कार्य आरम्भ किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि में वर्षवार कितनी धनराशि व्यय की गयी; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से माँगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Educational and Financial Facilities for Scheduled Castes

2412. **Shri Deorao Patil:** **Shri O. P. Tyagi:**

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to extend educational and financial facilities enjoyed by the people of Scheduled Castes and **Advisis** who have changed their religion; and

(b) if so, when and in which States the facilities would be provided ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha): (a) and (b) In terms of the various orders specifying Scheduled Castes, no person who professes a religion different from the Hindu or the Sikh religion, shall be deemed to be a member of a Scheduled Caste. There is no such restriction in the case of Scheduled Tribes.

गुजरात में नये सरकारी कारखाने

2413. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय आयोजना में गुजरात के सरकारी क्षेत्र में किसी बड़े कारखाने के लगाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस उद्योग का रूप क्या है और वह कहाँ स्थापित किया जायगा ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय आयोजना के प्रारूप में सरकारी क्षेत्र की निम्नलिखित प्रायोजनाओं के गुजरात राज्य में स्थापित किए जाने की व्यवस्था की गयीं हैं:

प्रायोजना का नाम	**प्रस्तावित खर्च** (करोड़ रुपयों में)
1. पेट्रो-रासायनिक संयंत्र, कोयाली	47.00
2. मशीनी औजार संयंत्र, भावनगर	14.60
3. खरगोडा नमक कारखाना, खरगोडा	0.50

आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने और मशीनी औजारों की माँग में कमी होने के कारण भावनगर की मशीनी औजार प्रायोजना को लागू करने के काम के स्थगित किए जाने की सम्भावना है।

Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.

2414. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8702 on the 10th August, 1967 and state :

(a) whether the inquiry in respect of M/s Oriental Timber Trading Corporrtion (P) Ltd. has since been completed ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Loan taken by M/s Jhunjhunwala and Bros., Bombay

2415. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7820 on the 3rd Angust, 1967 and state :

(a) whether the inquiry in respect of the loan taken by M/s Jhunjhunwala and Bros. of Bombay has since been completed ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

M/s J. P. & Sons, Oriental Timber Trading Corporation and Mckanzies Ltd., Bombay.

2416. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7828 on the 3rd August, 1967 and state :

(a) whether the inquiry being conducted in respect of the persons connected with the transactions of M/s J. P. & Sons, Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd., and Mckanizies Ltd., Bombay has since been completed ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the further time likely to be taken thereon ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai).:

(a) No, Sir.

(b) Does not atise.

(c) The enquiries in the case of M/s J. P. & Sons are likely to be completed by the end of the current financial year. In respect of the other two cases, since the tansactions to be verified are numerous, it is not possible to say how much time will be taken to complete the investigations. Every effort is being made to complete the investigations as early as possible.

M/s Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.

2417. **Shri Nihal Singh** : Will the Ministeter of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7819 on the 3rd August, 1967 and state :

(a) whether the inquiry in respect of income-tax evasion by M/s Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. has since been completed ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कच्चे तेल का मूल्य

2418. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा अन्य कम्पनियों जैसे 'बर्मा शैल' 'एस्सो' तथा भारतीय तेल निगम के बीच गुजरात से इन कम्पनियों को सप्लाई किए गए कच्चे तेल के मूल्य के बारे में झगड़े का पता है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि यह झगड़ा उनके मंत्रालय के पास भेज दिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसकी अन्तिम सिफारिशें क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) और (ख) बम्बई के शोधक कारखानों के साथ हुए समझौते के उपबन्ध के अनुसार इन कारखानों द्वारा 1961 में मध्यपूर्व से आयात हुए कच्चे तेल की दो किस्मों के मूल्य का सीधा औसत मूल्य निश्चित करना है। आसाम को कच्चे तेल का आयात बन्द करने के पश्चात् दोनों तेल शोधक कारखानों अर्थात् बर्मा शैल तथा एस्सो और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच

हुए करार की मूल्य संबंधी धारा की व्याख्या में मतभेद हो गया है। भारतीय तेल निगम और इस आयोग में मतभेद आयोग द्वारा मूल्य-ढाँचे के विभिन्न अंगों के संबंध में है।

(ग) जी नहीं। मंत्रालय को कोई मामला निर्णय के लिए नहीं भेजा गया।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में बड़ी सिंचाई योजनाएं

2419. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रति व्यक्ति सिंचित भूमि सारे देश की तुलना में गुजरात राज्य में सब से कम है; और

(ख) इस असमानता को ध्यान में रखते हुए क्या कारण हैं कि केन्द्रीय सरकार ने गुजरात राज्य के लिये कोई बड़ी सिंचाई योजना मंजूर नहीं की है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) जी हाँ।

(ख) गुजरात में कई बड़ी सिंचाई योजनाएँ प्रगति के विभिन्न चरण में चालू हैं। वे हैं—

माही—प्रथम चरण
ककरपाड़ा
बानस (दंतीवाड़ा)
डकाई
नर्मदा
काड़ना
हाथमति

इन योजनाओं के पूरा होने पर प्रति व्यक्ति सिंचाई काफी बढ़ जाएगी।

गंदी बस्तियों की सफाई पर दिल्ली नगर निगम द्वारा खर्च की गई राशि

2420. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली नगर निगम को अभी तक उस राशि की अदायगी नहीं की है जो निगम ने राजधानी में गंदी बस्तियों की सफाई पर खर्च की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि निगम ने उन सब कटरों में, जिन्हें गत कुछ वर्षों में धन के अभाव के कारण पुनर्वास मंत्रालय द्वारा निगम को सौंपा गया था, आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं की हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिये निगम को और अधिक धन देने का है?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 1962 में जारी की गई हिदायतों के अनुसार दिल्ली नगर, निगम को गंदी बस्तियों सफाई तथा सुधार योजना के अन्तर्गत सुधार कार्य करने के लिए विशेष योजनाएं तैयार करने और उनके लिये प्रशासनिक मंजूरी तथा व्यय-स्वीकृति दिल्ली प्रशासन से लेनी होती है। निगम ने ऐसा नहीं किया और बताया जाता है कि 31 मार्च, 1967 तक उन्होंने इस कार्य पर 50.3 लाख रुपए खर्च किए हैं। यद्यपि सामान्यतः दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रशासिनक मंजूरी नहीं प्राप्त गंदी बस्ती सुधार कार्यों के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाना चाहिये, फिर भी इस मद के लिये 37.10 लाख रुपए उन्हें दिए गए हैं। दिल्ली प्रशासन को सलाह दी गयी है कि वह यह जाँच करे कि क्या जो व्यय किया गया है अथवा कथित 50.30 लाख रुपए का व्यय कहाँ तक योजना के उपबन्धों के अन्तर्गत आता है और वह इस व्यय को नियमित कर दे।

(ग) निगम ने 2433 सम्पत्तियाँ पुनर्वास मंत्रालय तथा दिल्ली प्राधिकार से अपने अधिकार में ली हैं। सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के पश्चात् निगम ने उन्हें बनाये रखने के लिये उनकी काफी मरम्मत कराई है। इन कटरों में यथा संभव मूल सहूलियतें भी उपलब्ध की गई हैं।

(घ) दिल्ली के लिये गंदी बस्ती सफाई योजना (गंदी बस्ती वाले क्षेत्रों में सुधार समेत) के अन्तर्गत वर्ष 1967–68 में केन्द्रीय सरकार द्वारा 69 लाख रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं।

भारतीय राज्य बैंक द्वारा दिये गए विज्ञापन

2421. **श्री बाबू राव पटेल** :क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय राज्य बैंक ने 1966–67 में समाचारपत्रों और नियत कालिक पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित कराने पर कितनी रकम खर्च की ;

(ख) 1966–67 में विभिन्न भाषाओं के जिन समाचारपत्रों और नियतकालिक पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन दिए गए उनके नाम क्या हैं और उन्हें दिए जने वाले विज्ञापनों का कुल स्थान और उनका रुपयों में मूल्य कितना है;

(ग) विज्ञापनों के लिए समाचारपत्र और पत्रिकायें चुनने का मापदण्ड क्या है और क्या भारतीय राज्य बैंक उन सभी समाचारपत्रों और पत्रिकाओं की ग्राहक-संख्या का रिकार्ड रखता है जिन्हें वह विज्ञापन देता है;

(घ) उस विज्ञापन अभिकरण (एजेंसी) या विज्ञापन अभिकारणों के नाम क्या हैं जिनके द्वारा विज्ञापन दिये गये थे और 1966–67 में कमीशन या पारिश्रिमिक या सेवा सम्बन्धी खर्च के रूप में उन्हें कितनी रकम दी गयी;

(ङ) विज्ञापन अभिकर्ता या विज्ञापन अभिकर्ताओं और भारतीय राज्य बैंक के बीच हुए करार का मुख्य ब्योरा और इस करार की अवधि क्या है;

(च) समाचारपत्रों और नियतकालिक पत्र-पत्रिकाओं के अलावा क्या किसी और साधन का भी उपयोग किया गया था; और

(छ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और उन साधनों पर 1966–67 में कितना रुपया खर्च किया गया और उस अभिकर्त्ता या उन अभिकर्त्ताओं के नाम क्या है जिनके द्वारा ऐसे साधनों का उपयोग किया गया था और उन्होंने 1966–67 में कमीशन के रूप में कितनी रकम कमाई?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (छ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे यथासमय सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

औद्योगिक वित्त निगम

2422. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1966-67 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने कितने और कितनी रकम के ऋण मंजूर किए और उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्हें ये ऋण दिए गए;

(ख) कितने और कैसे औद्योगिक एककों को ये ऋण दिये गए और उनके लिए ऋण मंजूर करने का मानदण्ड क्या है;

(ग) ऐसी पार्टियों की संख्या और उनके नाम क्या हैं जिन्होंने ऋणों का व्याज और मूल रकम देने में चूक की है और उनपर कितनी रकम बाकी है;

(घ) सरकार ने बकाया रकम वसूल करने के लए क्या उपाय किए हैं और कितनी रकम वसूल होने की सम्भावना है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के सम्बन्ध में, जुलाई, 1966 से जून, 1967 तक के लेखा-वर्ष के लिए माँगी गयी सूचना 30 जून, 1967 को समाप्त हुए वर्ष की, निगम की उन्नीसवीं वार्षिक रिपोर्ट के, जो 23 नवम्बर, 1967 को लोक सभा की मेज पर रखी गयी थी, परिशिष्ट "ख" में दी गयी है।

(ख) उन औद्योगिक इकाइयों की संख्या और किस्म, जिनके लिए 1966-67 में ऋण सहित वित्तीय सहायता मंजूर की गयी थी, उपर्युक्त रिपोर्ट के 12 से 14 तक के पैराग्राफों में दी गयी है। निगम द्वारा, वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए अपनायी गयी कसौटियाँ भी इस रिपोर्ट के 26 से 30 तक के पैराग्राफों में दी गयी हैं।

(ग) जिन कम्पनियों ने निगम को ब्याज और मूल-धन की अदायगी नहीं की है, उनकी संख्या और 30 जून, 1967 को उनसे प्राप्य रकम, रिपोर्ट के 39वें पैराग्राफ की सारणी 14 में दी गयी हैं। अदायगी न किए जाने का कारण, जानबूझ कर निगम को रकम न चुकाने का इरादा नहीं, बल्कि अधिकतर मामलों में प्रतिकूल व्यापारिक परिस्थितियों का होना था। इसलिए, इन औद्योगिक कम्पनियों के नाम बताना उचित नहीं होगा।

(घ) निगम के स्वायत्त स्वरूप के कारण, सरकार उसके दिन प्रतिदिन के काम में हस्तक्षेप नहीं करती, हालाँकि निगम के बोर्ड के नामजद सरकारी निदेशक उसके कार्यों पर नजर रखते हैं।

भारतीय राज्य बैंक द्वारा मद्रास के उद्योगों को दिया गया ऋण

2423. **श्री बाबूराव पटेल:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय राज्य बैंक ने 1962 से 1966 तक की अवधि में मद्रास के छोटे पैमाने के उद्योगों को कितना ऋण दिया और इस अवधि में जिन फर्मों और उद्योगों को ऋण दिए गए उनके नाम और उन्हें दिए गए ऋणों की रकमें और उनसे लिए गए व्याज की दरें क्या हैं;

(ख) ऋण की सुरक्षा के लिए प्रत्येक से ली गयी जमानत का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे ऋणों की संख्या और रकमें कितनी हैं जो अब अशोध्य हो गयी हैं और सम्बद्ध पार्टियों के नाम क्या हैं।

(घ) इन ऋणों को वसूल करने के लिए भारतीय राज्य बैंक ने क्या उपाय किए हैं और न वसूल होने वाले ऋणों की कुल रकम कितनी है और इन रकमों के कर्जदारों के नाम क्या हैं और अब तक कितनी हानि हुई है या होने का अनुमान है; और

(ङ) इन ऋणों के देने में जमानत की कसौटी क्या है और उन छः बड़े अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन ऋणों की मंजूरी दी थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) राज्य बैंक को, अपनी संविधि (स्टैच्यूट) की धारा 44 (1) के अधीन अपने ग्राहकों के लेन-देन की सूचना देने की मनाही है। बैंक द्वारा मद्रास के छोटे पैमाने के उद्योगों को दिए गए ऋणों की कुल स्थिति इस प्रकार है:—

वर्ष के अन्त में	सहायता प्राप्त करने वाले एककों की संख्या	रकम स्वीकृत (लाख रुपयों में)	बकाया
1961	151	42.50	28.54
1962	132	52.88	35.31
1963	216	131.10	60.02
1964	358	268.01	177.65
1965	440	324.65	269.90
1966	468	391.91	372.81

छोटे पैमाने के उद्योगों को दिए जाने वाले अग्रिमों पर लागू होने वाले ब्याज की दरें राज्य बैंक द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों की ब्याज की दर पर आधारित होती हैं जो समय-समय पर बदलती रहती हैं। इस समय ब्याज की दर 7¾ प्रतिशत तक से लेकर 9½ प्रतिशत तक है।

(ख) कार्य-चालन पूंजी के लिए दिए जाने वाले अग्रिमों के लिए ली जाने वाली जमानत में कच्चा माल, बनाया जा रहा माल, तैयार माल, प्राप्त की जाने वाली और चल (मूवेबिल) मशीनें शामिल हैं। सावधिक ऋण (टर्म लोन) के लिए जमीन, इमारतें, तथा संयंत्र और मशीनें जमानत के रूप में रखी जाती हैं। कभी-कभी जमानत के बिना भी ऋण मंजूर किए जाते हैं।

(ग) शून्य।

(घ) जहाँ आवश्यक समझा गया है, ऋण की रकम वापस माँगी गयी है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। अभी तक इस सम्बन्ध में न तो कोई हानि हुई है और न किसी प्रकार की हानि होने की आशंका है।

(ङ) ऋणों की मंजूरी ऋणलेने वालों की, लाभ-प्रद रूप से उत्पादन-कार्य चलाने और योग्यता के आधार पर की जाती है। ली जाने वाली जमानत की मात्रा उपलब्ध संरक्षण पर निर्भर रहती है। छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए शाखा अभिकर्ताओं (ब्रांच एजेण्ट) द्वारा कुछ निर्धारित सीमाओं तक अग्रिम मंजूर किए जाते हैं जो कुछ मामलों में 2 लाख रुपए तक हो सकती है।

भारतीय राज्य बैंक

2424. **श्री बाबू राव पटेल**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय राज्य बैंक के, जिसमें पिछले कुछ वर्षों से संतोषजनक रूप से काम नहीं हो रहा है, काम करने की समस्त प्रणाली की जाँच करने के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) और (ख) भारतीय राज्य बैंक की जमा रकमों और उसके द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों में लगातार वृद्धि, बैंक द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को अधिक सहायता दिए जाने और जिन क्षेत्रों में, अभी तक किसी बैंक की कोई शाखा नहीं थी वहाँ अपनी शाखाएँ खोलने के कार्यक्रम को सफलता को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय राज्य बैंक में सामान्यतः सन्तोषजनक ढंग से काम नहीं हो रहा है और उसके काम की जाँच करने के लिए किसी संसदीय समिति की नियुक्ति की आवश्यकता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुभाग अधिकारियों के लिये पदोन्नति नियम

2425. **श्री सोमसुन्दरम**: क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर (सिविल) सी० आई० एस० श्रेणी II ग्रेड के लिये भर्ती तीन स्रोतों से की जाती है। अर्थात् (एक) अनुभाग अधिकारियों की पदोन्नति करके (दो) अनुभाग अधिकारियों में से चयन करके और (तीन) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक वर्ग के लिए कितनी प्रतिशतता निर्धारित की गई है; और

(ग) इन सब की पारस्परिक वरीयता कैसे निर्धारित की जाती है?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सी० ई० एस श्रेणी II में सहायक अभियंता के पद के लिए नियुक्ति (एक) विभागीय अनुभाग अधिकारियों को चुन कर पदोन्नति देकर; (और) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा की जाती है।

(ख) स्थायी पदों के लिये:

(एक) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) 25 प्रतिशत अस्थायी सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को स्थायी बना कर।

(तीन) 25 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति प्राप्त व्यक्तियों को स्थायी बना कर।

अस्थायी पदों के लिये:

(एक) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

(दो) 50 प्रतिशत अनुभाग अधिकारियों की गैर-स्नातकों/स्नातकों तथा 50-50 के अनुपात में पदोन्नति द्वारा।

(ग) सीधे नियुक्तों तथा विभागीय पदोन्नति प्राप्त व्यक्तियों की परस्पर वरीयता निर्धारित करने के सिद्धान्त ये हैं—

(एक) किसी वर्ष विशेष में स्थायी रिक्तियों के लिये सीधी भर्ती से आए व्यक्ति एक-मुश्त उसी वर्ष में स्थायी बनाये गए विभागीय पदोन्नति रिक्तियों की अपेक्षा वरिष्ठ होंगे।

(दो) अस्थायी रिक्तियों पर सीधे नियुक्तों को जिन्हें स्थायी व्यक्तियों पर बाद में स्थायी बना दिया जाएगा, की वरीयता स्थायी रिक्तियों पर सीधे नियुक्तों के बाद होगी जो उसी वर्ष पद ग्रहण करेंगे किन्तु उनकी वरीयता का स्थान विभागीय पदोन्नतों के, जो उसी वर्ष स्थायी बनाये गए हों, ऊपर होगा।

(तीन) सभी अस्थायी व्यक्तियों पर सीधे नियुक्तियों की वरीयता एक मुश्त उसी वर्ष के विभागीय पदोन्नति से ऊपर होगी।

फरीदाबाद में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नगर भत्ता

2426. **श्री सोमसुन्दरम** : क्या **वित्त** मंत्री 22 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3236 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों में जो 1 सितम्बर, 1966 को फरीदाबाद में थे, काम करने वाले कुछ सरकारी कर्मचारियों को इस आधार पर नगर भत्ता नहीं दिया गया था कि वह उस तारीख को फरीदाबाद में स्वयं नहीं रह रहे थे; और

(ख) यदि हाँ, तो नगर भत्ता देने के मामले में एक ही श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के बीच यह भेदभाव क्यों किया गया है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) चूंकि फरीदाबाद 'सी' श्रेणी का नगर है, इसलिये वहाँ रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता नहीं दिया जाता है। फिर भी केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को एक वर्ष तक दिल्ली की दर पर ही नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता देना मंजूर किया गया है जो तारीख 1-1-1966 को या उसके बाद दिल्ली से कार्यालय वहाँ भेज दिए जाने के कारण वहाँ स्थानान्तरित किए गए थे। तदनन्तर, उसके बाद के अठारह महीनों में फैलाकर उनका यह भत्ता क्रमशः बिल्कुल बन्द हो जायगा। यह रियायत उन कार्यालयों के कर्मचारियों को भी दी गई है जो तारीख 1-9-66 से फरीदाबाद में स्थित कार्यालयों में काम कर रहे है, जिससे कि तारीख 1-9-66 को फरीदाबाद स्थित कार्यालयों में काम कर रहें कर्मचारियों और उन कर्मचारियों की उपलब्धियों में कोई फर्क न रह जाय जो अपने कार्यालयों के दिल्ली से वहाँ भेजे जाने के कारण वहाँ स्थानान्तरित किए गए हैं। ऐसे मामले में कहीं न कहीं तो सीमा-रेखा खींचनी ही होगी, और इसीलिए यह निर्णय किया गया है यह रियायत केवल उन्हीं कर्मचारियों तक सीमित रखी जायगी जो पहले से ही फरीदाबाद में उस महीने के आरम्भ में काम कर रहे थे, जिसमें यह निर्णय लिया गया था।

गुजरात में औद्योगिक आवास निर्माण योजना

2427. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहायता-प्रदत्त औद्योगिक आवास निर्माण योजना के अन्तर्गत गुजरात में अब तक कितने मकान बनाये जा चुके हैं;

(ख) इस कार्य हेतु गुजरात के लिए कुल कितनी राशि नियत की गई है;

(ग) क्या वर्ष 1967–68 में इस योजना के अन्तर्गत गुजरात में और अधिक मकान बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

आवास, निर्माण तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (इकबाल सिंह) : (क) और (ख) सितम्बर, 1952 से, जबसे यह योजना आरम्भ की गई थी, 31 मार्च, 1967 तक 20,843 मकान बनाये गए। 31 मार्च, 1967 तक इस योजना के अन्तर्गत गुजरात सरकार को 699.99 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई।

(ग) और (घ) सहायता प्रदत्त औद्योगिक आवास योजना एक चलती रहने वाली योजना है और राज्य सरकारों को इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक श्रमिकों के लिये आवास निर्माण परियोजनायें मंजूर करने का प्राधिकार दिया गया है। इस योजना के लिये राज्य सरकार द्वारा 17 लाख रुपए इनके 1967–68 के बजट में रखे गए हैं। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार 1967–68 के दौरान अब तक ये परियोजनायें मंजूर की गई हैं :

निर्माण कर्त्ता निकाय का नाम	मकानों की संख्या	स्थिति	अनुमोदित लागत (लाखों रुपयों में)
1. गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम	74	महसाना	2.44
2. वर्षा औद्योगिक सहकारी आवास समिति लिमिटेड, बड़ौदा	50	बड़ौदा	2.68
3. नूरे अहवादी सहकारी आवास समिति लिमिटेड, अहमदाबाद	25	अहमदाबाद	1.22

Purity of Edible Commodities

2428. **Shri J. Sundar Lal** : Will the Minister of **Health, Family Planning** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are no facilities or means to verify the purity of edible commodities like oil, honey and spices in Delhi ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) No. Facilities exist for testing the purity of edible commodities like oil, honey and spices in the Food Laboratory functioning under the Health Department of Municipal Corporation of Delhi.

(b) Does not arise.

Major Irrigation Projects in Maharashtra

2429. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the progress of major irrigation projects in Maharashtra is behind schedule ;

(b) the projects which have so far been completed ;

(c) the projects to be taken up in the next financial year ; and

(d) the position of Maharashtra in the priority list for various irrigation projects for the purposes of financial allocation ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) The progress of construction of irrigation projects all over the country has been generally affected due to constraint of resources. This is true to some extent in the case of Maharashtra also.

(b) The following two major projects have been completed :

(1) Vir

(2) Ghod.

The following three major projects are nearing completion :—

(1) Khadakwasla Stage I

(2) Girna

(3) Purna

(c) One additional major project, viz., the Upper Godavari Project, is proposed to be taken up in 1968-69.

(d) Financial allocation for irrigation projects is determined on the basis of the total resources of each State for its plan, including Central assistance. There is no priority list of Irrigation Projects for Financial allocations.

Scheduled Castes

2430. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have received any memoranda requesting for inclusion of Koki, Burad, Parmi and Dhangar castes of Maharashtra State into the list of Scheduled Castes ; and

(b) if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Sharmati Phulrenu Guha : (a) Yes.

(b) The decisions of Government have been incorporated in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill, 1967.

चेचक के टीके

2431. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों के स्वास्थ्य अधिकारियों को किसी भी आयु के व्यक्ति को चेचक के टीके लगाने का अधिकार देने के लिए केन्द्रीय सरकार एक केन्द्रीय अधिनियय बनाने का विचार कर रही है जिसका सुझाव 27 और 28 सितम्बर, 1967 को नई दिल्ली में हुए दो दिन के सम्मेलन में दिया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि बार-बार टीके लगाने से सम्बन्धित व्यक्तियों पर टीके के बाद अवांछनीय प्रभाव होते हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या टीके लगाने के बजाय चेचक को रोकने के लिये समान रूप से प्रभावी होम्योपैथी की वारियोलिनम 200 की निरोधक खूराक देने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) अखिल भारतीय चेचक कार्यकर्ता सम्मेलन ने इस संबंध में सिफारिश की थी, जो विचाराधीन है।

(ग) बार-बार टीके लगाने के कुछ कुप्रभाव होम्योपैथी के डाक्टरों ने देखे हैं; किन्तु इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कहने के लिये कोई ठोस अध्ययन नहीं किया गया।

(घ) चेचक रोकने के लिये वेरियोलीनम-200 का प्रयोग होम्योपैथी के डाक्टरों द्वारा किया जाता है। इस औषधि के लाभ संबंधी ठोक ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। इस औषधि पर वैज्ञानिक प्रयोग करने का प्रश्न विचाराधीन है।

हैदराबाद का निजाम

2432. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैदराबाद के निजाम को कितनी आय पर आयकर विभाग द्वारा उन निर्धारण वर्षों जिनके लिये उसके मामले पुनः लिये गए, दुबारा आयकर लगाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इसकी कोई जाँच की है कि आयकर विभाग ने निजाम की आय का निर्धारण कम क्यों किया गया; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) नीचे बतायी गयी उन्हीं आमदनियों पर, जिनके सम्बन्ध में उनका कर निर्धारण वर्ष 1954-55, 1955-56 और 1956-57 में मूलतः कर-निर्धारण किया गया था:—

1954-55	44,04,261 रुपये
1955-56	20,37,981 रुपये
1956-57	19,69,449 रुपये

(ख) और (ग) कर-निर्धारण को कार्यवाही, दी गई छूट को वापस लेने के लिये फिर से आरम्भ की गयी थी। दुबारा कर-निर्धारण करते समय वह छूट वापस ले ली गई। बाद में सर्वोच्च न्यायाय के एक फैसले का पालन करते हुए अपीलीय सहायक आयुक्त ने यह निर्णय दिया कि मूल-कर निर्धारण में छूट सही दी गई थी। इसलिये निम्न निधारण की जाँच करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) में बाढ़ नियंत्रण उपाय

2433. **श्री समर गुह:** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के कंटाई सब-डिवीजन में बाढ़ नियंत्रण की स्थायी व्यवस्था करने के लिये, जिससे उस क्षेत्र में खाद्य की फसलों की रक्षा की जा सके तथा धान की पैदावार बढ़ाई जा सके, सरकार का विचार एक योजना प्रारम्भ करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) से (ग) बाढ़ नियंत्रण योजना हाथ में लेने तथा उसे पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले ही कंटाई बेसिन निकासी योजना-चरण I आरंभ की है जो चालू है। इस योजना में, जिसपर लगभग 36.24 लाख रुपये लागत आएगी, निकासी नालों का 11 मील लम्बाई में निर्माण होगा जिनसे मिदनापुर जिले के कंटाई सब-डिवीजन में 19,000 एकड़ भूमि की रक्षा की जा सकेगी।

1967 में आई बाढ़ के अनुभव से, पश्चिम बंगाल के सर्वपरेखा तथा कंट्राई क्षेत्रों में, जो जलमग्न हो जाते हैं, बाढ़ समस्या का अध्ययन करने और यदि आवश्यक हो तो इस क्षेत्र में अतिरिक्त बाढ़ नियंत्रण निर्माण-कार्य आरंभ करने के लिये इस मंत्रालय के सलाहकारों से कहा गया है।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

2434. **श्री अब्राहम :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री अ० कु० गोपालन : **श्री रामचरण :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री रमानी :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के कर्मचारियों ने भूख हड़ताल कर रखी है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी क्या माँगें हैं;

(ग) क्या आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेस के प्रबन्धकों ने इस विवाद को निपटाने के लिये कर्मचारियों से बातचीत की है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस विवाद को निपटानें के लिये सरकार नें क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस समय अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था का कोई भी कर्मचारी भूख हड़ताल पर नहीं है ।

कुछ अन्य संघों से सहायता प्राप्त इस संस्था के एक अमान्य संघ के कुछ कर्मचारियों ने 25 सितम्बर, 1967 को भूख हड़ताल आरम्भ की थी। बाद में यह हड़ताल बिना शर्त खत्म कर दी गई ।

(ख) हड़तालियों ने निम्नलिखित माँगें रखी थीं:—

(1) इस संस्था के प्रत्येक कर्मचारी की पदोन्नति वरीयता के आधार पर की जानी चाहिए और कोई भी पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए।

(2) अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित रिक्त पदों पर विशेष छूट देकर इन्हीं समुदायों के उम्मीदवारों की नियुक्तियाँ की जानी चाहिए। प्रशासन में, श्रेणी I का एक अधिकारी अनुसूचित जातियों में से होना चाहिए और उसे प्रत्येक चयन समिति का अनिवार्यतः सदस्य बनाया जाना चाहिए।

(3) प्रयोग शाला–एटेंडैन्टों के पदों पर जमादारों (भंगियों) की भर्ती की जानी चाहिए और इन पदों पर चपरासियों की नियुक्ति विशेष छूट देकर की जानी चाहिए।

(4) भंगियों की पदोन्नति नर्सिग आयाओं के पदों पर की जानी चाहिए।

(5) उन कर्मचारियों को जिन्हें स्थायी नहीं बनाया गया है और जिनकी नौकरी तीन साल से अधिक की हो गई है, स्थायी बनाया जाना चाहिए।

(6) खलासियों को वर्दियाँ दी जानी चाहिए और कपड़े धोने का भत्ता 1 रुपये से बढ़ाकर तीन रुपये किया जाना चाहिए। मार्च/नवम्बर में वर्दियाँ पूरी तथा एक साथ मिलनी चाहिए।

(7) मुख्य जमादार का वेतन-मान बढ़ाकर 95–115 रुपया किया जाना चाहिए। फिटर, पम्प ड्राइवर, बढ़ई, वायरमैन, मेसन का वेतन-मान बढ़ाया जाना चाहिए।

(8) इस संस्था के अहाते में फील्ड ड्यूटी वाले कर्मचारियों को साइकिल भत्ता दिया जाये।

(9) एक सिक्यूरिटी जमादार अनुसूचित जातियों से होना चाहिए।

(10) कर्मचारी स्वास्थ्य योजना में अच्छी दवाइयों तथा रोगी-शय्याओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(11) आपरेशन थियेटर में काम करने वालों को भत्ता दिया जाना चाहिए।

(12) जिन कर्मचारियों की ड्यूटी दिन के 2 बजे से रात के 10 बजे तक होती है और जिन्हें अपने घर जाने के लिये बसें नहीं मिल सकतीं और जिनके घर बहुत दूर हैं, उनके लिये विश्राम कक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(13) कर्मचारियों के खून पेशाब की जाँच तथा एक्स-रे के लिये अलग व्यवस्था होनी चाहिए।

(14) इस संघ के 5 सदस्यों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जाय।

(15) इस संघ को मान्यता प्रदान की जाय।

(ग) और (घ) चूंकि इस समय इस संस्था में पाँच यूनियन्स/एसोशियशन्स काम कर रही हैं और इनमें से कोई भी यू०/ए० मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिये, संस्था के अधिकारियों को उनसे अलग-अलग बातचीत करना संभव नहीं मालूम पड़ा। तथापि, उन्होंने विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की माँगों पर आवश्यक राहत तथा उपचार के लिये स्टाफ कमेटी की बैठकों में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया है। यह प्रक्रिया गत कई वर्षों से सुचारु रूप से चल रही है।

(ङ) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित माँगों पर संस्था के अधिकारी विचार कर चुके हैं और जो उचित पाई गई उसे मान लिया गया है, अन्य बातों के साथ उन्होंने ये बातें मान ली हैं:—

(एक) प्रयोगशाला एटैन्डैन्टो के पदों के लिये अपेक्षित शैक्षिक अर्हता का कम करना ताकि भंगी और चतुर्थ श्रेणी के अन्य कर्मचारी इन पदों के पात्र हो सकें।

(दो) भंगी तथा उसी पद-स्थिति के अनुसूचित जाति के कर्मचारी चपरासी तथा अनीमल एटेन्डैन्ट के पदों के लिये आवेदन पत्र दे सकते हैं।

(तीन) अस्पताल में काम कर रहे भंगियों को नर्सिंग अर्दलियों तथा भंगिनियों को नर्सिंग आयाओं के पदों पर नियुक्त करने के मामले पर विचार किया जायेगा।

(चार) स्थायी पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को उनकी उपयुक्तता की जाँच करके स्थायी बनाया जायगा।

(पाँच) गैस प्लान्ट में काम कर रहे खलासियों को वर्दियाँ दी जायेंगी और अन्य वर्गों के खलासियों को वर्दियाँ देने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

(छः) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ठीक समय पर वर्दियाँ दी जायेंगी।

(सात) कपड़े धोने का भत्ता 1 रुपये से बढ़ा कर 2 रुपये प्रतिमास दिया जायेगा।

(आठ) संधारण कर्मचारियों को, जिन्हें आहते में आने-जाने का बहुत काम पड़ता है, साइकिल भत्ता देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(नौ) कर्मचारी स्वास्थ्य योजना वालों के लिये दवाइयों की सप्लाई में सुधार किया जायगा।

(दस) उन कर्मचारियों के लिये जिनके घर बहुत दूर हैं और जो ड्यूटी के बाद घर नहीं जा सकते, विश्राम कक्षों की व्यवस्था की जायगी।

(ग्यारह) इस समय संस्था में काम कर रहे संघों को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

Stoppage of Water Supply at Talkatora Road, New Delhi

2435. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that water taps in Talkatora Road, New Delhi and adjoining areas remained dry on the 27th August, 1967 ;

(b) if so, whether it is also a fact that this failure of the water supply was due to the carelessness on the part of the New Delhi Municipal Committee employees ; and

(c) if so, the measures proposed to be taken by Government to improve this situation?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development : (Shri B. S. Murthy):

(a) Filtered Water Supply to some parts of New Delhi including Talkatora Road and adjoining areas remained suspended in the forenoon of the 27th August, 1967. It was closed at 10.00 p.m. on the 26th August, 1967, for making an alteration in the main line at Talkatora Reservoir. The completion of work was delayed due to its complicated nature and some unforeseen difficulties in its execution during the night.

(b) The stoppage of water was not due to any carelessness on the part of the employees.

(c) The area under reference is getting normal supply like other areas in the Capital.

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य

2436. **श्री रवि राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अपने पुनर्गठन के बाद इस बात पर विचार किया है कि अत्यावश्यक वस्तुओं के भाव किस प्रकार नीचे लाये जा सकते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) योजना आयोग के अनुसार केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के लिए हर हालत में यह जरूरी होगा कि सभी सम्भव उपायों से अतिरिक्त साधन जुटायें। इस सम्बन्ध में, विशेषकर, करों से खपत पर नियंत्रण रखा जा सकेगा और इससे अतिरिक्त बचत होगी तथा निर्यात के लिए अधिक माल प्राप्त हो सकेगा। इन सब उपायों से मूल्यों पर पड़नें वाले बढ़ते हुए दबाव पर नियंत्रण रखने में सहायता मिल सकेगी। अगर चालू मौसम में अनाज या पर्याप्त संकट-निरोधक भण्डार (बफर स्टाफ) बना लिया गया और उचित मूल्य की दुकानों तथा उपभोक्ता सहकारी भण्डारों आदि द्वारा अनाज और दूसरी अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण का संतोषजनक प्रबन्ध कर लिया गया, तो अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखना सम्भव हो सकेगा और स्थिरता की इन परिस्थितियों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकेगा।

दिल्ली के एक गांव में हरिजनों का सामाजिक बहिष्कार

2437. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्यक्षेत्र के वजीदपुर ठाकुरान नामक गाँव के निवासियों ने अपने गाँव के हरिजनों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) इस गाँव में सामाजिक तनाव रहा है।

(ख) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत ग्यारह व्यक्तियों पर अदालत में मुकदमा चल रहा है।

चण्डीगढ़ को सुन्दर बनाना

2438. **श्री श्रीचन्द्र गोयल** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ को सुन्दर बनाने के लिये चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा की गई अथवा आरम्भ की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है और ऐसी प्रत्येक योजना पर अब तक किये गये अथवा किये जाने वाले खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं कि जो धन खर्च किया जाये वह अनिवार्य और उपयोगी कामों पर खर्च किया जाये ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) स्थल दृश्य निर्माण कार्यों पर, जिसमें पार्कों का विकास पेड़ झाड़ियाँ तथा अन्य खूबसूरत पौदे लगाना शामिल है, वित्तीय वर्ष 1966–67 के दौरान 5.5 लाख रुपये का खर्च आया था। चालू वित्तीय वर्ष में नीचे उल्लिखित योजनाओं को चालू करने का विचार है:

(एक) विभिन्न सेक्टरों में खुली जगहों का स्थल दृश्य निर्माण	1.00	लाख रुपये
(दो) गुलाब के बगीचे लगाना	0.50	लाख रुपये
(तीन) लेजर वैली का विकास	0.20	लाख रुपये
(चार) सड़कों आदि के साथ-साथ खूबसूरत वृक्षों तथा झाड़ियों का लगाना	0.50	लाख रुपये

(ख) प्रशासन के प्रस्तावों को आयव्ययक एस्टीमेट्स में शामिल करने तथा संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व उनकी भारत सरकार द्वारा जाँच की जाती है। इस प्रकार व्यय की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाती है।

पर्यटक केन्द्रों में मद्य निषेध की नीति

2439. **श्री क० लक्कप्पा** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राज्य सरकारों को पर्यटक केन्द्रों में मद्यनिषेध की नीति को न अपनाने के आदेश दिये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने ऐसा करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो मैसूर सरकार द्वारा किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) दिनांक 21 जनवरी, 1967 के पत्र संख्या 5-17-66 मद्यनिषेध सैल की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1805/67]**

(ख) और (ग) धारा 1, 2 तथा 15 को छोड़कर मैसूर मद्यनिषेध अधिनियम के उपबन्ध वापस लिये गये हैं और राज्य के कुछ क्षेत्रों में जहाँ शराब का अबाध इस्तेमाल किया जा सकता है; हाल में उत्पादन शुल्क अधिनियम के उपबन्ध लागू किये गये हैं।

Accommodation for Marriage Purposes to Chief Engineer, C.P.W.D.

2440. **Shri A. B. Vajpayee:** **Shri N. S. Sharma :**

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether the Chief Engineer, C.P.W.D. was allotted Bangalows No. 14-C Ferozeshah Road and 9, Curzon Road to perform the marriage ceremony of his daughters;

(b) how long these Bangalows or any one of them were kept vacant prior to allotment to the Chief Engineer and the reasons therefor ;

(c) the total amount of rent for the period they were kept vacant ;

(d) the action being taken against the persons responsible for this loss of rent to Government ;

(e) whether he had written a letter to any Member of Parliament stating that no Bangalow is vacant during these days when the said Bangalows were actually lying vacant; and

(f) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) No. Bungalow No. 14-C, Ferozeshah Road is in the M.Ps. Pool and has been allotted to Shri J.K.P.N. Singh, Member of Parliament for marriage purposes on the advice of the Rajya Sabha House Committee. Bungalow No. 9, Curzon Road is not under the Control of the Directorate of Estates and is presumably private property.

(b) to (d) Do not arise.

(e) and (f) A request was received from a Member of Parliament for allotment of house for marriage purposes in Curzon Lane, Canning Lane and Ferozeshah Road area. As no bungalow in the general pool was available in these areas it was not possible to make any allotment. Bungalow No. 14-C Ferozeshah Road is in the M. P. Pool and its allotment is controlled by the House Committee of Parliament. Bungalow No. 9, Curzon Lane which is vacant is in the Ministry of Defence Pool.

Dues From Former Minister of Petroleum

2441. **Shri A. B. Vajpayee:** **Shri Sharda Nand:**
Shri N. S. Sharma: **Shri Shri Chand Goel:**

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a sum of about Rs. 3,500 was due from the former Minister of Petroleum, Shri K. D. Malviya, as rent, etc. of Bungalow No. 2, Safdarjang Lane by the end of September, 1967 and Government had not taken any judicial action by then to recover the amount ;

(b) whether it is also a fact that flat No. G-II/25, Moti Bagh has been allotted to his son without priority ; and

(c) if so, the action taken to remove these irregularities ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh):

(a) Arrears of rent amounting to Rs. 3,817.98 are due from Shri K. D. Malviya in respect of bungalow No. 2, Safdarjang Lane. He has raised certain objections which are under examination and correspondence.

(b) Yes. Sons/daughters of retiring or defeated M.Ps., if otherwise eligible, are provided with alternative accommodation from the general pool on the same lines as the sons/daughters of retiring deceased Government servants are provided Government accommodation.

(c) Does not arise at present.

कृषि भूमि की सिंचाई के लिये वृहत् योजना

2442. **श्री रणधीर सिंह :**

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किसी ऐसी वृहत् योजना पर विचार कर रही है जिसके अंतर्गत 10 वर्षों में समूची कृषि योग्य भूमि के लिये सिंचाई की व्यवस्था की जा सकेगी;

(ख) यदि हाँ, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० क० ल० राव): (क) से (ग) तक प्रारम्भिक अध्ययन से पता लगता है कि हमारी 50 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि के लिये सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती है। नदियों तथा तालाबों से लगभग 15 करोड़ एकड़ भूमि की और कुओं आदि से 5 करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। संसाधनों के उपलब्ध होने पर, आगामी 20–25 वर्षों के भीतर सिंचाई की इस क्षमता का विकास करने का प्रयत्न किया जायेगा।

दिल्ली में अध्यापकों के लिये आवास

2443. **श्री म० ला० सोंधी** :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के अधीन काम कर रहे अध्यापकों को नई दिल्ली या दक्षिण दिल्ली के क्षेत्रों में उनका तबादला हो जाने पर अपना क्वार्टर खाली करना पड़ता है अथवा उन्हें वाणिज्यिक किराया देना होता है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार द्वारा निर्धारित दिल्ली की सीमाओं से बाहर जिन कर्मचारियों का ड्यूटी-स्थल होता है, उन्हें जनरल पूल से क्वार्टर नहीं मिलते और न ही वे इन क्वार्टरों को अपने पास रख सकते हैं चाहे वे दिल्ली प्रशासन अथवा किसी केन्द्रीय सरकारी कार्यालय के अधीन ही काम क्यों न कर रहे हों। ऐसे कर्मचारी जनरल पूल के क्वार्टरों को उस रियायती अवधि से अधिक समय तक अपने पास नहीं रख सकते जिसकी आवंटन नियमों में व्यवस्था है।

बिड़ला की फर्मों द्वारा करापवंचन

2444. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग नें कलकत्ता से जाँच पड़ताल करनें के बाद यह सूचना दी है कि बिड़ला की फर्मों नें कोई करापवंचन नहीं किया है;

(ख) क्या यह पता लगा है कि बिड़ला फर्म समूह नें चार वरिष्ठ कार्याधिकारियों की पत्नियों को विशेष वेतन के रूप में मैसर्स केशोराम काटन मिल्स लि० को अपनें मुनाफें का एक भाग देकर आयकर बचाया; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करनें का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) जी, नहीं।

(ख) मैसर्स केशोराम इण्डस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता के मामले में कर की चोरी की शिकायतों की जाँच-पड़ताल की गई है तथा तीन वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों की पत्नियों को दिये गये वेतनों को, कई कर-निर्धारण वर्षों के लिये, इस कारण नामंजूर करते हुए कम्पनी की आमदनी माना गया है कि ये वेतन पूर्ण और एकमात्र रूप से व्यवसाय के प्रयोजन के लिये नहीं दिये गये थे। किन्तु इन रकमों को अस्वीकार करने के विरुद्ध कम्पनी ने अपील दायर की है, जो विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इन रकमों का निर्धारण कम्पनी की आमदनी के रूप में किया गया है।

रकाबगंज मार्ग पर स्थित बंगला संख्या 7 का संयुक्त समाजवादी दल को हस्तांतरण

2445. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सयुक्त समाजवादी दल ने रकाबगंज मार्ग पर स्थित बंगला संख्या 7 उसे हस्तांरित करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है ताकि उसमें स्वर्गीय डा० लोहिया की स्मृति में एक उपयुक्त स्मारक बनाया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :(क) जी, हाँ।

(ख) संयुक्त समाजवादी दल का अनुरोध स्वीकार करना संभव नहीं लगा है।

इंडियन आयल कारपोरेशन तेल शोधक कारखानों में लाभ

Per Capita Income of States

2446. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a vast disparity in the **per capita** income of different States ;

(b) whether it is also a fact that the allotment in the First, Second, Third Plan and Annual Plans of Fourth Plan was not made on population basis ; and

(c) whether it is also a fact that Bihar has been allotted lesser amount as compared to other States in all these Plans ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) The latest estimates available show sizeable variations in **per capita** income in the various States.

(b) Central assistance was allocated to the States after taking into account their population and other relevant factors.

(c) No, Sir.

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के तेलशोधक में लाभ

2447. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1964-65 में इंडियन आयल कॉरपोरेशन के तेलशोधक कारखाना विभाग को 77.97 लाख रुपये का लाभ हुआ था जो 1965-66 में घट कर 27,000 रुपये रह गया था।

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1967–68 में कितना लाभ होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हाँ।

(ख) वर्ष 1964–65 में, केवल गोहाटी तेलशोधक कारखाने में ही काम होता था और तेल शोधक कारखाना डिवीजन को 77.97 लाख रुपये का लाभ हुआ था। यद्यपि गोहाटी तेलशोधक कारखाने को 108 लाख रुपये का लाभ हुआ था, तथापि वर्ष 1965–66 में यह कमी बरौनी तथा गुजरात तेल शोधक कारखानों में, जिनका काम इस अवधि में चालू हुआ, ऑपरेशनल घाटे के कारण हुई थी।

(ग) 135 लाख रुपये।

सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामग्री और उपकरणों की खरीद

2448. **श्री न० कु० साल्वे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान अपनी सामग्री, उपकरण और सामान गैर सरकारी क्षेत्र के संस्थानों से खरीदते हैं? हालाँकि ऐसी सामग्री या सामान सरकारी क्षेत्र के दूसरे प्रतिष्ठानों के पास भी उपलब्ध होती ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस तरह की खरीद बंद करने के लिए, सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को हिदायतें जारी करना चाहती हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) ये प्रतिष्ठान अपने काम आने वाले सामान, उपकरणों और सामग्री की खरीद, सामान्यतः इस सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले, प्रतियोगितात्मक प्रस्तावों के आधार पर करते हैं। ऐसा करते समय प्रस्तावों की उपयुक्तता, माल की डिलीवरी की स्थिति आदि का ध्यान रखा जाता है और जब तक कोई विशेष परस्थिति पैदा नहीं हो जाती जिसमें इस प्रणाली को बदलना आवश्यक हो, इसे बदलने का कोई विचार नहीं है।

इंडोनेशिया को निर्यात

2449. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनेशिया ने 10 करोड़ रुपये के उस ऋण की रकम इस्तेमाल कर ली है जो भारत ने उसे इस वर्ष दी थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस ऋण से उन्होंने भारत से क्या चीजें खरीदी हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी हाँ। इण्डोनेशिया सरकार द्वारा, ऋण में से लगभग 3.88 करोड़ रुपये की रकम का उपयोग किया जा चुका है।

(ख) जो वस्तुएँ खरीदी गयीं वे ये हैं—जूट की बनी वस्तुएँ, कैम्ब्रिक (महीन सूती कपड़ा) सूती कपड़ा, साइकिल के फालतू पुर्जे तथा साइकिलें (पूरे खुले हिस्सों में), लिखने के कागज, बसों और ट्रकों के हिस्से तथा फालतू पुर्जे; रासायनिक पदार्थ, रंगाई का सामान, तेल-मिलों के फालतू पुर्जे और लोहे तथा इस्पात की बनी वस्तुएँ।

Administrative Reforms Commission's Report on Public Undertakings

2450. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** **Shri V. Krishnamoorthy:** **Shri Mohan Swarup:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5557 on the 13th July, 1967 and state :

(a) whether the report of the Administrative Reforms Commission relating to public undertakings has since been received by Government ;

(b) if so, the main recommendations thereof; and

(c) the action taken by Government thereon ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) Yes, Sir.

(b) The Commission's main recommendations relate to the following aspects :

(i) Organisational Structure.
(ii) Public Enterprises, Parliament and Government.
(iii) Planning and Construction of Projects.
(iv) Resources—External and Internal.
(v) Financial and Materials Management.
(vi) Personnel.
(vii) Audit and Appraisal.

(c) The recommendations are under consideration of Government.

Misappropriation in Loop Factory, Kanpur

2451. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Health and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether there have been cases of misappropriation in the Loop factory at Kanpur and loop worth several lakhs of rupees are lying unsold ;

(b) whether it is also a fact that the Central Government are not giving any assistance and the factory is on the verge of closure ; and

(c) if so, the reasons therefor and the arrangements made to rehabilitate the workers in the event of the closure ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar):

(a) IUCD factory at Kanpur is under the administrative control of the U. P. Government. Government of India are not aware of any case of misappropriation in the factory. The Government of India take over all the loops and insertors produced by the factory according to the requirements indicated, at the rates mutually agreed upon with the Government of Uttar Pradesh. According to the latest information, the value of the approved stock lying with the factory is less than Rs. 1. lakh and the value of the stocks which are pending under inspection by the Chief Inspectorate of Textile and Clothing, Kanpur is less than Rs. 1.5 lakhs.

(b) and (c) The factory belongs to the Government of Uttar Pradesh and they manage its affairs. The Government of India continue to take over the loops and insertors according to the requirements indicated from time to time at mutually agreed rates.

औद्योगिक वित्त निगम और औद्योगिक विकास बैंक

2452. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक वित्त निगम और औद्योगिक विकास बैंक ने मिलकर 1965–66 में 169 करोड़ रुपये और 1966–67 में 127 करोड़ रुपये की सहायता दी ; और 127 करोड़ रुपये की सहायता में अवमूल्यन के बाद की दर के अनुसार विदेशी मुद्रा का अंश भी शामिल था;

(ख) क्या यह भी सच है कि 116 ऐसी प्रायोजनाओं पर, जो अभी समाप्त नहीं हुई और जिनकी सहायता औद्योगिक वित्त निगम द्वारा की गयी थी, 386 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय से 75 करोड़ रुपया ज्यादा खर्च हुआ; और उत्पादन करने वाली 217 प्रायोजनाओं में से 133 प्रायोजनाओं को घाटा हुआ और केवल 43 प्रायोजनाओं ने लाभांश घोषित किये और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क) जी, नहीं। औद्योगिक वित्त निगम और औद्योगिक विकास बैंक ने मिलकर, 1965–66 और 1966–67 के वित्तीय वर्षों में, क्रमश: 112.7 करोड़ रुपये और 85.0 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी। इनमें,

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर किये गये विदेशी-मुद्रा ऋण भी शामिल हैं, जिनकी रकम अवमूल्यन के बाद की दर से रुपयों में बतायी गयी है। माननीय सदस्य द्वारा दिये गये आँकड़े उस सहायता के हैं, जो लम्बी अवधि के लिए ऋण देने वाली देश की सारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा, जिनमें राज्य वित्तीय निगम भी शामिल है, मंजूर किये गये हैं

(ख) और (ग) औद्योगिक वित्त निगम से सहायता-प्राप्त उन 116 प्रायोजनाओं की उत्पादन-लागत पर, जिनमें उत्पादन शुरू नहीं हुआ था, अवमूल्यन के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिये, निगम द्वारा किये गये अध्ययन से पता चला है कि अवमूल्यन के कारण उनकी लागत 386.37 करोड़ रुपये से बढ़कर 460.95 करोड़ रुपये हो गयी, अर्थात् उनकी लागत में 74.58 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

निगम द्वारा वित्तपोषित औद्योगिक कम्पनियों की लाभांश देने की क्षमता पर 30 जून, 1967 को समाप्त हुए वर्ष की कठिन आर्थिक परिस्थितियां के कारण, विपरीत प्रभाव पड़ा। इस अवधि में 217 कम्पनियों में से, जिनमें उत्पानन हो रहा था, 133 कम्पनियों को या तो हानि हुई या बहुत थोड़ा लाभ हुआ। इस अवधि में जो कम्पनिय सामान्य शेयरों का लाभांश घोषित कर सकीं, उनकी संख्या 84 थी, जिनमें से 43 कम्पनियों ने 10 प्रतिशत या उससे अधिक लाभांश की घोषण की।

मध्य प्रदेश में नये सरकारी प्रतिष्ठान

2453. **श्री मणिभाई जे० पटेल**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कोई बड़ा प्रतिष्ठान स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री, (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र की जिन केन्द्रीय प्रायोजनाओं को मध्य प्रदेश में शुरू करने या जिन योजनाओं के विस्तार का काम हाथ में लेने का विचार है, उनके नाम और स्थान नीचे दिये गये है :

प्रायोजन का नाम	स्थान
1. भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार	भिलाई
2. बिजली का भारी सामान तैयार करने के कारखाने का विस्तार	भोपाल
3. नेपा मिल्स का विस्तार	नेपानगर
4. सिक्योरिटी पेपर मिल्स	होशंगाबाद
5. कोरबा एल्यूमिनियम प्रायोजना	कोरबा
6. एल्कलायड तैयार करने का नया कारखाना	
7. सीमन्ट का कारखाना	मोंधर

इनके अलावा, दण्डकारण्य क्षेत्र में कागज/लुगदी का एक कारखाना खोलने की सम्भावना पर भी विचार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पुनाक्षी बांध

2454. **श्री बेगो शंकर शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में संथाल परगना जिले में अजय नदी पर पुनाक्षी बाँध के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) क्या इस योजना को मंजूर कर लिया गया है; और

(ग) क्या इस योजना को चौथी पंच वर्षीय योजना की अवधि में शुरू किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत्मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) संथाल परगना जिले में अजय नदी पर "पुनाक्षी जलाशय परियोजना" के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट तकनीकी जाँच के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में प्राप्त हो चुकी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस योजना को बिहार सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अपने प्रस्तावों के प्रारूप में शामिल नहीं किया है।

सरकारी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों द्वारा सुझाव दिये जाने की व्यवस्था

2455. **श्री दामानी:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों द्वारा सुझाव दिए जाने की कोई व्यवस्था है जिसका उद्देश्य लागत को कम करने या बढ़ने से रोकने या उत्पादकता अथवा कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे कहाँ तक सफलता मिली है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) और (ख) : सुझाव देने की प्रणाली विभिन्न उद्यमों में प्रचलित है और उत्पादन बढ़ाने के लिये कुछ मूल्यवान सुझावों के समावेश के अलावा, यह प्रणाली आम तौर पर कर्मचारियों में उद्यमों के संचालन में हिस्सा लेने की भावना पैदा करने में लाभदायक रही है।

National Savings Scheme

2456. **Shri Raghubir Singh Shastri: Shri K. Haldar:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several States have requested for raising the rate of interest to be paid under the various National Savings Schemes ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ;

(c) the recommendations made by the Central Advisory Board on National Savings in this regard in its meeting held recently ; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) Yes, Sir.

(b) The Central Government have not found it possible to agree to the request for raising the interest rates.

(c) The National Savings Central Advisory Board at its meeting held on 18th November, 1967 did not make any recommendtion that the interest rates on various Savings Schemes should be raised.

(d) Does not arise.

कृषि पुनर्वित्त निगम

2457. **श्री वासुदेवन नायर**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा अब तक भूमि के विकास की कितनी योजनाओं के लिए सहायता दी गयी है;

(ख) निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिए अब तक कुल कितनी रकम दी गयी है;

(ग) इन योजनाओं के पूरा किये जाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या निगम ने विभिन्न राज्यों में भूमि-विकास की योजनाओं के तैयार किए जाने में सहायता देने के लिए कुछ कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो अब तक क्या कदम उठाये गए हैं?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) से (ग) निगम ने अब तक भूमि विकास सम्बन्धी 25 योजनाएँ मंजूर की हैं जिनके अन्तर्गत 24.13 लाख एकड़ जमीन का विकास किया जायगा और इन योजनाओं पर कुल 3,780 लाख रुपया खर्च होगा। निगम ने इन योजनाओं के लिए 3,054 लाख रुपया देने का वचन दिया है जिसमें से अब तक 762 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। सम्बद्ध भूमिविकास बैंकों ने 4.49 लाख एकड़ जमीन का विकास करने के लिये 963 लाख रुपया ऋण के रूप में दिया है और उपलब्ध सूचना के अनुसार 30 अक्तूबर, 1967 तक 2.65 लाख एकड़ जमीन का विकास किया जा चुका है।

(घ) और (ङ) जी, हाँ। ऐसी योजनाएँ तैयार किए जाने के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन करने के अलावा निगम ने अपने अधिकारियों को बंगलौर, कलकत्ता, कोयमुत्तूर और हैदराबाद भेजा है, ताकि वे वास्तविक योजना तैयार करने में राज्य सरकारों की सहायता कर सकें।

त्रिपुरा में आदिम जातीय भूमि से आदिम जातियों का निष्कासन

2458. **श्री विश्वनाथ मेनन**: क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1960 से 1967 तक त्रिपुरा में कितनी आदिम जातियों का निष्कासन हुआ;

(ख) आदिमजातीय भूमि से अधिक जातियों के निष्कासन को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार आदिम जातियों को अधिक संरक्षण देने के लिए त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 में संशोधन करने का है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह): (क) से (घ) त्रिपुरा की सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

विदेशियों की गिरफ्तारी

2459. **श्री म० ला० सोंधी**: **डा० रानेन सेन**:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छः मास में राजधानी में कितने विदेशियों को चरस, अफीम, अथवा ऐसी निषिद्ध वस्तुएँ रखने पर गिरफ्तार किया गया है;

(ख) ये विदेशी किन-किन देशों से भारत में आये और उनके पास चरस, अफीम तथा अन्य निषिद्ध वस्तुएँ कितनी मात्रा में मिलीं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उनके तथा भारत के तस्कर व्यापारियों के बीच सम्बन्धों का कोई प्रमाण मिला है;

(घ) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है और क्या उनकी सरकारों को उनकी अवैध गतिविधियों के बारे में अवगत कर दिया गया है; और

(ङ) क्या उन्हें वीसा देने से पूर्व उचित जाँच की गई थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) 17

(ख) सूचना नीचे दी जा रही है:

(i) जिन देशों से विदेशी राष्ट्रिकों ने भारत में प्रवेश किया उनके नाम

	संख्या
पाकिस्तान	9
नेपाल	5
श्रीलंका	1
काबुल	2

(ii) **पकड़ी गई निषिद्ध वस्तुओं की मात्रा**:

19.265 किलोग्राम चरस

(ग) ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है।

(घ) इन मामलों में की गई कार्यवाही का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

(i) गिरफतार किये गये	अदालत में चालान किये गये	अपराधी ठहराये गये	छोड़ दिये गये
17	17	16	1

(ii) इन मामलों में सम्बन्धित सरकारों को सूचित किया गया है अथवा नहीं, इस बारे में पता लगाया जा रहा है और सूचना सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ङ) ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि सम्बन्धित भारतीय मिशनों नेसम्बन्धित व्यक्तियों को प्रवेश-पत्र (वीसा) देन से पूर्व जाँच पड़ताल की सामान्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया था।

सेंधा नमक का तस्कर व्यापार

2460. **श्री य० द० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान से बहुत बड़ी मात्रा में सेंधा नमक कश्मीर घाटी में चोरी छिपे ले जाया जा रहा है:

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बात की जाँच की है कि यह तस्कर व्यापारी कैसे और किस रास्ते से कार्य कर रहे हैं; और

(ग) उसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) अब तक की गयी छानबीन से ऐसा पता नहीं चलता है कि पाकिस्तान से कोई बड़ी मात्रा में सेंधा नमक चोरी छिपे कश्मीर घाटी में ले जाया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

गोआ में अनुसूचित जातियां

2461. **श्री मरंडी :** **श्री मोहन स्वरूप :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गोआ, दमण तथा दीव में अनुसूचित जातियों की एक सूची तैयार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो गोआ, दमण तथा दीव में अब तक कितनी अनुसूचित जातियों की गणना की जा चुकी है; और

(ग) उन्हें राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने क्या सुविधाएँ प्रदान की हैं?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) गोआ, दमण तथा दीव में किन-किन जातियों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का स्थान दिया जायगा, इस मामले पर विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति के आदेश शीघ्र जारी होने की आशा है।

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा

2462. **श्री दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के अधिकारियों की संख्या इस समय कितनी है तथा क्या वे सब केन्द्रीय सरकार में कार्य कर रहे हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : पन्द्रह नवम्बर 1967 को भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा सेवा के पदाधिकारियों की संख्या 520 थी। इनमें से 463 अधिकारी केन्द्रीय सरकार में (भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग सहित) तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सरकारी क्षत्र के उपक्रमों/सांविधिक संस्थाओं में काम कर रहे थे।

भारत में धन भेजे जाने पर प्रतिबन्ध

2463. **श्री दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वे व्यक्ति, जिनके विदेशों में आय के साधन हैं, विदेशी सरकारों द्वारा धन भेजे जाने पर लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण आय कर अधिनियम की धारा 220 (7) के अन्तर्गत प्राप्य लाभ नहीं उठा सकते हैं।

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन विदेशी मुल्कों ने भारत में धन भेजे जाने पर प्रतिबन्ध लगाये हैं; और

(ग) आय का निर्धारण करने वाले अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं कि वे माँगी गई राहत उन लोगों को दे दें?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ग) इस प्रकार की राहत देने के बारे में आयकर अधिनियम के उपबन्ध सुस्पष्ट होने से कोई सामान्य आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

कोयम्बटूर में चिकित्सा महाविद्यालय

2464. **श्रीमटी सुशीला गोपालन:** **श्रीमती पी० रामभूत:**
श्री रमानी: **श्री नायनार:**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयम्बटूर में एक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का कोई विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है; और

(ग) इस महाविद्यालय के लिये कितनी केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने का विचार है?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख) मद्रास सरकार ने जुलाई, 1966 से कोयम्बटूर में चिकित्सा महाविद्यालय खोल दिया है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए चिकित्सा महाविद्यालयों के लिये आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

कोयम्बटूर स्थित चिकित्सा महाविद्यालय के लिए केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में मद्रास सरकार के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली के अस्पतालों में दाखिल संसद सदस्य

2465. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी:**

क्या **स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दस वर्षों में विलिंगडन अस्पाल तथा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, नई दिल्ली में कितने संसद् सदस्य दाखिल किए गए; और

(ख) प्रत्येक अस्पताल में स्वर्गवास हुए संसत्सदस्यों के नाम क्या थे, उनको किस प्रकार का रोग था और वे अस्पताल में कितने समय तक दाखिल रहे?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नागरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) सितम्बर 1967 को समाप्त होने वाले दस वर्षों में 477 संसत्सदस्य विलिंगडन अस्पताल में दाखिल किए गए थे। ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेंस अस्पताल में दिसम्बर, 1958 में काम आरम्भ हुआ था तथा उस अस्पताल में अब तक 12 संसत्सस्दय दाखिल हुए हैं।

(ख) उपर्युक्त अस्पतालों में दाखिल संसत्सदस्यों में से ऑल इंडिया इंस्टिटँयूट ऑफ मेडिकल साइसेंस अस्पताल में अब तक कोई मृत्यु हुई नहीं हुई है, जबकि उन संसत्स्दस्यों के सम्बन्ध में, जिनकी विलिंगडन अस्पताल में मृत्यु हुई, विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1806/67]

Seizures by Customs

2466. **Shri R. S. Vidyarthi:** **Shri Shiv Kumar Shastri:**
Shri Molahu Prasad: **Shri Mahant Digvijai Nath:**
Shri Prakash Vir Shastri: **Shri Y. S. Kushwah:**
Shri Ram Avtar Sharma:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the value of goods seized by the Customs Officers during the period from July to October, 1967;

(b) the quantity of gold and silver out of these goods and the places from where it was seized, its value at international rate and at the rates prevailing in India ;

(c) the amount of foreign exchange seized and the country to which it belonged ; and

(d) the number of persons arrested in this connection ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) to (d). Information in this regard is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Leakage in Air Headquarter Building in New Delhi

2467. **Shri R. S. Vidyarthi:** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Air Headquarters building at Ramakrishnapuram, New Delhi leaks in the rainy season ;

(b) if so, the action taken by Government against the officers concerned for using inferior quality material ;

(c) if the reply to part (b) above be in the negative, the reasons therefore ; and

(d) the number of buildings in Ramakrishnapuram in respect of which such complaints have been received ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh):

(a) to (c) A complaint about seepage of water in Block VI, Ramakrishnapuram was received from the Air Headquarters in July, 1967 and was got attended to by the building contractors, the Hindustan Housing Factory. The seepage was not due to the use of any inferior material but was due to excessive rain during the year. There is thus no question of taking any disciplinary action against any C.P.W.D. officer.

(d) No such major complaint was received about other buildings in Ramakrishnapuram. Some minor complaints were received and promptly attended to.

हैदराबाद के निजाम की आस्तियां

2468. **श्री शिवचन्द्र झा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैदराबाद के निजाम की वित्तीय आस्तियाँ कितनी हैं;

(ख) वह प्रतिवर्ष कितना कर देता है; और

(ग) निजाम ने किन-किन उद्योगों अथवा बैंकों में अपनी पूंजी लगा रखी है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) सम्पत्ति कर का जो नवीनतम निर्धारण पूरा किया गया है वह निर्धारण वर्ष 1960-61 का है जिसके अनुसार हैदराबाद के स्वर्गीय निजाम की सम्पत्ति 31-3-1960 को 8,22,73,646 रुपए थी।

(ख) गत पाँच वित्तीय वर्षों में विभिन्न प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत स्वर्गीय निजाम द्वारा दिए गये विभिन्न कर निम्न प्रकार हैं:

वित्तीय वर्ष	आयकर	सम्पत्ति कर	उपहार कर	व्यय कर	कुल
1962–63	—	11,80,000	—	—	11,80,000
1963–64	19,74,998	1,50,000	96,000	—	22,20,998
1964–65	15,46,104	—	5,03,819	4,87.173	25,37,096
1965–66	6,27,532	15,19,270	4,00,000	4,02,565	29,49,367
1966–67	7,35,593	17,32,776	23,61,003	—	48,29,372
	48,84,227	45,82,046	33,60,822	8,89,738	1,37,16,833

(ग) जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है । यह एकत्रित की जायेगी और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशी बैंक

2469. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी बैंकों की कुल प्रदत्त पूंजी तथा बैंकों में जमा पूंजी कितनी है, और उनका अनुपात क्या है;

(ख) इन विदेशी बैंकों में कितने भारतीय अंशधारी हैं और उनके पास कितने प्रतिशत अंश हैं; और

(ग) इन बैंकों के कितने निदेशक भारतीय हैं तथा उन्होंने कितना ऋण देना है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ग) कोई नहीं।

गर्भपात का रूसी उपकरण

2470. **श्री शिवचन्द्र झा** :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री भगवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने भारत को एक ऐसा उपकरण दिया है, जिसमें गर्भपात शीघ्र तथा आसानी से हो सकता है;

(ख) यदि हाँ, तो वह उपकरण क्या है और भारत को अब तक ऐसे कितने उपकरण दिए गए हैं;

(ग) क्या भारत का विचार उस उपकरण को देश में बनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने भारत स्थित रूसी दूतावास के माध्यम से 'वैक्युम एस्पिरेटर' नामक उपकरण का एक एकक हाल में भेंट किया था।

(ग) और (घ) इस उपकरण का अभी भारत में परीक्षण किया जायगा और इसकी उपयोगिता का अनुमान लगाया जायगा। भारत में इसे बनाने के प्रश्न पर तभी विचार किया जायगा।

भिक्षा वृत्ति

2471. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में भिक्षावृत्ति बढ़ गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधियों में योजनावार भारत में कुल कितने भिखारी थे ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह): (क) जी, हाँ।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

राजघाट और शान्तिवन के लिये भूमि

2472. **श्री शिवचन्द्र झा:** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजघाट शान्ति वन तथा विजयघाट बनाने के लिये कितनें एकड़ भूमि ली गई है;

(ख) इन घाटों के निर्माण को पूरा करने के लिये अनुमानत: कितना धन व्यय होगा; और

(ग) उनकी देखभाल पर प्रतिवर्ष अनुमानत: कितना धन व्यय हुआ है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) से (ग) जहाँ तक राजघाट का सम्बन्ध है सारी विकास योजनाओं की मंजूरी दे दी गई है। शान्तिवन और विजयघाट का विकास प्रक्रमों में किया जा रहा है। शेष दोनों समाधियों के सम्बन्ध में अनुमानित व्यय के आँकड़े अब तक मंजूर प्रस्तावों के बारे में हैं।

अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है:

	(भूमि एकड़ों में)	विकास कार्यों पर व्यय की जाने वाली अनुमानित राशि (रुपये लाखों में)	पूरे हो चुके कामों की देखभाल पर अनुमानित वार्षिक व्यय (रुपये लाखों में)
राजघाट	175	94.44	1.31
शान्ति वन	81	34.23	0.17
विजय घाट	75	2.29	0.10

वाराणसी में गिरफ्तार किये गये विदेशी

2473. **श्री सत्यनारायण सिंह :** **श्री गणेश घोष :**

श्री राममूर्ति : **श्री नम्बियार :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 सितम्बर, 1967 को वाराणासी में तीन विदेशियों को अफीम और गाँजा रखने पर उत्पादन शुल्क अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उन विदेशियों के नाम तथा राष्ट्रीयता क्या है;

(ग) देश में गत छः महीनों के दौरान तस्करी के विभिन्न अपराधों के लिये कितने विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) सरकार ने विदेशियों द्वारा की जाने वाली तस्करी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) अफीम और गांजा रखने के अपराध में 30 सितम्बर, 1967 को वाराणासी में तीन विदेशी व्यक्तियों को अफीम अधिनियम तथा उत्पादन शुल्क अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया था।

(ख) सूचना नीचे दी जा रही है:—

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम	राष्ट्रियता
मिस्टर जान कोफड़	डेन्मार्क निवासी
मिस्टर डुशी जीन बेपटिस्ट मिस्टर डोफर जेराड	फ्रांस निवासी

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(घ) अवैध व्यापार की रोकथाम करने वाली केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों की सभी प्रवर्तन एजन्सियाँ, जैसे सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क आबकारी पुलिस तथा नारकोटिक्स विभाग के कर्मचारी सतर्क हैं और संदिग्ध व्यक्तियों पर, जिनमें विदेशी भी शामिल हैं, वे आंख रखते हैं।

राजसहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

2474. **श्री स० मो० बनर्जी:** क्या **निर्माण आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राजसहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिये राज्य सरकारों को, विशेषकर उत्तर प्रदेश को, राज-सहायता देना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने 1965 तथा 1966 में उत्तर प्रदेश सर-कार को कोई सहायता नहीं दी है?

निर्माण, आवास, तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राजसहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिये उत्तरप्रदेश सरकार को 1964–65 और 1965–66 में ऋण और राजसहायता की नीचे बताई राशियाँ दी थीं:—

	ऋण	राजसहायता
1964–65	39.96 लाख रुपये	17.02 लाख रुपये
1965–66	17.55 लाख रुपये	17.14 लाख रुपये

हरिजनों के लिये मकान

2475. **श्री स० मो० बनर्जी:** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हरिजनों के लिये मकान बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या इस कार्य के लिये विभिन्न राज्य सरकारों को कोई विशेष वित्तीय सहायता दी गई है अथवा दी जा रही है?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) दो योजनायें चालू हैं—(एक) केन्द्रीय सहायता से राज्य योजना योजनाओं के अन्तर्गत हरिजनों द्वारा मकान बनाये जाने के लिये दी जाने वाली राजसहायता और (दो) केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मेहतरों के गृह-निर्माण के लिये राज सरकारों द्वारा दी जाने वाली सहायक अनुदानें, इसके लिये गन्दी बस्ती हटाना और योजना निर्माण तथा आवास मंत्रालय की अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना बनाई गई है।

मेसर्स बी० आर० सन्स लि०, बम्बई से वसूल की जाने वाली कर की बकाया राशि

2476. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैसर्स बी० आर० सन्स लि०, बम्बई से कर की भारी बकाया राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) कर की इतनी अधिक बकाया राशि जमा हो जाने तथा इस कम्पनी को अपनी आस्तियों और आय को इधर-उधर करने के अवसर देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कम्पनी को अपनी आस्तियों के गायब करने देने और कर की बकाया राशि के जमा हो जाने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को दंड देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) (i) सारे कर्जदारों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 226 (3) के अधीन नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

(ii) मेसर्स बी० आर० सन्स लिमिटेड के शेयरों का अभिग्रहण किया जा चुका है।

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (ङ) के साथ पठित धारा 439 (ख) के अधीन मेसर्स बी० आर० सन्स लिमिटेड के अनिवार्य समापन के लिए बम्बई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा चुकी है, जिससे आयकर अधिकारी डायरेक्टरों के खिलाफ कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 542 और 543 के अधीन कार्यवाही कर सकें।

(ख) अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, क्योंकि इस बारे में छानबीन की जा रही है।

(ग) जैसा कि प्रश्न के उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, कम्पनी के अनिवार्य समापन के लिये बम्बई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा चुकी है, जिससे आयकर अधिकारी इस कम्पनी के डायरेक्टरों के खिलाफ कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 542 और 543 के अधीन कार्यवाही कर सकें।

सरकारी प्रतिष्ठानों की आन्तरिक लेखा परीक्षा

2477. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के बहुत से प्रतिष्ठानों में आन्तरिक लेखा परीक्षा की कोई पद्धति चालू नहीं है और न कोई ऐसी नियमावली है जिसमें लेखा पालन की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गयी हो;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का उन प्रतिष्ठानों को कोई हिदायतें जारी करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग) सरकारी उद्यमों की आन्तरिक लेखा की उचित-प्रणाली और इनके द्वारा लेखा नियमावली के संकलन का महत्व हमेशा स्वीकार किया गया है और उद्यमों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गयी है। 1965-66 के अन्त तक 45 कम्पनियों में से, जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट (वाणिज्यिक), 1967 में सूचना उपलब्ध है, 35 कम्पनियों ने आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली चालू कर दी थी और 32 कम्पनियों ने लेखा नियमावली का संकलन कर लिया था। इन्हें व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए जहाँ इनमें सुधार करने का लगातार प्रयत्न किया जाता है वहाँ उन उद्यमों को, जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं करने के सम्बन्ध में हिदायतें दी गयी हैं।

आयकर निर्धारण के लिये अधिकारियों के दौरे

2478. **श्री यज्ञदत्त शर्मा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब, हरियाना, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और काश्मीर के आयकर आयुक्त ने अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आयकर अधिकारियों को आयकर निर्धारण करने के लिये मोफिसल दौरों में कटौती करने के लिये अनुदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन अनुदेशों से करदाताओं को बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि कर निर्धारण के लिये उनको मुख्यालय में बुलाया जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) जी, नहीं। केवल आयकर अधिकारी बी-वार्ड, हिसार से तारीख 30 अक्तूबर 1967 को कहा गया था कि वह हाँसी के मामले की सुनवाई अपने मुख्यालय पर करे।

(ख) जी, नहीं। हाँसी हिसार से मुश्किल से 16 मील की दूरी पर स्थित है और हिसार तथा हाँसी के बीच आधे आधे घंटे से भी कम समय में नियमित रूप से बसें चलती हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Harijan Sewak Samaj

2479. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of Social Welfare be pleased to state : (a) whether it is a fact that Government have been giving grants to "Hind Sweeper Sewa Samaj", "Akhil Bhartiya Harijan Sewak Samaj" and "Harijan Sewak Sangh" ;

(b) whether Government have ever conducted an audit of their accounts ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Srimati Phulrenu Guha): (a) The following grants were released during 1966-67 :—

Hind Sweepers Sevak Samaj	Rs. 47,392.
Harijan Sewak Sangh	Rs. 4,45,870.

(b) The accounts of the Harijan Sewak have been audited by the Accountant-General, Central Revenues, New Delhi.

(c) Under the grant-in-aid rules, the Accountant General audits the accounts of institutions in receipt of annual grants exceeding Rs. 1 lakh.

The accounts of other institutions are allowed to be audited by Chartered Accountants.

भारत सेवक समाज

2480. **श्री मोलहू प्रसाद :** **श्री राम चरण :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थियेटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के लगभग 12 कमरे, जो भारत सेवक समाज को अलाट किये गये थे, अब भी उसके कब्जे में है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत सेवक समाज ने उस भवन में से अपना अधिकांश काम हटा लिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत सेवक समाज ने उस भवन के छः कमरे अनुचित तौर पर रुपया कमाने के लिये विभिन्न अभिकरणों को किराये पर दे रखे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उस भवन को भारत सेवक समाज से खाली कराने के लिये तथा उसे सरकार की अनुमति के बिना अनधिकृत रूप से किराये पर दिये जाने से रोकने के लिये भारत सेवक समाज के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) भारत सेवक समाज उसके कार्यालय केन्द्रीय और दिल्ली प्रदेश कार्यालय—के पास इस समय थियेटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग में 5,902 वर्ग फुट भूमि है जिस पर 20 कमरे बने हुए हैं।

(ख) हमारे पास ऐसी सही जानकारी नहीं है कि क्या भारत सेवक समाज के उन अनुभागों ने, जो थियेटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग में हैं, अपना काम वहाँ से हटा लिया है।

(ग) और (घ) अब तक ऐसे पाँच मामले, जिनमें भारत सेवक समाज ने थियेटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग में उन्हें अलाट किये गये कमरों अथवा कमरों के भागों को किन्हीं अन्य संगठनों को दिया है, हमारे ध्यान में आये है। ऐसे दो कमरों का अलाटमेंट रद्द कर दिया गया है और भारत सेवक समाज को कहा गया है कि वह 21 दिसम्बर, 1967 तक उसका खाली कब्जा दे। यदि भारत सेवक समाज उपर्युक्त तारीख तक सारा खाली कब्जा नहीं देता है तो उसके खिलाफ सार्वजनिक लोक परिसर (अपराधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत उसे खाली कराने की कार्यवाही की जायेगी। एक मामले में सम्बन्धित पार्टी ने स्थान खाली कर दिया है। अन्य मामलों में अलाटमेंट को विनियंत्रित करने/कब्जा करने वाली पार्टियों के नाम पर अन्य स्थान अलाट करने के लिये विचार किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसी प्रार्थना की है।

बम्बई में सोना पकड़ा जाना

2481. **श्री विश्वम्भरन :** **श्री एस० एम० जोशी :**
श्री जि० ब० सिंह : **श्री श्री चन्द्र गोयल :**
श्री कामेश्वर सिंह : **श्री श्रीधरन :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 अक्तूबर, 1967 को बम्बई में 90 लाख रुपये का निषिद्ध सोना पकड़ा गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस मामले में कुछ विदेशी लोगों का हाथ है, और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) बम्बई के निकट बेलापुर-पनवेल जल-पट्टी के पास स्थित एक स्थान से 11 अक्तूबर, 1967 को विदेशी मार्के का 45,000 तोला बरामद किया गया था, जिसका अन्तर्राष्ट्रीय दर के अनुसार मूल्य 44,28,900 रु० होता है।

(ख) इसमें किन्हीं विदेशी व्यक्तियों के शामिल होने के कोई संकेत जाहिर नहीं हुए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Agriculture and Rural Economy Committee

2482. **Shri Maharaj Singh Bharti :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the action taken on the recommendations made by the Committee set up on 'Agriculture and Rural Economy' for the Fourth Plan, under the Chairmanship of Shri Harish Chandra Mathur to the effect that whatever be the size of the Plan, 1,000 acres of additional land should be irrigated during the first three years of the Plan ; and

(b) the extent to which the recommendation made by the said Committee that the areas which cannot be irrigated by rivers or canals may also be surveyed as been implemented.

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) The recommendations are to be considered by the Planning Commission while finalising the Fourth Five Year Plan.

(b) Necessary, data is, being collected first to determine the areas not irrigated before detailed surveys are undertaken.

बारक बांध परियोजना

2483. **श्री ज्योत्सना चन्दा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 3 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7889 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारक बाँध परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन इस बीच प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी सिफारिशें क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस दिशा में कब कार्य आरम्भ करने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) से (ग) बारक बाँध परियोजना का प्रतिवेदन केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग ने तैयार किया है।

परियोजना प्रतिवेदन में निम्नलिखित वैकल्पों की सिफारिश की गई है:—

(एक) 25.2 करोड़ रुपये की लागत की बाढ़ नियंत्रण योजना; और

(दो) 39.6 करोड़ रुपये की लागत की बाढ़ नियंत्रण तथा जल विद्युत् सम्बन्धी बहु-प्रयोजनीय योजना।

केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के दो परामर्शदाताओं को आयोग द्वारा तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदनों पर उनकी राय जानने के लिये दे दी गई है।

परियोजना प्रतिवेदन की प्रतियाँ राज्य सरकार को भी विचारार्थ भेज दी गई हैं। परियोजना का काम राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किये जाने, योजना आयोग द्वारा स्वीकार किये जाने और योजना में शामिल किये जाने के पश्चात् ही आरम्भ हो सकता है।

पुरानी दिल्ली क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के नये औषधालय

2484. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुरानी दिल्ली क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के नये औषधालय खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है क्योंकि उस क्षेत्र में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई अनुभव हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो ये औषधालय कब और कहाँ (वस्तीवार) खोले जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी, हाँ।

(ख) 1968–69 में निगम क्षेत्र में तीन नये औषधालय खोलने का विचार है बशर्ते कि इसके लिये धन उपलब्ध हो तथा औषधालयों के लिये उचित स्थान मिल जाये। जब बजट व्यवस्था स्पष्ट हो जायेगी तब यह निर्णय किया जायेगा कि उन्हें कहाँ खोला जाय।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मंदिरों के पास सोना तथा जवाहरात

2485. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंदिरों के कब्जे में सोने तथा जवाहरात का किन्हीं उत्पादी कार्यों के लिये प्रयोग करने की संभावना का पता लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। किन्तु, मन्दिरों तथा सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं ने विगत समय में अपना कुछ सोना तथा जवाहिरात राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांडों तथा अन्य योजनाओं में स्वेच्छा से लगाये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विसर्जन आश्रम

2486. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री 29 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4043 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीकी मिशन और विसर्जन आश्रम के कार्य के अलग-अलग क्षेत्रों का निर्धारण करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि अमरीकी मिशनरियों की कुष्ठ-निवारण कार्य के अलावा और भी गतिविधियाँ हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस बारे में कोई जाँच-पड़ताल की गई है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब०सू०मूर्ति):

(क) जी, हाँ।

(ख) सरकार का ध्यान किसी विपरीत चीज की ओर नहीं दिलाया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम कोसी नहर, को अपने अधिकार में लेना

2487. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकि :

(क) क्या पश्चिम कोसी नहर को अपने अधिकार में लेने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : सरकार ने पश्चिम कोसी नहर को अपने अधिकार में लेने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में तेल की खोज

2488. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस देश का नाम क्या है जिसे राजस्थान की सीमा के साथ-साथ तेल की खोज, करने का ठेका दिया गया है;

(ख) यह ठेका कितनी अवधि के लिये दिया गया है;

(ग) प्रारम्भिक सर्वेक्षण पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) राजस्थान में तेल की खोज पर कितना धन अब तक व्यय हो चुका है तथा अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) और (ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में निम्नलिखित कम्पनियों ने सर्वेक्षण और छिद्रण कार्य किया था:—

कम्पनी का नाम	कार्य	ठेके की कुल अवधि
1. इंस्टीट्यूट फरारोइसे डू पैट्रोल	खोज कार्य का नियोजन निदेशन तथा पर्यवेक्षण और क्षेत्रीय आँकड़ों का विवेचन तथा संश्लेषण	5 वर्ष, 8 महीने और 28 दिन।
2. कम्पनी जनरेल डी जीओ फीजिक	भूकम्प सर्वेक्षण	3 वर्ष और 11 महीने
3. —तदेव—	नलकूपों का छिद्रण	1 वर्ष और 8 दिन
4. फोरासोल	ढांचों सम्बन्धी छिद्रण	2 वर्ष, 8 महीने और 26 दिन
5. सोसायटी डी प्रोस्पेक्शन इलैट्रिक स्कूलम्बरगर	इलैक्ट्रोलोगिंग तथा अन्य कुओं/सर्वेक्षणों सम्बन्धी कार्य	2 वर्ष, 3 महीने और 27 दिन

(ग) आरम्भ में अनुमान था कि भूकम्पीय सर्वेक्षण पर 117.32 लाख रु० व्यय होंगे।

(घ) अक्तूबर 1967 के अन्त तक खोज कार्य पर लगभग 419.21 लाख रु० व्यय किये गये थे। इसमें निश्चल आस्तियों स्टोर और अन्य प्रकीर्ण मदों पर किया गया व्यय शामिल नहीं है।

वाणिज्यिक स्तर पर तेल/प्राकृतिक गैस के पता लगने की संभावना के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

मंत्रियों का बिजली और पानी का खर्च

2489. **श्री ना० स्व० शर्मा :** **श्री शारदा नन्द :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 1967 से एक ही प्रांगण में स्थित "रिहायशी उपयोग के लिये" तथा "कार्यालय के उपयोग के लिये" पृथक्-पृथक् शीर्षक के अन्तर्गत प्रत्येक मंत्री द्वारा इस्तेमाल किये गये पानी तथा बिजली का प्रति मास कितना खर्च आया; और

(ख) किस तरीके से यह पता लगाया जाता है कि बिजली तथा पानी का खर्च "रिहायशी उपयोग" के लिये है अथवा "कार्यालय उपयोग" के लिये ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०-1807/67**]

(ख) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 के अनुसार मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों को बिना किसी सीमा के निःशुल्क जल और पानी इस्तेमाल करने का हक है। तथापि, मंत्री/उप-मंत्री स्वेच्छा से 2400 रु० तक की अधिक जल सीमा के लिये राजी हो गये हैं, अर्थात् यदि बिजली पानी पर प्रति वर्ष इससे अधिक व्यय होगा तो वे अतिरिक्त राशि को सरकार के पास जमा करा देंगे। यह अधिकतम सीमा निवास स्थान के उस भाग पर लागू है जो सम्बन्धित मंत्रियों के निजी इस्तेमाल के लिये है न कि उस भाग पर जो कि सरकारी काम के लिये है। मंत्रियों के निवास स्थानों में बिजली और पानी के व्यय का अलग अलग हिसाब इस प्रकार लगाया जाता है:—

निजी उपयोग	**सरकारी उपयोग**
(एक) निवास स्थान के निजी भाग में उपयोग	(एक) निवास स्थान के सरकारी भाग में उपयोग
(दो) नौकरों के क्वार्टरों में उपभोग	(दो) सुरक्षा लाइटों या गेट लाइटों के लिये बिजली का उपभोग
(तीन) धोबी घाटों पर पानी का उपयोग	(तीन) गार्डरूम में बिजली का उपयोग

सभी मंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने निवास स्थानों में अलग-अलग मीटर लगवाएँ या उनको ठीक करवाएँ ताकि अलग-अलग खर्च का पता लग सके।

मंत्रियों के लिये निःशुल्क फर्नीचर तथा बिजली के सामान की सीमा

2490. **श्री ना० स्व० शर्मा :** **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री, राज्य-मंत्री अथवा उप-मंत्री को इस समय किस सीमा तक निःशुल्क फर्नीचर, बिजली का सामान, पानी तथा बिजली दी जाती है;

(ख) उन मंत्रियों के क्या नाम हैं, जिन्हें निर्धारित सीमाओं से अधिक राशि का फर्नीचर अथवा बिजली का सामान दिया गया है; और

(ग) प्रत्येक मामले में सीमा से अधिक दिये गये फर्नीचर तथा बिजली के सामान का कितना किराया आदि लेना बकाया है ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) मंत्रिमण्डल के मंत्रियों/राज्य-मंत्रियों/उप-मंत्रियों के निवास स्थानों में बिना किराये के लगाने के लिये फर्नीचर और बिजली के सामान का निम्न मूल्य निर्धारित किया गया है:—

(एक) मंत्रिमण्डल के मंत्री तथा राज्य मंत्री	38,500 रु०
(दो) उप-मंत्री	22,500 रु०

मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत मंत्री बिना किसी सीमा के निःशुल्क जल तथा बिजली उपभोग कर सकते हैं। फिर भी, मंत्री स्वेच्छा से इस बात के लिये राजी हो गये हैं कि यदि इन मदों पर वार्षिक व्यय 2400 रु० से जितना अधिक होगा उसका वे भुगतान करेंगे।

(ख) और (ग) 1 अप्रैल से 31 अक्तूबर, 1967 तक की अवधि के लिये वर्तमान मंत्रियों के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है:—

मंत्री का नाम	देय किराया
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	563.12
श्री जगजीवन राम	173.54
श्री गोविन्द मेनन	1.19
श्री रघुरामैया	58.19
डा० कु० ल० राव	58.19
श्री विद्याचरण शुक्ल	0.64
श्री मुथियल राव	175.38
श्री भानूप्रकाश सिंह	105.38
श्री ब० सू० मूर्ति	62.53
श्री डा० एरिंग	58.44
श्री मोहम्मद शफी कुरैशी	20.19

बिलों की अदायगी के लिये सम्बन्धित मंत्रियों के पास भेजा जा रहा है।

ऋषिकेश में प्रतिजीवाणु औषधि सम्बन्धी परियोजना

2491. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री अ० कु० गोपालन :**

श्री पी० राममूर्ति : **श्री नम्बियार :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋषिकेश स्थित प्रतिजीवाणु औषधि सम्बन्धी परियोजना के अन्तिम कारखाने कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो यह कब से कार्य कर रहा है;

(ग) इस कारखाने पर अब तक प्रति मास कितना व्यय हुआ है; और

(घ) 1967 में इसमें कुल कितना माल तैयार हुआ ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी हाँ।

(ख) 30 अक्तूबर, 1965 से।

(ग) अग्रिम संयंत्र पर अब तक लगभग 10.86 लाख रु० व्यय किये गये हैं। मासिक व्यय बैचों की संख्या पर निर्भर करता है। उदाहरणार्थ जुलाई, 1967 के महीने में 25,000 रु० व्यय हुए जबकि मार्च, 1967 में 76,000 व्यय हुए।

(घ) अग्रिम कारखाना उत्पादन कारखाना नहीं है, यह तो तजर्बे आदि के लिये है। इस सम्बन्ध में इस कारखाने से काफी सहायता मिली है।

कैनेडा से सहायता

2492. **श्री मरंडी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैनेडा सरकार कृषि तथा औद्योगिक विकास के लिये भारत को अधिक ऋण तथा अधिक प्रभावी सहायता देने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कोई अनुमान लगाया गया है और कैनेडा भारत की कितनी सहायता करने के लिये तैयार है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कैनेडा से कोई विशेषज्ञ भारत आया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : भारत सरकार को कैनेडा सरकार द्वारा प्रति वर्ष दी जाने वाली सहायता "एड इन्डिया कन्सोरशियम" की बैठकों में बताई जाती है। 1967-68 के लिये कैनेडा ने 50.5 डालरों की सहायता दी है। 1968-69 के लिये सहायता का पता कन्सोरशियम की बैठक में ही चलेगा।

(ग) कृषि के क्षेत्र में कैनेडा भारत की कितनी सहायता कर सकता है इसका पता लगाने के लिये एक दल कैनेडा से भारत में आया हुआ है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के लिये स्वयंसेवक ब्यूरों

2493. **श्री मयावन :** **श्री मरंडी :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने स्वयंसेवक ब्यूरो स्थापित करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके मुख्य काम क्या होंगे; और

(ग) उसे स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) ब्यूरो का काम स्वयंसेवी कार्यकर्त्ताओं की सेवाओं को प्रभावशाली ढंग से स्वयंसेवी समाज कल्याण संस्थाओं को उपलब्ध कराना है। इस प्रकार स्वयंसेवी संस्थाएँ अच्छा काम करने की स्थिति में होंगी।

इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड

2494. **श्री बाल्मीक चौधरी** : **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी कम्पनी बेक्टेल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से अलग होना चाहती है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) भारत सरकार और बेक्टल ने आपसी करार से इंजीनियर्स इन्डिया लिमिटेड में अपनी भागीदारी को समाप्त कर दिया है। 14.6.1967 को करार द्वारा कम्पनी में बेक्टल के हितों को सरकार को हस्तान्तरित किया गया था।

(ख) ऐसा इसलिये किया गया था कि दोनों पक्षों ने देखा कि कम्पनी उनके अपने-अपने हितों को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं कर रही थी।

जीवन बीमा निगम का धन

2495. **श्री रणधीर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु सिंचाई कार्यों के विकास, कृषि-उत्पादन, गन्दी बस्तियों की सफाई तथा समाज के निर्धन वर्गों के लोगों के लिये कुटीर उद्योग स्थापित करने तथा मकान बनाने के लिये, समूचे राष्ट्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए, जीवन बीमा निगम के धन का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ग) जीवन बीमा निगम के विनियोजन, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27 के द्वारा, जिस रूप में वह उस पर लागू होता है, नियमित होते हैं। इन उपबन्धों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि इनका विषय-क्षेत्र इतना विस्तृत है कि इनके अन्तर्गत विनियोजन के वे सभी माध्यम आ जाते हैं जिनसे प्रश्न में उल्लिखित कार्योंको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये गन्दी बस्तियों की सफाई तथा गृह निर्माण की योजनाएं

2496. **श्री रणधीर सिंह** : क्या **निर्माण आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के लिये मकान बनाने तथा गन्दी बस्तियों को हटाने सम्बन्धी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों के क्रियान्वन के लिये ऐसी कोई योजना भेजी गई है;

(ग) यदि हाँ, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है और इसके प्रति राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ) अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, अगस्त 1957 में लागू की गई ग्राम आवास परियोजनाओं

की योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आवास की दशाओं और सफाई में सुधार करना है और इसमें निम्न बातों का उपबन्ध है :

(एक) ग्रामवासियों को नये मकान बनाने या वर्तमान मकानों की हालत में सुधार करने के लिये प्रति मकान लागत के 80 प्रतिशत या 3,000 रु० से अनधिक राशि का ऋण दिया जाना—ऋण 20 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जायेगा।

(दो) चुनीदा गाँवों में सफाई के लिये गलियों और नालियों का बनाया जाना।

(तीन) उन भूमिहीन कृषक मजदूरों को, जो कि अपने मकानों के निर्माण के लिये ऋण सहायता प्राप्त करने के लिये भी पात्र हैं, निशुल्क या नाममात्र लागत पर मकान के प्लाटों का आवंटन किया जाना।

(चार) राज्य स्तर पर ग्रामीण आवास विभागों की स्थापना। इन विभागों का मुख्य कार्य, ग्राम वासियों को उनके मकानों में निर्माण के लिये तकनीकी सहायता देने के अतिरिक्त, चुनीदा ग्रामों के लिये योजना का तैयार किया जाना तथा ग्रामीण मकानों के लिये आदर्श रूपांकन का तैयार किया जाना।

प्रथम तीन कार्यक्रमों का पूरा व्यय तथा ग्रामीण आवास विभागों के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों का 33 प्रतिशत व्यय केन्द्रीय सहायता से पूरा किया जाता है।

योजना के अन्तर्गत अब तक की प्रगति इस प्रकार है;—

1. **पूरे किये गये मकान** : 35,220
2. **गलियां और नालियां** : केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर और त्रिपुरा में लगभग 163 किलोमीटर लम्बी गलियाँ और 44 किलोमीटर लम्बी नालियाँ पूरी की गई हैं; बिहार के लिये 4800 किलोमीटर लम्बी गलियाँ मंजूर की गई है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में 99 गाँवों में गलियों और नालियों की व्यवस्था करने का काम पूरा हो गया है और 21 गाँवों में काम चालू है।
3. **भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिये मकानों प्लाटों की व्यवस्था:** बिहार में 10 एकड़ भूमि अर्जित की गई है। गुजरात, केरल और मैसूर में 228 मकान के प्लाट आबंटित किये गये हैं।

Facilities to Scheduled Castes and Scheduled Tribes

2497. **Shri Balraj Madhok:** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state : (a) whether it is a fact that the facilities extended to Scheduled Castes are not provided to Scheduled Tribes ;

(b) whether it also a fact that the facilities extended to Scheduled Castes are withdrawn on their conversion to Christianity or Islam but Scheduled Tribes continue to enjoy the same even after conversion ;

(c) whether it is also a fact that because of this advantage, Christians are very active in converting people belonging to Scheduled Tribes ; and

(d) if so, the steps taken by Government to improve the situation ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shriamati Phulrenu Guha) : (a) A few developmental programmes are common ; others are planned to suit the local needs of various communities.

(b) Yes, Sir.

(c) Government have no information in regard to the factors leading to conversions.

(d) Does not arise.

Sale of Developed land in Delhi

2498. **Shri Balraj Madhok** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the total area of land developed and the number of plots sold by the Delhi Development Authority from the 15th August, 1967 to 15th November, 1967 ;

(b) the amount realised from the sale of plots ; and

(c) whether this has brought down land prices in Delhi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) The development of land is a long process and it includes not only operations like levelling the land, laying of roads, sewerage, storm water drains but also the provision of water supply and electricity etc. It is not possible to indicate specifically the area that was developed during the period from 15th August 1967 to 15th November 1967.

The Delhi Development Authority had sold 501 plots during the period from 15th August 1967 to 15th November 1967.

(b) Rs. 79,10,839 was realised from the sale of these plots.

(c) Yes. The land prices are showing a downward trend.

Indian Oil Corporation

2499. **Shri Balraj Madok** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Oil Corporation has not got sufficient number of petrol pumps and other resources for the distribution of oil produced in India ;

(b) whether it is also a fact that due to these reasons, a large quantity of such oil is sold to foreign oil companies operating in India at cost price ;

(c) whether it is also a fact that these companies earn huge profits by selling this oil;

(d) whether Government also receive some portion of the profits earned by these Companies ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Raghuramaiah) :

(a) and (b) There are enough retail outlets in India for the distribution of oil produced in the country. However, the retail outlets with the Indian Oil Corporation are not adequate in relation to its product availability. This is one of the reasons why the Indian Oil Corporation has to raise to sale a portion of its production of Motor Spirit to the other oil companies. High Speed Diesel Oil, which is the only other product sold through retail outlets, is marketed by the Indian Oil Corporation through its own outlets. The Indian Oil Corporation recovers the ex-refinery price on its Motor Spirit sold through the outlets of the other oil companies.

(c) The other oil companies earn the normal marketing margins/profits, as provided for by the Government's pricing formula, on such sale.

(d) No, except through taxes.

(e) The profits on retail marketing are retained by the oil company performing that service.

मध्य प्रदेश को सहायता

2500. **श्री मणी भाई जे० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में आदिम जातीय विकास खण्डों के लिये अतिरिक्त धनराशि के नियतन के लिये मध्य प्रदेश की सरकार से कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस मामले में किया गया निर्णय इस बीच मध्यप्रदेश की सरकार को बता दिया गया है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हाँ।

(ख) राज्य सरकार ने मील और मध्य गोंड के प्रदेशों और बस्तर जिले के विशेष विकास कार्यक्रम के लिये 12 वर्ष की अवधि में 15 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि के लिये प्रार्थना की थी।

(ग) चूंकि केन्द्र के लिये योजना में उपलब्ध केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त कोई राशि देना संभव नहीं है, इसलिये राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे राज्य योजना और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिये आवंटित राशियों में ही जहाँ तक संभव हो विशेष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का प्रयत्न करें।

अखिल भारतीय आयुर्वेदिक परिषद

2501. **श्री मणी भाई जे० पटेल** :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री 25 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 426 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्वेदिक परिषद् की स्थापना के लिये प्रस्तावित समिति अब बना दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके सदस्य कौन कौन हैं और इस समिति के कृत्य क्या हैं; और

(ग) समिति ने अब तक क्या प्रगति की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हाँ।

(ख) समिति में निम्न सदस्य शामिल हैं:—

1. पंडित शिव शर्मा संसद् सदस्य .. अध्यक्ष
2. श्री एच० जी० वर्तक .. सदस्य
3. श्री मोहन लाल पी० व्यास .. सदस्य
4. श्रीमती पूरबी मुकोपाध्याय .. सदस्य
5. श्री आर० एन० मधोक .. सदस्य (संयोजक)

समिति, होम्योपैथी सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति की एक केन्द्रीय परिषद् स्थापित करने के लिये विधान के ब्यौरों की जाँच करेगी।

(ग) समिति से कहा गया है कि वह अपनी पहली बैठक की तिथि से, जो कि 4 जनवरी 1968 को होने वाली है, 3 मास के भीतर अपना प्रतिवेदन दे।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा राशि में से उदारतापूर्वक अधिक राशि दिया जाना

2502. **श्री मणी भाई जे० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य बैंकों द्वारा जमा राशि में से उदारतापूर्वक अधिक राशि दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो बैंकिंग संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋणों और उनके प्रबन्धकों का उपयोग करने के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क) वाणिज्यिक बैंक अधिक राशि अपने विवेक को प्रयोग करके देती हैं जो कि ऋण लेने वाले की साख पर निर्भर है। जहाँ तक उदारता पूर्वक ऋण देने का सम्बन्ध है, इसके सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने जुलाई, 1967 से जिन उपायों की घोषणा की है वे 23 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1486 में दिये गये हैं।

(ख) शायद इसका सम्बन्ध बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण से है। इस सम्बन्ध में अन्तिम प्रस्ताव शीघ्र ही संसद् के समक्ष रखे जायेंगे।

Approval of Colonies in Delhi

2503. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the **Minister of Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the colonies approved by the Delhi Development Authority in Delhi have been disapproved again and whether the attention of Government has been drawn to the loss suffered by the people as a result of such a change ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh):

(a) and (b) : Question may please be made more specific as it is not clear in the present form what exact information is required.

Narmada Dam

2504. **Shri Shashibhushan Bajpai** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the names of countries which have assured, supply of machinery, financial and technical assistance for Narmada Dam Project, ; and

(b) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao.) :

(a) and (b) An Organizstion of U.S.S.R. is reported to have offered to the Government of Madhya Pradesh machinery and equipment for the Narmada Sagar Project. Foreign assistance for any project is sought only after the project is technically cleared and necessary finances for its execution provided in the Plan. The revised Narmada Sagar Project Report is awaited from the Government of Madhya Pradesh.

ज्वालामुखी में छिद्रण कार्य

2505. **श्री हेम राज** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ज्वालामुखी में छिद्रणकार्य बन्द कर दिया गया है तथा सप्री (ज्वालामुखी) और ज्वालामुखी खास में विभाग के बहुत से भवन हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इन भवनों का किस प्रयोजन के लिये उपयोग किया जा रहा है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी हाँ। उपरोक्त भवन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के हैं।

(ख) ज्वालामुखी स्थित रिहायशी क्वार्टरों में कोई नहीं रहता है। सप्री में शेडों का उपयोग सामान आदि जमा करने के लिये किया जाता है और रिहायशी क्वार्टरों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वे कर्मचारी रहते हैं जो भण्डार बनाने, रिग तथा उपकरण की देखभाल करने और उन्हें अन्य क्षेत्रों में भेजने का काम करते हैं।

चाय के मानक

2506. **श्री हेम राज :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत चाय के मानक निर्धारित करने के लिये काँगड़ा और देहरादून की हरी तथा काली चाय के नमूने लिये गये थे; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) भारतीय मानक संस्था ने, जो खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन लाने के लिये हरी तथा काली चाय के मानक बनाने के कार्य कर रही है, काँगड़ा तथा देहरादून की चाय के सम्बन्ध में उपलब्ध आँकड़ों पर विचार किया था।

(ख) भारतीय मानक संस्था के विश्लेषणात्मक परिणामों के आधार पर खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति ने चाय के वर्तमान मानकों में संशोधन करने की सिफारिश की है जिससे दोनों प्रकार की चाय अर्थात् हरी तथा काली चाय को सम्मिलित किया जा सके। सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है।

नई दिल्ली में विलिंगडन अस्पताल में रोगियों का दाखिला

2507, **श्री शारदानन्द :** **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में विलिंगडन हस्पताल में केवल उन रोगियों को दाखिल किया जाता है जिनकी कुछ न्यूनतम आय हो;

(ख) यदि हाँ, तो रोगियों के दाखिले से सम्बन्धित नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हाँ, तो उनपर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार निपोजन तथा नगरीय विकास में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) चाहे किसी व्यक्ति की आय कुछ भी हो, जनरल वार्ड में उसे मुफ्त दाखिल दिया जाता है। नर्सिंग होम या जिन वार्डों में दाखिले के लिये कुछ रकम देनी पड़ती है उनमें न्यूनतम आय क्रमश: 501 रुपये और 251 रुपये होनी चाहिये।

(ख) विलिंगडन हस्पताल में रोगियों के दाखिले से सम्बन्धित नियम 3, 4, और 5 के उद्धरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं [**पुस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी०** 1808/67]

(ग) नहीं जी। नर्सिंग होम में 56 पलंग हैं और विशेष वार्डों में 24 पलंग है। रोगियों से प्राप्त आवेदनपत्र की तिथि के क्रम से दाखिला दिया जाता है। तुरंत ध्यान देने योग्य रोगियों को बिना आवेदन पत्र पर ध्यान दिये दाखिला दे दिया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Allotment of Shops in Moti Bagh, New Delhi

2508. **Shri Sharda Nand:** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government shops in Moti Bagh, New Delhi, have been allotted under the **jhuggi-jhopri** scheme ;

(b) the rules according to which Government shops in Ramakrishnapuram have been allotted ;

(c) whether it is also a fact that a number of persons out of the allottees of shops in Ramakrishnapuram have given possession of Government shops to other persons by accepting huge amounts as "Pugree" ; and

(d) if so, the action taken to check such mal-practices ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh):

(a) No.

(b) Initial allotment of shops in Ramakrishnapuram were made keeping in view the balanced representation of various trades and the capacity of the allottee concerned. The subsequent allotments of shops were made on tender basis.

(c) and (d) Instances of subletting of shops had come to the notice of the Government from time to time. The following action is taken in such cases :

(i) When a shop is sublet to a third party and the sublettee approaches the Government for regularisation, the shop is regularised in favour of the sublettee in accordance with the existing instructions for the Administration of Markets, provided he can establish that he is in occupation of the shop, clears the entire arrears of rent and agrees to pay licence fee equal to the market rent fixed for the shop plus 50% thereof.

(ii) In cases where the Government come to the conclusion that the shop has actually been sublet to a third party, but the sublettee does not approach for regularisation of the shop, the allotment is cancelled and action taken to evict him under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1958.

(iii) Transfer of shops by their occupants to third parties is a normal business practice and appropriate provision exists in the Instructions for the Administration of Markets.

पश्चिम बंगाल को सहायता

2509. **श्री क० हाल्दर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की सरकार ने केन्द्र से अभ्यावेदन किया है कि उसे अपने कर्मचारियों को बढ़ाई गयी दर से महंगाई भत्ते की अदायगी करने के वचन तथा सहायता कार्यों के करने के परिणाम स्वरूप हुए घाटे को पूरा करने के लिये वित्तीय सहायता दी जाये ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र यह सहायता प्रदान करेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) क्योंकि राज्य के प्रशासन का खर्च राज्य सरकार को स्वयं चलाना है इसलिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की, उनके कर्मचारियों के बढ़ाये गये महंगाई भत्ते के कारण होने वाले खर्च के लिये सहायता देने की माँग स्वीकार नहीं की है। जहाँ तक राहत के कार्यों का सम्बन्ध है, केन्द्र सरकार उतनी आवश्यक सहायता देगी जितनी खर्च में केन्द्र के हिस्से की वर्तमान पद्धति के अनुसार बनती है।

Dam on River Indus

2510. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Irrigation and Power be** pleased to state :

(a) whether Government have studied the report submitted by the State Government for constructing a dam on the river Indus near Magrauni and to feed Harsi dam in Gwalior Commissionery area of Madhya Pradesh for the purpose of providing asistance for the project ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The Madhya Pradesh Government had submitted, in October, 1966, a scheme for removing shortage in Harsi Dam Reservoir in Gwalior by means of a diversion weir on the river Sindh. The scheme was examined in the Central Water & Power Commission and comments were sent to the State Government in February, 1967. Replies to these comments are still awaited.

(b) Does not arise.

क्वार्टर अलाटमेंट सम्बन्धी नियम

2511. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री नम्बियार :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री राममूर्ति :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जनरल पूल के क्वार्टरों में से सरकारी क्वार्टरों के अलाटमेंट की पात्रता के लिये क्षेत्रों की स्थानीय सीमा निर्धारित करने के लिये नियमों की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का सरकार का विचार है;

(ख) ये नियम सर्वप्रथम किस तारीख को बनाये गये थे और पिछली बार किस तिथि को इनमें संशोधन किया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी में स्थित कार्यालयों/संस्थानों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी उक्त नियमों के अन्तर्गत जनरल पूल के क्वार्टरों से, जो कि सम्पदा निदेशालय, नई दिल्ली के निय-त्रणाधीन हैं, क्वार्टर अलाटमेंट के पात्र नहीं माने जाते; और

(घ) यदि हाँ, तो दिल्ली छावनी क्षेत्र में स्थित कार्यालयों / संस्थानों में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का प्रबन्ध कौन सा प्राधिकार करेगा ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) सरकारी क्वार्टरों के अलाटमेंट (दिल्ली में जनरल पूल) नियम, 1963 के एस० आर० 317–बी–2 के अधीन खण्ड (ई) में निहित उपबन्ध निम्नलिखित हैं:—

"एस० आर० 317–बी–2 (ई)— 'पात्र कार्यालय' का अर्थ केन्द्रीय सरकार का कार्यालय है जिसे केन्द्रीय सरकार ने इन नियमों के अधीन आवास देने के लिये पात्र घोषित किया है।" इस नियम के अधीन सरकार को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार भारत सरकार ने अपने 31 जनवरी, 1964 के पत्र संख्या 3/39/63—Acc. I में दिल्ली/नई दिल्ली में जनरल पूल आवास में अलाटमेंट के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को पात्र घोषित करने के लिये आधार का उल्लेख किया है, जिसका एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है [**पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 1809/63**[

दिल्ली नगर निगम बनने से पूर्व जनरल पूल से ऐसे कार्यालयों के कर्मचारियों को क्वार्टरों का अलाटमेंट किया जाता था जो नई दिल्ली नगरपालिका/दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्र में स्थित थे। दिल्ली नगर निगम बन जाने के बाद सरकार ने इस स्थिति पर पुनरावलोकन किया और मार्च 1962 में जनरल पूल से क्वार्टरों के अलाटमेंट के लिये दिल्ली/नई दिल्ली की सीमाएँ निश्चित कीं । इन सीमाओं में उसके बाद कोई संशोधन नहीं हुआ।

दिल्ली छावनी में स्थित कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारी न तो अलाटमेंट नियम, 1950 में निहित उपबन्धों के अनुसार जनरल पूल आवास के पात्र थे और न ही वे 15 मई, 1963 से लागू किये गये नये नियमों के अनुसार पात्र घोषित किये गये हैं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) प्रतिरक्षा मंत्रालय दिल्ली छावनी के 'की लोकेशन प्लान' तथा 'नान की प्लान' एककों में कार्य करने वाले असैनिक कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के 15 प्रतिशत कर्मचारियों के लिये जिनके वेतन आदि प्रतिरक्षा सेवा अनुमानों में से दिये जाते हैं, आवास की व्यवस्था करता है। प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इस प्रकार के असैनिक कर्मचारियों के लिये 449 क्वार्टरों की व्यवस्था करने के लिये एक योजना बनाई है। वायुसेना हेडक्वार्टर का भी एयर फोर्स सैंट्रल अकौंट्स आफिस और एयर फोर्स रिकार्ड आफिस, जिसका तबादला छावनी के क्षेत्र में हो गया है, के 144 विवाहित असैनिक कर्मचारियों के लिये आवास की व्यवस्था करने का विचार है।

दिल्ली छावनी में सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

2512. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्वार्टरों की अत्यधिक कमी होने के कारण दिल्ली छावनी क्षेत्र में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वहाँ क्वार्टर नहीं दिये जाते;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कारण हैं कि इस कमी का प्रभाव केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों पर नहीं डाला गया है ;

(ग) क्या दिल्ली छावनी क्षेत्र में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी चालू वर्ष में सरकारी क्वार्टर प्राप्त करने का हकदार मानने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) से (घ) दिल्ली/नई दिल्ली में जनरल पूल में से क्वार्टर देने के लिये सरकार ने कुछ सीमाएँ निर्धारित की हुई हैं और इन सीमाओं से बाहर स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय 'पात्र कार्यालय' घोषित नहीं किये हैं। अपात्र कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारी जनरल पूल में से क्वाटर दिये जाने के पात्र नहीं हैं। क्योंकि दिल्ली छावनी तथा अन्य क्षेत्रों में स्थित कार्यालय क्वाटरों के अलाटमेंट के लिये दिल्ली/नई दिल्ली की निर्धारित सीमा के बाहर हैं, इसलिये इन कार्यालयों में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों को जनरल पूल में से क्वार्टर अलाट करने के लिये पात्र समझने का इस समय प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इस समय क्वार्टरों की अत्यधिक कमी है।

रामकृष्णपुरम क्षेत्र में क्वार्टरों का अलाटमेंट

2513. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामाकृष्णपुरम क्षेत्र में 2,500 क्वार्टर सरकारी कर्मचारियों को अलाट किये जाने शेष हैं;

(ख) यदि हाँ, तो 18 अक्तूबर, 1967 से अब तक कितने क्वारटर अलाट किये गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :(क) से (ग) टाइप ii-iv के 1784 क्वार्टर तैयार थे परन्तु निगम द्वारा पानी तथा दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम द्वारा बिजली उपलब्ध न करने के कारण अलाट नहीं किये जा सके। निगम ने अब नालियाँ बिछा दी हैं और अब यह निर्णय किया गया है कि बिना बिजली के ही इन क्वार्टरों को अलाट करने के लिये तैयार कर दिया जाये। इन क्वार्टरों के अलाटमेंट के लिये एक क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है और नवम्बर में संपदा निदेशालय को 488 क्वार्टर सौंप दिये गये हैं और पात्र सरकारी कर्मचारियों को अलाट कर दिये गये हैं। दिसम्बर 1967 में 376 और क्वार्टर अलाट किये जायेंगे। शेष 920 क्वार्टर भी उसके बाद अलाटमेंट के लिये शीघ्र तैयार हो जाने की आशा है।

Jhuggies in South Avenue, New Delhi

2514. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Jhuggies occupied by dhobis in South Avenue, New Delhi, have been demolished but they have not been provided with any alternative accommodation ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) when Government propose to provide them with alternate accommodation?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) to (c) 46 unauthorised Jhuggis, mostly occupied by dhobis, in South Avenue were demolished on the 26th October 1967. Alternative accommodation was provided to 15 families at Madangir under the Jhuggis and Jhopris Removal Scheme. The remaining families were not eligible for allotment of alternative accommodation under the Scheme.

चांदी का व्यापार

2515. **श्री जि० ब० सिंह : श्री कामेश्वर सिंह : श्री श्रीधरन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का रिजर्व बैंक चाँदी का व्यापार अपने हाथ में लेने वाला है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया जैसी किसी केन्द्रीय बैंकिंग संस्था के कानूनी कृत्यों में चाँदी का व्यापार करने का काम सम्मिलित नहीं है।

Untouchability Cases

2516, **Shri O. P. Tyagi** ; Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Harijans in villages are still being treated as untouchables ; and

(b) the number of complaints lodged with the police regarding untouchability during the period from the 1st April, 1965 to 31st March, 1967 and the number of those found guilty and convicted ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha):

(a) and (b) Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

नई दिल्ली के क्षेत्रों में मच्छरों का उत्पात

2517. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के क्षेत्रों में मच्छरों का उत्पात बढ़ रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसको समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) से (ख) नई दिल्ली क्षेत्र में मच्छरों के उत्पात में कोई वृद्धि नहीं हुई है। फिर भी मौसम के अनुसार और विशेष कर वर्षा ऋतु तथा बसंत ऋतु में मच्छरों की सदा वृद्धि होती है क्योंकि घरों में काफी मच्छर पैदा हो जाते हैं। ऐसे उपाय किये गये हैं जिनसे मच्छर पैदा ही न हों और जो मच्छर हैं वे मर जायें। सभी गन्दे क्षेत्रों में तथा अधिकतम मकानों में डी० डी० टी० आदि छिड़की जाती है जिससे उत्पात न हो।

भिक्षा वृत्ति को रोकने सम्बन्धी विधि

2518. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश के प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भिक्षा वृत्ति रोकने सम्बन्धी विधि को लागू करने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) समूचे देश में एक जैसी विधि लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भिक्षा वृत्ति रोकने सम्बन्धी विधियाँ पूर्णतया उचित रूप से लागू करने में क्या मुख्य कठिनाइयाँ हैं;

(घ) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ङ) इन विधियों को पूर्णतया लागू करने के लिये निर्धारित तिथि क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1810/67]

(ख) कोई कार्यवाही नहीं की गई है और तत्काल ही कोई कार्यवाही करने का विचार भी नहीं है।

(ग) और (घ) इस मार्ग में साधनों की कमी मुख्य बाधा है।

(ङ) इस सम्बन्ध में कोई तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती।

आयकर विभाग का पुनर्गठन

2519. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रमबद्ध तरीके से कार्यात्मक वितरण प्रणाली लागू करने के साथ, जिसके अन्तर्गत

कर वसूली से कर निर्धारण को पृथक् किया जा रहा है, आयकर विभाग का पुनर्गठन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, और

(ख) इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) और (ख) आयकर अधिकारी के कार्यों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात् प्रशासन सम्बन्धी, कर-निर्धारण सम्बन्धी और कर-वसूली सम्बन्धी। निर्धारिती के मामले में ये सारे कार्य एक ही आयकर अधिकारी द्वारा सम्पादित किये जाते रहे थे। इस पुनर्गठन का प्रयोजन इन विभिन्न कार्यों को अलग अलग करके इन्हें भिन्न-भिन्न अधिकारियों के जिम्मे सौंपना है। इस पुनर्गठन द्वारा इन कार्यों को अलग-अलग कर दिया गया है और कार्य भिन्न-भिन्न अधिकारियों द्वारा किये जाते हैं। आयकर अधिकारी-प्रशासन सभी प्रशासनिक कार्य करता है; (कार्य की मात्रा के अनुरूप) एक या दो आयकर अधिकारी कर-वसूली का कार्य करते हैं और अन्य आयकर अधिकारी पूर्णतः कर-निर्धारण का कार्य करते हैं। कार्य के अनुसार काम के वितरण की यह व्यवस्था 1 जुलाई 1967 से सहायक आयुक्तों के 64 रैंजों में आरम्भ की गई थी और इसमें मोटे तौर पर वे रेंज जाते हैं जो कर का 50 प्रतिशत भाग वसूल करते हैं। यह योजना उन रेंजो में भी लागू कर दी गई है जिनमें कम से कम 8 अधिकारी हैं।

मकानों के निर्माण के लिये गैर-सरकारी साधन

2520. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मकान बनाने के लिये गैर-सरकारी साधन जुटाने के प्रश्न पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या क्षेत्रीय तथा नगरीय विकास के लिये एक राष्ट्रीय परिषद् स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) और (ख) जी, हाँ। हाल ही में मद्रास में आवास, नगर आयोजन, तथा नगरीय विकास के मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर विचार किया गया था। एक विवरण, जिसमें उस सम्मेलन में इस सम्बन्ध में की गयी सिफारिशों के उद्धरण दिए गए हैं, सभा पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1811/67]। सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों, प्राधिकारियों, राज्य सरकारें और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासन के साथ परामर्श करके इन सिफारिशों पर विचार किया जायेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में अपविकास संबंधी रोग

2521. **श्री दी० चं० शर्मा:**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में अपविकास संबंधी रोग तेज़ी से फैल रहे हैं।

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन रोगों के कारणों का पता लगाया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन रोगों में वृद्धि दूध, मक्खन और घी के अभाव के कारण हो रही है, और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इन पदार्थों के अधिक उपयोग को प्रोत्साहन देने का है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) भारत में अपविकास सम्बन्धी रोगों के तेजी से फैलने के बारे में न तो कोई अध्ययन किया गया है और न इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण मिलता है।

(ख) कुपोषण के बुरे प्रभावों के कारण अपविकास सम्बन्धी रोग उत्पन्न होते हैं।

(ग) रोधक तत्वों की विभिन्न प्रकार की कमियों में से प्रोटीन कैलारी कुपोषण इस प्रकार के रोगों के लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

(घ) सरकार के विभिन्न विभाग अन्तर्राष्ट्रीय एजंसियों की सहायता से कुपोषण की समस्या के प्रति समन्वित रूप से विचार कर रहे हैं। इसमें समाज के कमजोर वर्गों में अनपूरक भोजन देने के कार्यक्रम, पोषक खाद्य पदार्थों का उत्पादन और वितरण, हर सम्भव तरीके से खाद्य उत्पादन में वृद्धि और कुपोषण के रोगों का पता लगाना और उनकी चिकित्सा करना सम्मिलित है। बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार करने के लिये निम्नलिखित तरीके अपनाये गए हैं ;

(1) निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से अनूपूरक भोजन दिया जाना जो विभिन्न एजंसियों द्वारा चलाये जाते हैं:—

(i) व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम के अधीन भोजन व्यवस्था,

(ii) बालवाड़ियों के माध्म से भोजन व्यवस्था;

(iii) 'केयर' भोजन-व्यवस्था कार्यक्रम; और

(iv) 'यूनिसिफ' द्वारा दूध की व्यवस्था का कार्यक्रम।

(2) माताओं को पोषक खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में शिक्षा देना जिससे वे अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिये सामान्य रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों का प्रयोग कर सकें।

(3) एम० सी० एच० केन्द्रों के माध्यम से कुपोषण के रोगियों की चिकित्सा करना।

(4) खाद्य विभाग ने 'बालाहार' बहुप्रयोजनीय भोजन तथा दूध के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले प्रोटीन बहुल्य भोजन के निर्माण सम्बन्धी परियोजना आरम्भ करके बच्चों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों में प्रोटीन की कमी का मुकाबला करने की कार्यवाही की है।

बैंक आफ इंगलैण्ड द्वारा बैंक दर में वृद्धि

2522. **श्री चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक ऑफ इंगलैण्ड ने 19 अक्टूबर, 1967 से ब्याज की दर बढ़ा कर छः प्रतिशत कर दी है; और

(ख) इसका भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) बैंक ऑफ इंगलैण्ड ने 19 अक्टूबर, 1967 को बैंक-दर 5½ प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दी थी और बाद में इसे 9 नवम्बर को 6½ प्रतिशत और 18 नवम्बर को 8 प्रतिशत कर दिया है।

(ख) ब्रिटेन की बैंक दर के परिवर्तनों का प्रभाव, भारतीय-अर्थ-व्यवस्था पर, मुख्यतः सरकारी ऋणों पर दिए जाने वाले व्याज, बैंकिंग निधियों की गतिविधि और भारत द्वारा ब्रिटेन को किए जाने वाले निर्यात के सम्बन्ध में, पड़ता है। अक्तूबर, 1965 से पहले मंजूर किये गए ऋणों की, खर्च न की गयी रकमें में से निकाली जाने वाली रकमों पर भविष्य में दिए जाने वाले व्याज की रकम भी बढ़ जायगी। अक्तूबर, 1965 के बाद मंजूर की गयी रकमें व्याज से सर्वथा मुक्त हैं। बैंकिंग-पूंजी की प्राप्ति भी कम हो जायगी। बैंक दर में वृद्धि होने के कारण, ब्रिटेन में ऋणों की लागत में होने वाली वृद्धि से स्टाक रखने के उद्देश्य से मँगाये जाने वाले भारतीय माल की माँग में थोड़ी कमी हो जायगी। ब्रिटेन की बैंक दर में वृद्धि होने का, भारत की बकाया देनदारियों और ब्रिटेन से मिलने वाली सरकारी ऋणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अमरीकी बैंकिंग और औद्योगिक प्रबन्धकारियों की भारत यात्रा

2523. **श्री मयावन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी के बैंकिंग और औद्योगिक प्रबन्धकारियों के एक दल ने नवम्बर, 1967 में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी यात्रा का मुख्य प्रयोजन क्या था;

(ग) उन्होंने भारत सरकार के साथ किन-किन विषयों पर वार्ता की; और

(घ) क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चेचक

2524. **श्री मयाबन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विशेषज्ञों ने यह घोषणा की है कि 1968 में देश में महामारी के रूप में चेचक निकलेगी;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस खतरे का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हाँ : संक्रामक रोग विज्ञान के अनुसार 1968 में अगली महामारी होने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) : राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। चेचक की रोकथाम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक अखिल भारतीय सम्मेलन सितम्बर, 1967 में हुआ था जिसमें ऐसे निरोधक उपायों पर विचार किया गया था जिनसे 1968 में सम्भावित महामारी की स्थिति से निपटा जा सके। इस सम्मेलन में की गई मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं;

(एक) चेचक का टीका लगाने वालों की संख्या बढ़ाकर चेचक का टीका लगाने के आन्दोलन को तीव्र किया जाये।

(दो) गन्दी बस्तियों तथा श्रमिक बस्तियों तथा बाहर से आये लोगों को टीका लगाने में प्राथमिकता का दिया जाना ।

(तीन) चेचक का पहला टीका चेचक के तत्पश्चात् टीके का अनिवार्य बनाने के सम्बन्ध में ऐसे आदर्श नियम बनाना जिसे सब राज्य और स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएँ अपना लें।

(चार) राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये उक्त कार्यक्रम के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों टीका लगाने वाले तथा स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी अन्य कर्मचारी—को स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक तथा तकनीकी नियंत्रण में लाया जाये।

उक्त सम्मेलन की जिन सिफारिशों का अनुमोदन केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने अपनी 3 से 5 अक्तूबर, 1967 को हुई बैठकों में कर दिया था, उन्हें राज्य सरकारों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है। 1966-67 में कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये राज्य सरकारों को 887.75 रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में स्थापित चेचक विभाग राज्यों को कार्यक्रम के सम्बन्ध में तकनीकी सलाह और मार्गदर्शन करता है।

उड़ीसा के लिये अनुदान

2525. **श्री रविराय** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उन लोगों के लिये मकानों का निर्माण करने के लिये कुछ धनराशि मंजूर करने का अनुरोध किया है, जिनके मकान उस राज्य में हाल ही में आये तूफान के परिणामस्वरूप पूर्णतया नष्ट हो गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी धनराशि की माँग की गयी है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हाँ

(ख) 6 करोड़ रुपए।

(ग) तूफान से नष्ट हुए घरों के पुनर्निर्माण हेतु मेरे मंत्रालय के पास कोई निश्चित योजना नहीं है। परन्तु सार्वजनिक गृह निर्माण योजना के अधीन नियत की गई राशि को राज्य सरकारों की इच्छा से किसी भी क्षेत्र के लिये उपयोग में लाई जा सकती है। उड़ीसा सरकार ने 1967-68 के लिये 24.4 लाख रुपए की राशि अपनी वार्षिक योजना में रखी है जिसका विभिन्न सार्वजनिक गृह-निर्माण योजनाओं के लिये उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में तूफान द्वारा हुई बड़ी हानि को ध्यान में रखते हुए 1967-68 के लिये राज्य सरकार को जीवन बीमा निगम के कोष से एक करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित योजनाओं के अधीन गृह निर्माण के लिये दी गई है जबकि 1966-67 में उसे केवल 60 लाख रुपए का ऋण दिया गया था।

सरकारी होटल

2526. **श्री रविराय** :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा कितने होटल चलाये जा रहे हैं तथा उनमें अब तक कितना धन लगाया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों में इन होटलों ने कितना लाभ कमाया।

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :(क) निम्नलिखित चार होटल हैं:

(एक) अशोक होटल्स लिमिटेड द्वारा चलाया जाने वाला नई दिल्ली स्थित अशोक होटल।

(दो) जन पथ होटल
(तीन) रणजीत होटल ।
(चार) लोदी होटल ।
} ये जनपथ होटल्स लिमिटेड द्वारा चलाये जा रहे हैं ।

इन कम्पनियों में जो राशि लगी हुई है उसका ब्यौरा निम्नलिखित हैं ।

	शेयर पूंजी		योग	ऋण		योग
	31-3-67 तक	1-4-67 से आज तक		31-3-67 तक	1-4-67 से आज तक	
	(लाख रुपयों में)					
अशोक होटल्स लिमिटेड	134.15	60.00	194.15	27.00	60.00	87.00
जनपथ होटल्स लिमिटेड	18.50	1.50	20.00	15.27	1.50	16.77

(ख)

	1964-65	1965-66	1966-67
	(लांख रुपयो में)		
अशोक होटल	(+) 41.67	(+) 25.05	(+) 27·49
होटल जनपथ	(+) 4.39	(+) 2.35	(+) 2.43
रणजीत होटल	7-11-1965 से चालू हुआ.	(-) 1.37	(-) 3.56
लोदी होटल	15-9-1965 से चालू हुआ	(-) 1.34	(-) 2.46

(+) = लाभ।
(-) ⇌ हानि ।

हिमाचल प्रदेश में पीने के पानी की सप्लाई

2527. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ आगामी वर्ष के लिये हिमाचल प्रदेश में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिये कोई योजनायें प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितनी धनराशि केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा कितनी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध की जायेगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी :

हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत

2528. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कुल्लू तथा मनाली के बीच जल विद्युत् की कोई योजना है, जिसकी स्वीकृति केन्द्रीय सरकार ने दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो उस परियोजना पर काम कब प्रारम्भ होने की सम्भावना है और इस योजना को पूरा होने में कितना समय लगेगा ;

(ग) इस योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान और क्या कुल राशि केन्द्र द्वारा व्यय की जायेगी अथवा हिमाचल प्रदेश सरकार को उसका कोई भाग वहन करना होगा; और

(घ) उससे कितनी बिजली पैदा होगी तथा कितनी भूमि की सिंचाई होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ) : हिमाचल प्रदेश से यह अनुरोध किया गया है कि वह ऊपरी व्यास घाटी में कुल्लू तथा मनाली के बीच जलविद्युत् स्थानों की क्षमता के बारे में विस्तृत जाँच करे। जाँच पूरी होने पर तथा परियोजना के अन्तिम रूप से तैयार हो जाने के पश्चात् परियोजना की स्वीकृति के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

गोदामों की पदार्थीय जांच

2529. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत चार महीनों में उनके मंत्रालय के गोदामों की पदार्थीय जाँच की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या गोदामों में माल कम पाया गया है और प्रत्येक माल कितना-कितना कम था; और

(ग) गोदामों और अभिरक्षा के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और क्या किन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया है अथवा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) मामूली सी गड़बड़ मिली है सम्बन्धित एककों में उस सम्बन्ध में जाँच की जा रही है।

(ग) विसंगतियों के सम्बन्ध मे जाँच की जा रही है और आवश्यकतानुसार उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

बम्बई पत्तन के निकट चोरी छिपे लाये गये सामान का पकड़ा जाना

2530. **श्री प्रेमचन्द वर्मा:** **श्री विभूति मिश्र:**

श्री मधुलिमये:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 24 अगस्त, 1967 को बम्बई बन्दरगाह के निकट सीमाशुल्क अधिकारियों ने तीन विदेशी नावें पकड़ी थीं, जो चाँदी की छड़ें, नायलोन, ब्लेड, विदेशी मुद्रा और ट्रेबलर्स ला रही थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आत्म-समर्पण करने के पहिले इन तस्कर व्यापारियों ने काफी मुकाबला किया था;

(ग) पकड़ी गई इन वस्तुओं का मूल्य कितना था और ये वस्तुएँ किन देशों से चोरी छिपे लाई गई थीं तथा क्या कुछ विदेशी भी गिरफ्तार किए गए थे; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क), जी हाँ। नावों को 25 अगस्त, 1967 को रोका गया था।

(ख) एक नाव में तस्करों ने कुछ सामना किया।

(ग) एक नाव से 20,350 पौंड मूल्य की विदेशी मुद्रा तथा 5656 अमरीकी डालर पकड़े गए। दूसरी नाव से 6,68109 रुपए मूल्य के चाँदी के डले पकड़े गए। तीसरी नाव से कुल 3,51,500 रुपए मूल्य की विदेशी सिगरेटें, ब्लेडें तथा नायलन का सूत पकड़े गए। विदेशी मुद्रा तथा चाँदी के डले फारस की खाड़ी के क्षेत्रों को निर्यात करने के लिये थे तथा अन्य वस्तुएँ दुबाई से चोरी छिपे रूप में लाई गई थी।

24 विदेशी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(घ) जैसा कि भाग (ग) के उत्तर में बताया गया है, ये वस्तुएँ पकड़ ली गयी हैं। इसके अतिरिक्त मशीन से चलने वाले तीनों विदेशी जलयानें भी पकड़ लिये गए। न्याय-निर्णय की कार्यवाही शुरू की जा रही है।

एक जलयान में पाये गए कुल 33 चालकों (24 विदेशी व्यक्तियों तथा 9 भारतीय व्यक्तियों) और 2 स्थानीय मछुओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और जमानत पर रिहा किया गया है। इन सभी व्यक्तियों पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है।

कोलार की सोने की खानों से सोने के उत्पादन की लागत

2531. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोलार की सोने की खानों से निकाले गए सोने की लागत, जो 1961 में प्रति औंस 327 रुपया थी, बढ़ाकर 1966–67 में प्रति औंस 450 रुपया करने के क्या कारण हैं;

(ख) उक्त अवधि में कोलार की सोने की खानों में सोने का उत्पादन 1,36,498 औंस से घटकर 91,500 औंस रह जाने के क्या कारण हैं;

(ग) सोने के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य और सोने की, भारत में आने वाली लागत में क्या अन्तर है;

(घ) क्या सरकार ने कोलार की सोने की खानों के लिये 1963 में नियुक्त की गयी लागत—कमी-समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया है; और

(ङ) उन सिफारिशों के क्रियान्वित किए जाने के परिणाम-स्वरूप लागत को कम करने के काम में क्या ठोस सफलताएँ मिली हैं?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख): 1961-62 के मुकाबले 1966–67 में कोलार सोने की खानों में सोने के उत्पादन में हुई कमी और उत्पादन की लागत में वृद्धि के ये कारण हैं:

सोने का उत्पादन :

(1) औसत दर्जे की कच्ची धातु की पिसाई से निकलने वाले सोने की मात्रा में कमी हुई। (1961–62 के 7.64 ग्राम प्रति मेट्रिक टन के मुकाबले यह मात्रा 1966–67 में लगभग 7 ग्राम प्रति मेट्रिक टन रह गयी)।

(2) पीसी जाने वाली कच्ची धातु की मात्रा में (मेट्रिक टनों में) कमी रही, जिसका कारण, प्राकृतिक दुर्घटनाओं की वजह से खानों से धातु निकाले जाने की परिस्थितियों का प्रतिकूल हो जाना था; जिनमें से मुख्य ये थीं:

(i) चैम्पियन रीफ खान में 26–11–1962 को बड़े पैमाने पर चट्टानें फटीं, जिससे ग्लेन की कच्ची धातु रेखा (ग्लेन और शूट) और खान के कच्ची धातु के दक्षिणी अंग को काफी क्षति पहुँची। इस खान में से निकाले जाने वाले सोने की 40 से 50 प्रतिशत मात्रा इन विभागों से उपलब्ध होती थी। चैम्पियन रीफ खान की उत्तरी परत वाले विभाग में बड़े पैमाने पर आग लगी, जिसके परिणामस्वरूप जुलाई, 1965 से फरवरी 1966 तक उस क्षेत्र को चारों तरफ से बन्द कर देना पड़ा। इस खान में 1966–67 में तीन बार फिर छोटे पैमाने पर आग लगी। इसके अलावा सितम्बर-नवम्बर, 1966 में अभूतपूर्व वर्षा के कारण खानों में पानी भर गया। दिसम्बर, 1966 में, जमीन खिसकने से, चट्टानों के कई बार लगातार फटने से, नीचे उतरने के एक सहायक उप-मार्ग और उससे संलग्न सतही स्तरों को काफी क्षति पहुँची। चैम्पियन रीफ माइन में हुई, इन प्राकृतिक दुर्घटनाओं का असर यह हुआ कि कच्ची धातु के उत्पादन में कमी हो गयी।

(ii) मैसूर की खान बहुत ही पुरानी है इसलिए इसमें धातु के भण्डार सीमित हैं। विभिन्न तकनीकी कारणों से, इसमें से कच्ची धातु निकालने का काम सीमित करना पड़ा है।

(iii) नंदी दुग की खान में कच्ची धातु के भंडार बड़ी मात्रा में हैं लेकिन यह धातु अपेक्षाकृत घटिया दर्जे की है। उस खान से होने वाले खनिज धातु के उत्पादन को भी आघात पहुँचा, क्योंकि 1965–66 में खान के दूसरे सहायक-उपमार्ग को एक दुर्घटना से क्षति पहुँची और 1966–67 के दौरान, अभूतपूर्व वर्षा होने के कारण, खान को कई हिस्सों में पानी भर गया।

लागत:

(1) कर्मचारियों की मजदूरी और मंहगाई भत्ते में वृद्धि।

(2) सामान के मूल्य में वृद्धि; उदाहरण के लिए साइनाइड और ग्रेनाइड के मूल्य में 1962 से 50 प्रतिशत वृद्धि हो गयी है।

(3) लागत का हिसाब लगाते समय, निर्धारित ऊपरी खर्चों का, सोने के अपेक्षाकृत कम उत्पादन पर फैलाया जाना।

(ग) 1966–67 में कोलार की सोने की खानों में सोने के उत्पादन की लागत सोने के मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य (262.50 रुपया प्रति औंस) से 241.38 रुपया प्रति औंस अधिक थी।

(घ) जी, हाँ। लागत घटाव समिति की 7 सिफारिलों में से 5 सिफारिशों पर पहले ही अमल किया जा चुका है और एक सिफारिश पर (जो केन्द्रीय वर्कशाप स्थापित करने के बारे में है) अमल किया जा रहा है। जहाँ तक दुर्घटना-वेतन और रोग-लाभ के आधार में संशोधन करने का सम्बन्ध है, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित किए जाने वाले दुर्घटना-वेतन के अलावा दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की उस दर पर स्थिर (फ्रीज) कर दिया गया है, जिसके अनुसार 31 मार्च, 1965 को वह भत्ता दिया जा सकता था।

(ङ) लागत घटाने के उपर्युक्त उपाय किए जाने से 1965–66 के राजस्व-व्यय में 1963–64 की अपेक्षा 70.90 लाख रुपए की कमी हुई। इसमें से लगभग 60 लाख रुपए की बचत, कर्मचारियों सम्बन्धी व्यय में कमी होने के कारण हुई है।

चक्षु बैंक अभियान

2532. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चक्षु बैंक अभियान की प्रगति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हाँ तो क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिये कोई जाँच की गई हैं; और

(ग) चक्षु-दान को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हाँ।

(ख) दान देने वालों को खोजने में मुख्य कठिनाई होती है।

(ग) जो उपाय किये जा रहे हैं और जो सुझाव आये हैं, वे निम्नलिखित हैं:

(क) चक्षु बैंकों के कार्य का प्रचार।

(ख) चक्षु दान करने के लिये अपील।

(ग) जहाँ नहीं है, वहाँ के लिये ऐसा विधान बनाना, जिससे चक्षुओं का दान करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा-पत्र द्वारा चक्षुदान करने की सुविधा मिल सके।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे कोर्निआ के आरोपण के हित में विधान बनायें और तत्सम्बन्धी शिक्षा को प्रोत्साहन दें। ऐसा विधान इस समय 12 राज्यों और दो संघ-राज्य क्षेत्रों में है जिनके नाम ये हैं—आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाना, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। अन्य राज्यों से भी इनका अनुकरण करने की आशा की जाती है।

'बिना बारी' सरकारी क्वार्टरों का अलाटमेंट

2533. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **निर्माण आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फिर से अपने कर्मचारियों का "बिना बारी" क्वार्टरों का अलाटमेंट प्रारम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :(क) और (ख) क्वार्टर पाने के अधिकारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को क्वार्टर "बिना बारी" केन्द्रीय आवास (दिल्ली में सामान्य पूल,) नियम, 1963 के अधीन दिये जाते हैं। केवल उन्हीं लागों को बिना बारी के क्वार्टर दिये गये हैं जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत थी।

सरकारी क्षेत्र में बड़े बड़े भवनों का निर्माण

2534. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में बड़े-बड़े भवन न बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चौथी योजना में औषधियों की देशी पद्धति का विकास

2535. **श्री चन्द्रशेखर सिंह:** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना की अवधि में औषधियों की देशी पद्धति के विकास तथा प्रोत्साहन के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ख) चौथी योजना के पहले दो वर्षों में इसके विकास के लिये कुल कितने धन की व्यवस्था की गई है; और

(ग) अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दवाओं की देशी पद्धति को बढ़ाने की प्रक्रिया निरन्तर आगे बढ़ रही है और पूर्वनिर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार उसका विकास हो रहा है।

(ख) और (ग) वर्ष 1966–67 तथा 1967–68 में प्राकृतिक चिकित्सा तथा होम्योपैथी सहित औषधियों की देशी पद्धतियों के विकास हेतु नियत की गई तथा विकास कार्यों पर खर्च की गई राशियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

	1966-67		1967–68	
	नियतन रुपये	**खर्च** रुपये	**नियतन** रुपये	**खर्च** रुपये
1. शुद्ध केन्द्रीय योजनाएँ	33,59,300	21,72,548.65	34,50,000	9,36,350 (25-11-1967 तक)
2. केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएँ	5.00,000	1,75,000.00	7,00,000	(आँकड़े उपलब्ध नहीं हो सके)

जहाँ तक इन पद्धतियों की केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं का सम्बन्ध है कुछ योजनाओं के अर्थोपाय के माध्यम से केन्द्रीय सहायता दी जाती है और उन पर खर्च के आँकड़े पृथक रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे

2536. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 से लेकर 1967 में अब तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विदेशों के दौरों पर विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा में कितना व्यय किया गया तथा विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों द्वारा पृथक् पृथक् कितना व्यय किया गया।

(ख) ये अधिकारी किस काम के लिये विदेशों में गये थे।

(ग) किन-किन अधिकारियों ने एक वर्ष में कई बार विदेशों का दौरा किया तथा उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया; और

(घ) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकारी विदेशी दौरों पर काफी व्यय किया गया है, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के विदेशों के ऐसे दौरो के औचित्य के प्रश्न पर विचार करने और उनके विदेशों के दौरों को नियंत्रित करने के लिये नया नियम बनाने के हेतु एक विशेषज्ञ समिति बनाने का सरकार का विचार है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) विदेशी मुद्रा के व्यय के सम्बन्ध में सूचना अनुबन्ध 1 में दी गई है।

भारतीय मुद्रा में हुए व्यय के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) सूचना अनुबन्ध–11 में दी जा रही है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1812/67]

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(घ) सरकारी कर्मचारियों को विदेश भेजने सम्बन्धी सभी प्रस्तावों की वरिष्ठ सचिवों की समिति द्वारा कड़ी जाँच की जाती है और सामान्यत: विदेश भेजने के केवल उन्हीं मामलों में स्वीकृति दी जाती है जो अपरिहार्य होते हैं अथवा जिनसे विदेशी मुद्रा में काफी बचत होने की सम्भावना होती है अथवा जो रक्षा प्रयत्न अथवा प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं से सम्बन्धित होते हैं। इन परिस्थितियों में इस प्रश्न की जांच के लिये विशेषज्ञों की एक अन्य समिति नियुक्त करने का विचार नहीं है।

Seizure of Blades and Fountain Pens at Delhi Railway Station

2537. **Shri P. N. Solanki** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4713 on the 6th July, 1967 and state :

(a) whether Government have since completed the enquiry in regard to the foreign-made stainless steel blades and the fountain-pens seized at Delhi Railway Station in the last week of April 1967 ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, when it would be completed ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) **Yes, Sir.**

(b) Investigations made in the matter did not reveal the country from which the goods were smuggled into India. But their brands indicate that the blades and the fountain-pen seized are of British and Chinese origin respectively. The goods have been confiscated absolutely.

(c) Does not arise.

Gold Seized in Madras

2538. **Shri P. N. Solanki** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4834 on the 6th July, 1967 and state :

(a) whether the investigations regarding gold seizure case in Madras have since been completed ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the further time like to be taken?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) Yes, Sir.

(b) Investigations have revealed that the gold seized in this case was smuggled from abroad in contravention of the provisions of the Customs Act, 1962. The case is at present under departmental adjudication.

(c) Does not arise.

Gold Seized in Jabalpur

2539. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6911 on the 27th July, 1967 and state :

(a) whether the proceedings in the case of seizure of gold at Jabalpur have since been completed ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the further time likely to be taken ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) The case has not yet been decided by court.

(b) Does not arise.

(c) Depertmental adjudication proceedings will be completed after the court case is over.

Opium Recovered Near Gauhati

2540. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that income-tax offlcials recovered 81 kilograms of opium from Jami Road, 35 miles away from Gauhati in the first half of August, 1967 ;

(b) if so, the name of the place from which opium was brought ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) On 4th August, 1967 Assam Excise offlcials intercepted a car at Jagiroad, about 32 miles from Gauhati and recovered therefrom 81 kg. of opium.

(b) The opium seized is suspected to have been brought from Bareilly, U. P.

(c) The opium and the car were seized and four persons were arrested. The case is still under investigation.

Gold Seized in Calcutta

2541. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to the Unstarred Question No. 6913 on the 27th July, 1967 and state :

(a) the action since taken on the 'show cause notice' served to a party from which gold was seized by the Customs authorities in Calcutta ; and

(b) if not, the further time likely to be taken ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) **and** (b) : In this case, show cause notices were issued to three parties, namely, (i) a firm in Bombay which despatched the post parcels in question ; (ii) a firm in Calcutta

from whom the gold was seized ; and (iii) a partner of the Calcutta firm. Reply to the show cause memo has since been received from the Calcutta firm as well as the Bombay firm. However, the partner of the Calcutta firm has asked for extension of time for submission of reply to the show cause memo upto 6.12.1967. His reply is awaited. The case will be taken up for adjudication as soon as his reply is received.

योग के बारे में अनुसंधान

2542. **श्री प्र० रे० देव** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था योगाभ्यास पर तथा मानवीय शरीर तथा मस्तिष्क पर उसके प्रभाव के बारे में अनुसंधान कर रही है; और

(ख) यदि हाँ तो उसका क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हाँ ।

(ख) योगाभ्यास करने वाले अनेक योगियों की परीक्षा की जा चुकी है परन्तु केवल कुछ ही योगियों ने शरीर की स्वाभाविक क्रियाओं पर नियंत्रण करने, पाचन-क्षमता के समाप्त करने तथा बाह्य वातावरण के प्रभाव से मुक्त होने में समर्थता प्रदर्शित की है ।

इस बारे में और अधिक करने पर ही निश्चित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं । परन्तु यह बड़ा कठिन है क्योंकि सिद्ध योगी प्राय: प्रयोगशाला में जाँच के लिये उपस्थित नहीं होते ।

दिल्ली में मेडिकल लाइब्रेरी

2543. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिस, नई दिल्ली में नेशनल लाइब्रेरी स्थापित करने पर कुल कितना व्यय होगा;

(ख) क्या क्षेत्रीय स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसन्धान केन्द्रों में रीजनल मेडिकल लाइब्रेरी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हाँ, तो इस योजना पर अनुमानत: क्या खर्च होगा; और

(घ) उन्हें कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) परियोजना की अनुमानित लागत 50.00 लाख रु० है ।

(ख) से (घ) रीजनल मेडिकल लाइब्रेरीज की स्थापना के लिये अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है ।

राजस्थान में परिवार नियोजन की प्रगति

2544. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम ने राजस्थान में संतोषजनक प्रगति नही की है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों में इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये राज्य सरकार को क्या सहायता दी गई है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि 1965–66 और 1966–67 के लिये राज्य को दी गई राशि का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) 1966–67 के दौरान राजस्थान में परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक नहीं थी, परन्तु राज्य अब बराबर प्रगति कर रहा है।

(ख) प्रशिक्षित डाक्टरों तथा अन्य तकनीकी कर्मचारियों की कमी निरक्षरता की उच्च प्रतिशतता आदि धीमी प्रगति के कुछ कारण थे।

(ग) 1965–66 और 1966–67 में राजस्थान को क्रमशः 23.32 और 43 करोड़ रुपयों की केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

(घ) जब कि 1965–66 के दौरान केन्द्रीय सहायता का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका, 1966–67 के दौरान इसका पूरा उपयोग किया गया था।

राजस्थान में छिद्रण कार्य

2545. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के मैसर्स फोरासोल द्वारा राजस्थान में तेल का पता लगाने के लिये अब तक कितने छिद्रण कार्य किये गये हैं ;

(ख) अब तक कितने मामलों में कार्यों के ठोस परिणाम निकले हैं;

(ग) 1967-68 में कितने और छिद्रण कार्य किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सारे राज्य का भूकम्पीय सर्वेक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो राजस्थान में तेल मिलने की कितनी संभावना है और किन-किन स्थानों पर ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) भारत प्रतिरक्षा नियम, 1962 के अन्तर्गत यह एक प्रतिबन्धित जानकारी है।

(ख) खोदे गये एक कुएँ में प्राकृतिक गैस की उपस्थिति के संकेत मिले थे।

(ग) भारत प्रतिरक्षा नियम, 1962 के अन्तर्गत यह एक प्रतिबन्धित जानकारी है।

(घ) जी नहीं, राज्य के केवल भागों का।

(ङ) इस पर अभी कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता।

भारत में खाई जाने वाली गर्भरोधक गोलियों का उत्पादन

2546. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार भारत में, खाई जाने वाली गर्भरोधक गोलियों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजनाएँ बनाई गई हैं;

(ग) क्या इन गोलियों के स्वीकार्य होने के बारे में पता लगाने के लिये कोई अभिरुचि सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) :

(क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) भारतीय चिकित्सा अनुसंन्धान परिषद ने कुछ अध्ययन किये हैं जिनका प्रतिवेदन सभापटल पर रखा जाता है । **पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1813/67)

किसानों को सहायता देने की रिजर्व बैंक की आयोजना

2547. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री रणधीर सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों को अपने कृषि-कार्यों में यंत्र प्रयोग करने के लिये आवश्यक सहायता देने के लिये एक आयोजना बनायी है;

(ख) यदि हाँ, तो इस आयोजना का मोटे तौर पर ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित होने की सम्भावना है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ग) रिजर्व बैंक ने इस प्रयोजन के लिए किसानों को सीधे सहायता देने की कोई योजना नहीं बनाई है। पर रिजर्व बैंक और कृषि पुनर्वित्त निगम, भूमि-बन्धक बैंकों के ऋण-पत्र-कार्यक्रम में सहायता देते हैं, जो कृषि-यन्त्र जैसे ट्रैक्टर, पावर टिलर, पम्प सेट और कृषि-सम्बन्धी अन्य कीमती उपकरण खरीदने के लिए लम्बी अवधि के लिए ऋण देते हैं। औद्योगिक विकास बैंक भी, जो भारतीय रिजर्व बैंक का एक सहायक बैंक है, विलम्बित अदायगी की शर्त पर कृषि-उपकरणों की बिक्री करने की वित्त-व्यवस्था करने वाले वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधाएँ प्रदान करता है। इस दूसरी योजना के अन्तर्गत किसी लेन-देन के लिये कोई न्यूनतम रकम निर्धारित नहीं है और किसी खरीदार के लिए एक वर्ष में अधिकतम रकम 50 लाख रुपया है। विलम्बित अदायगी की अधिकतम अवधि 7 साल है।

भारत में रति रोग की रोकथाम

2548, **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रति रोगों की रोकथाम का कार्यक्रम किस योजना से आरम्भ किया गया था और वर्ष 1967–68 के प्रत्येक योजना में उस पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ख) भारत में कितने राज्यों के रतिरोग की रोकथाम का कार्यक्रम आरम्भ किया है; और

(ग) कितने रतिरोग क्लीनिक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक से० पी० ए० एम० औषध प्राप्त कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री व० मू० मूर्ति) : (क) रति रोग नियन्त्रण कार्यक्रम प्रथम पंचर्षीय योजना से आरम्भ किया गया था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 'एंटीजन' उत्पादन कारखाने की स्थापना के लिये 3.26 लाख रु० का उपबन्ध किया गया था। पूरी राशि का उपयोग किया गया था। बाद की योजनाओं के दौरान निम्न उपबन्ध किया गया था :—

द्वितीय योजना	95.71 लाख रु०
तृतीय योजना	58,24 लाख रु०

1966–67 और 1967–68 के दौरान राज्यों को इस कार्यक्रम के लिये निम्न केन्द्रीय सहायता दी गई है:—

1966–67	11 लाख रु०
1967–68	10.50 लाख रु०

चूंकि कार्यक्रम को द्वितीय पंच वर्षीय योजना के बाद से केन्द्रीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम के रूप में रखा गया है, इसलिये राज्यों द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये वास्तविक व्यय का पता नहीं है।

(ख) द्वितीय योजना में 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने रति रोग नियंत्रण कार्यक्रम को आरम्भ किया था। तृतीय योजना में 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने कार्यक्रम को क्रियान्वित किया था।

(ग) भारत सरकार से पी० ए० एम० प्राप्त करने वाले क्लीनिकों की संख्या इस प्रकार है:

द्वितीय योजना	100 **क्लीनिक**
तृतीय योजना	142 **क्लीनिक (जारी है)**

पैराफिन मोम

2549. **श्री जो ना० हजारिका** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कारखाने वार कुल कितने पैराफिन मोम का उत्पादन होता है;

(ख) इसकी वर्तमान आवश्यकता कितनी है;

(ग) प्रति वर्ष कितने मोम का निर्यात किया जाता है;

(घ) वर्ष 1963–64 से 1966–67 तक इसके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है, और

(ङ) क्या निर्यात से होने वाली आय के बदले में आयात करने की भी कोई अनुमति दी गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) केवल एक ही तेल शोधक कारखाना (अर्थात् आसाम आयल कम्पनी का दिगबोई का तेल शोधक कारखाना) पैरफिन मोम बनाता है। 1967 में अनुमान है कि 36,000 टन का उत्पादन होगा।

(ग) 1967 में लगभग 5,000 टन।

(घ)	वर्ष	रु० लाखों में
	1963	68.03
	1964	63.38
	1965	59.18
	1966	65.27
	1967 (अक्तूबर तक)	37.19

(ङ) जी नहीं।

Repairs to Government Quarters

2550. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the interval after which repairs and white washings are carried out in the quarters for Central Government employees in Delhi ;

(b) the date on which repairs and white washings were done in these quarters last time ;

(c) whether it is a fact that neither repairs nor white-washings has been carried out in these quarters for the last five years and that many quarters because of the dilapidated condition have been locked ; and

(d) if so, the steps Government propose to take in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh):

(a) to (d) Repairs to Government quarters are carried out as and when necessary. White-washing is generally done annually but,during the years 1962 and 1965, this was not done for more than one year on account of the ban imposed by Government in the wake of the Chinese and Pakistani aggressions. In the majority of the quarters however, white washing, etc. have been last done during the period April, 1966 to March, 1967. Only those quarters, which have outlived their life and declared dangerous, have been got vacated. The majority of these quarters have been demolished and the rest have been kept locked, pending their demolition.

अप्रत्यक्ष कर

2551. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रत्यक्ष करों के वर्तमान ढांचे के प्रश्न पर विचार करने तथा सरकार की समूची नीति में उचित परिवर्तन करने के लिये सुझाव देने के हेतु एक जाँच समिति नियुक्त करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख) कुछ समय पुर्व सरकार ने श्री एस० अतलिंगम, भूतपूर्व सचिव को, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की वर्तमान व्यवस्था को सरल और युक्तियुक्त बनाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक व्यक्तिक समिति के रूप में नियुक्त किया है। अप्रत्यक्ष करों के बारे में इस समिति की रिपोर्ट की अभी भी प्रतीक्षा है।

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी अपीलों की सुनवाई के लिये अपीलीय न्यायाधिकरण

2552. **श्री दामानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी अपीलों की सुनवाई के लिये सरकार एक अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) और (ख) जहाँ तक सीमा शुल्क के मामलों में अपीलों का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा नियुक्त सीमाशुल्क अध्ययन-दल द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये गये हैं और उन पर अभी विचार किया जा रहा है।

जहाँ तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के मामलों में अपीलों का सम्बन्ध है इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

L. I. C. Office in Bihar

2553. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that keeping in view of securing of large insurance business, the Life Insurance Corporation had set up a Branch Office in Patna City in 1961 ;

(b) whether the Patna, City Branch Office procured business to the tune of Rs. 70 lakhs in the very first year which later on increased to Rs. 1.30 crores in 1965-66 ;

(c) whether an independent office was functioning in West Patna ; and

(d) if so, the justification for shifting the Patna City Branch Office to West Patna in 1966 and whether Government propose to reopen the Patna City Branch Office?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) to (c) Yes, Sir.

(d) The Office was shifted to the present location as it is considered to be better suited for the development of business, as also to be a convenient place for the employees and field staff. To avoid any inconvenience being caused to the policy holders residing in the Patna City area they have been given facility to deposit their premium through all scheduled Banks in the City area.

श्री राम रतन गुप्त द्वारा देय कर

2554. **श्री रवि राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर के श्री राम रतन गुप्त ने विभिन्न कारणों से केन्द्रीय सरकार को करों की कुल कितनी राशि देनी है; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) श्री राम रतन गुप्त के व्यक्तिगत कर-निर्धारण में अदा होने से बाकी रहे कर की कुल रकम 36,678 रुपये हैं।

(ख) आयकर	36,428 रुपये
कर की अदम अदायगी के लिए दण्ड	250 रुपये
	36,678 रुपये

प्रचार (पब्लिसिटी) उद्योग

2555. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री 3 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7761 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड की इस प्रार्थना पर इस बीच विचार कर लिया है कि प्रचार (पब्लिसिटी) उद्योग के विकास हेतु आवश्यक सुविधायें देने के लिये आयकर अधिनियम को पाँचवीं अनुसूची के अन्तर्गत पुस्तकों को भी शामिल कर लिया जाय; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड की प्रार्थना पर सरकार द्वारा अभी भी विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पलाणा लिग्नाइट विद्युत परियोजना

2556. **श्री अमृत नहाटा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान सरकार से पलाणा लिग्नाइट विद्युत परियोजना को स्थापित करने का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करना स्वीकार कर लिया था, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) पलाणा में लिग्नाइट के निक्षेपों की विस्तृत खोज होने तक, राजस्थान सरकार से 50 मेगावट का एक या 30 मेगावाट के दो एकक स्थापित करने के लिये एक योजना तैयार करके भेजने के लिये कहा गया था। योजना प्रतिवेदन की अभी प्रतीक्षा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पेट्रो-रसायन निगम

2557. **श्री क० लकप्पा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 27 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4489 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच पेट्रो-रसायन निगम को स्थापित करने का निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) और (ख) जी नहीं। मामला अभी विचाराधीन है।

Backward Classes Commission

2558. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether Government propose to appoint a Commission to look into the conditions of socially and economically backward people ;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) whether his Ministry have conducted a survey of the condition of such people since the time of presentation of the report of the first Commission ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta):

(a) No.

(b) Government have already adopted the economic criterion for determination of backwardness. The entire developmental effort of the country is devoted to the raising of the standard of living of the masses, particularly the weaker sections of the people.

(c) No.

(d) Does not arise.

मैसूर राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की क्रियान्विति

2560, **श्री क० लकप्पा** :क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य में सिंचाई की किसी बड़ी तथा मध्यम परियोजना की क्रियान्विति के लिये कोई वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की जाने वाली जिन परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है उनके नाम क्या हैं; और

(ग) कार्य के कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Allotment of Quarters in Delhi

2561. **Shri K. P. Singh Deo** : **Shri K. M. Koushik**:

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of employees in Delhi who have been allotted Government quarters and number of those who have not been allotted quarters at present ;

(b) the number of those employees who have their own houses in the Capital and have also accepted the allotment of Government quarters ;

(c) whether it is a fact that the employees who own houses in the Capital rent out the quarters allotted to them on double or four times rent ; and

(d) if so, whether Government propose to stop the allotment of quarters to such employees in order to accommodate the non-allottees ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) From the accommodation available in the general pool in Delhi, 39,357 eligible Government employees have been allotted residences in Delhi/New Delhi and 60,788 are awaiting allotments.

(b) In accordance with the provisions contained in the existing Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules 1963, the Government servants owning houses are eligible for allotment of residential accommodation from the general pool on payment of normal rent as applicable to Government servants who do not own their own houses. No statistical data is maintained by the Directorate of Estates in regard to the Government employees owning houses and who have accepted allotment of Government residential accommodation.

(c) and (d) The complaints received in the Directorate of Estates about subletting of quarters do not indicate that the allottees have been owning any houses in the Capital. But in few cases, at the time of conducting enquiry it was revealed that the allottees were residing in their own houses located either at Ghaziabad or near Gurgaon and in some cases in Jhuggies. There is no proposal at present to stop allotment of general pool residences to Government servants owning houses.

चौथी योजना में नये मेडिकल कालिज

2562. **श्री चिंतामणि पाणिग्राही :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में 25 नये मेडिकल कालिज खोलने के प्रस्ताव को क्रियान्वित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो किस हद तक; और

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने चौथी योजना में अपने राज्य में एक नया मेडिकल कालिज खोलने का भी कोई अनुरोध किया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) चतुर्थ पंचर्षीय योजना के प्रारूप में प्रस्तावित 25 नये मेडिकल कालिजों में से पाँच खोले जा चुके हैं।

(ग) उड़ीसा सरकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई नया मेडिकल कालेज नहीं खोलना चाहती।

मैसूर के वित्त मंत्री का विदेश दौरा

2563. **श्री जे० एच० पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मैसूर के वित्त मंत्री मैसूर राज्य औद्योगिक विनियोजन तथा विकास निगम के अध्यक्ष के साथ विदेश यात्रा पर गये थे; और

(ख) यदि हाँ, तो उस दौरे का उद्देश्य क्या था और उन्हें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करने की अनुमति दी गई थी ?

उप-प्रधान मत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी हाँ।

(ख) यह कुछ ऐसी परियोजनाओं से सम्बन्धित व्यापारिक एवं अध्ययन सम्बन्धी दौरा था जिनमें राज्य सरकार प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रही थी या काफी रुचि रखती थी। विदेशों में ठहरने की कुल अवधि 6 सप्ताह थी। संवारण के लिये 150 रु० प्रति दिन की विदेशी मुद्रा मंजूर की गई थी। इसके अतिरिक्त 750 रु० की विदेशी मुद्रा मनोरंजन व्यय के रूप में दी गई थी।

Consumption of Electricity in Madhya Pradesh

2564. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the average consumption of electricity in Madhya Pradesh is much less as compared to the all-India average consumption thereof ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps taken to bring this consumption at par with all-India average ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K.L . Rao) :

(a) Yes.

(b) Per capita consumption in certain States, including Madhya Pradesh, is low mainly due to economic under development.

(c) Special efforts are to be made during the Fourth Plan to accelerate economic development in the markedly less-developed areas in the country.

Slums in Madhya Pradesh

2565. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government have forwarded any scheme to the Central Government regarding slum clearance ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) and (b) The State Governments are not required to submit their projects for clearance and improvement of slums to the Government of India for sanction. They are themselves competent to sanction such projects formulated by themselves or by their construction agencies in their States. The Central financial assistance is released to them every year on the basis of the expenditure incurred by them under the Scheme.

ट्राम्बो उर्वरक कारखाने के लिये समझौता बोर्ड

2566. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार भारत के उर्वरक निगम के ट्राम्बे के काखाने के कर्मचारियों की कुछ माँगों के बारे में सिफारिशें करने के लिये एक समझौता बोर्ड नियुक्त किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके निर्देशपद क्या हैं;

(ग) बोर्ड में भारत के उर्वरक निगम का कौन प्रतिनिधित्व करता है;

(घ) बोर्ड के समक्ष कार्यवाही किस अवस्था में है; और

(ङ) क्या बम्बई में समझौता बोर्ड में काम करने के लिए नई दिल्ली से एक अधिकारी के नामांकन पर कोई विरोध किया गया है?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) जी हाँ।

(ख) निम्न मामलों से सम्बन्धित औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिये समझौते बोर्ड का गठन किया गया है:—

(एक) 1 जनवरी, 1966 से भूतलक्षी प्रभाव से निम्न आधार पर मंहगाई भत्ता दिया जायेगा।

मूल वेतन	531-540 उपभोक्ता मूल सूचकांक पर मंहगाई भत्ता	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के प्रत्येक 10 अंकों लिये अन्तर
प्रथम 100	185 %	5 %
द्वितीय 100	97 %	2½ %
तृतीय 100	47 %	1¼ %

देय न्यूनतम मंहगाई भत्ता महीने के सभी दिनों के लिये पुनरीक्षित कपड़ा उद्योग वेतन-क्रम बम्बई, के 100 प्रतिशत के बराबर होगा।

(दो) मजदूरों को यदि कोई अन्तरिम सहायता दी जाये तो कितनी?

(ग) औद्योगिक सम्पर्क अधिकारी।

(घ) बोर्ड की कई बैठकें हुईं परन्तु कोई समझौता नहीं हो सका। बाद में प्रबन्धकों ने मजदूर संघ के प्रतिनिधियों से अग्रेतर बातचीत की और वे प्रत्येक मजदूर को 30–11–67 तक 125 रु० और 1–12–67 से 16 रु० प्रति मास देने के लिये राजी हो गए। मजदूर हड़ताल आदि न करने के लिये राजी हो गए हैं।

(ङ) जी, हाँ। निमग के प्रबन्धकों द्वारा ऐसी विज्ञप्ति प्राप्त हुई थी जिसका समुचित उत्तर प्रबन्धकों द्वारा भेज दिया गया था।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड

2567. **श्री फरनेंडीज :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 10 अगस्त, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1729 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान इन्सेक्टी साइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रबन्धकों के विरुद्ध लगाये गए आरोपों के सम्बन्ध में की जा रही जाँच अब पूरी हो गई है।

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) से (ग) ज्ञापनपत्र में उठाये गए 7 प्रश्नों की सरकार ने जाँच की है। उनमें से दो के सम्बन्ध में डी० सी० एम० से कच्चे माल का खरीदा जाना और डी० डी० टी० का मूल्य---सरकार कम्पनी के निदेशक बोर्ड की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है जिन्होंने समस्याओं की गहरी जाँच के लिए एक उपसमिति नियुक्त की है। शेष 5 प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई अग्रेतर कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

आकाशवाणी में परिवार नियोजन कार्यक्रम

2568. **श्री श्रद्धाकर सुपकार :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी के विभिन्न स्टेशनों पर परिवार नियोजन के कार्यक्रमों के लिये नियत समय में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी तथा किन स्टेशनों पर?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर): (क) तथा (ख) आकाशवाणी के 22 स्टेशनों पर परिवार नियोजन यूनिट स्थापित की गई हैं। ये यूनिटें जिस ढंग से कार्यक्रम होता है उसके अनुसार 5 से 45 मिनट तक परिवार नियोजन कार्यक्रमों का प्रसारण करती हैं। परिवार नियोजन के कार्यक्रमों की संख्या और समय को बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है किन्तु इस संबंध में ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में परिवार नियोजन

2569. **श्री सुदर्शनम :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 सितम्बर, 1967 के 'पैट्रियट' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि उत्तर कनारा में डंडेली स्थित एक कारखाने के नियोजकों तथा कर्मचारियों के बीच एक समझौता हुआ है कि जिस कर्मचारी का चौथा बच्चा होगा वह अपनी वेतन-वृद्धि का अधिकारी नहीं रहेगा; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस समझौते को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी लागू करने का है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) मैंने समाचार-पत्रों में इस आशय का समाचार देखा है।

(ख) प्रस्ताव पर अभी विचार नहीं किया गया है।

राम गंगा बांध

2570. **श्री अचल सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रामगंगा बाँध पर निर्माण कार्य चल रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह काम कब तक पूरा हो जायेगा?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव):

(क): हाँ।

(ख) मार्च 1972 तक।

कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली काम में लाने के लिये उड़ीसा को सहायता

2571. **श्री क० प्र० सिंह देव:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि प्रयोजनों के लिये सस्ती बिजली काम में लाने के लिये उड़ीसा में बिजली का अधिक उत्पादन करने के हेतु 1967–68 में उड़ीसा राज्य को वित्तीय सहायता देने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव):

(क) से (ग): उड़ीसा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में 88 लाख रुपया दिया गया है तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये सिंचाई के पम्पों का विद्युतीकरण करने पर विशेष जोर दिया गया है।

उड़ीसा को नयी सिंचाई परियोजनाओं के लिये सहायता

2572. **श्री क० प्र० सिंह देव:** **श्री प्र० के० देव:**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 10 अगस्त, 1967 के अतरांकित प्रश्न संख्या 8763 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा सरकार की इस प्रार्थना पर इस बीच विचार कर लिया है कि उसे चौथी योजना में आरम्भ की जाने वाली नयी सिंचाई परियोजनाओं के लिये 11 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जाये;

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार उड़ीसा सरकार द्वारा माँगी गयी इस वित्तीय सहायता को देने के लिये तैयार हो गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिये कितनी-कितनी धनराशि नियत की गई है?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव): (क) से (ग) प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

बाढ़ नियंत्रण के उपायों के लिये उड़ीसा को सहायता

2573. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ब्राह्मणी तथा महानदी नदियों से लगे हुए क्षेत्र में किए जाने वाले बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिये उड़ीसा को अतिरिक्त सहायता देने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख) : बाढ़ नियंत्रण कार्य राज्य की योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं और नए कार्यों के लिये भी राज्य की वार्षिक योजनाओं में ही उपबन्ध करना होता है। इसके अलावा ब्राह्मणी तथा महानदी नदियों से लगे हुए क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण के लिये अतिरिक्त सहायता के संबंध में उड़ीसा सरकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

चलचित्रों के विक्रय पर आयकर का अपवंचन

2574. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास में चलचित्रों के विक्रय के सौदों को रजिस्ट्री कम मूल्य पर की जा रही है ताकि आयकर से बचा जा सके ;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक सरकार के ध्यान में ऐसी रजिस्ट्री के कितने मामले आये हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) विक्रय विलेख अथवा विदरण विलेख/पट्टाकारी विलेख किसी भी अधिकारी के पास रजिस्टर नहीं किए जाते। ये विलेख स्टाम्प-कागज पर किए जाते हैं।

(ख) कम मूल्य पर विलेख करने के छः मामले सरकार की जानकारी में आये हैं।

(ग) जो आमदनी कर निर्धारण से छूट गयी है, उस पर कर लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

चलचित्रों में काम करन वालों द्वारा करापवंचन

2575. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ चलचित्र संगीत निदेशकों तथा पार्श्वगायकों ने आयकर का अपवंचन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन संगीत निदेशकों तथा पार्श्वगायकों के नाम क्या हैं जिनकी आय पिछले पाँच वर्षों में पचास हजार रुपए से अधिक थी; और

(ग) उनसे आयकर की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) जी हाँ।

(ख) और (ग) यह सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी। जिन मामलों में आवश्यक होता है, वसूली के लिये विधि सम्मत सभी कदम उठाये जाते हैं।

कुनैन का मूल्य

2576. **श्री भोला राउत :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने कुइन और कुनैन के मूल्य बढ़ा दिए हैं;

(ख) मद्रास और पश्चिम बंगाल में स्थित सरकारी कुनैन कारखानों से मूल्यों में वृद्धि करने के बारे में प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इन सरकारी कारखानों को मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति दी गई है। और यदि हाँ, तो किस तारीख से और कितनी?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) हाँ।

(ख) और (ग) आवेदन पत्र विचाराधीन है?

राजस्थान नहर पर लिफ्ट चैनल

2577. **डा० कर्ण सिंह :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान नहर पर अड़तालीसवें मील पर बिर्दवाल से एक लिफ्ट चैनल बनाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख) राज्य सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना पर लिफ्ट सिंचाई की स्वीकृति दे दी है। अड़तालीसवें मील से लिफ्ट चैनल के लिये तैयार की गई विभिन्न वैकल्पिक योजनाओं पर राजस्थान सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

गोहाटी तेल शोधक कारखाने में आग

2578. **श्री हेम बरुआ**:

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गोहाटी तेल शोधक कारखाने के निकट हाल में आग लग गई थी;

(ख) क्या आग लगने के कारणों का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो आग लगने के क्या कारण थे तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है!

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) जी हाँ। आग तेल शोधक कारखाने के बाहर लगी थी।

(ख) नहीं; मामले की जाँच हो रही है।

(ग) कार्यवाही करने से पहले जाँच के परिणामों की प्रतीक्षा की जायेगी।

राज्यों में नई सिंचाई परियोजनायें

2580. **श्री क० लकप्पा**:

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य की योजनाओं में शामिल नई परियोजनायें आरम्भ करके सिंचाई की सुविधाओं में शीघ्र सुधार करने के लिए सरकार द्वारा राज्यों को कोई निर्देश दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सहायता से नई परियोजनायें आरम्भ करने वाले राज्य कौन-कौन से हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार राज्यों पर सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने के लिये निरन्तर जोर दे रही है। फिर भी साधनों की कमी के कारण किसी भी राज्य में विशेष केन्द्रीय ऋण सहायता से नयी बड़ी या मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनायें नहीं आरम्भ की गई हैं।

Assistance to M. P.

2581. **Shri G. C. Dixit.** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government have refused to give grant meant for relief works to the Madhya Pradesh Government;

(b) whether it is also a fact that the Madhya Pradesh Government have already spent Rs. 15 crores on relief works and the Centre has agreed to pay only Rs. 5.5 crores out of the said amount; and

(c) if so, whether Government propose to provide more assistance to the Madhya Pradesh Government ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, sir.

(b) No, sir.

(c) Does not arise.

Cremation Ground, Rajouri Garden, New Delhi

2582. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the cremation ground (Block No. J-11, Rajouri Garden, Najafgarh Road, New Delhi) has since been closed ;

(b) whether this land had been acquired by the Delhi Development Authority ; and

(c) if not, when it is likely to be acquired ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

आसाम से वसूल किया गया आयकर

2583. **श्री वि० ना० शास्त्री :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान आसाम से आयकर की कुल कितनी राशि वसूल की गई तथा प्राप्त हुई; और

(ख) उससे पहिले के वित्तीय वर्ष की तुलना में वह कितनी कम अथवा अधिक है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) आयकर आयुक्त असम के कार्य-क्षेत्र में 1966–67 में कुल 5.12 करोड़ रुपए के आयकर का संग्रह हुआ।

(ख) 1965–66 में कर-संग्रह की रकम 4.33 करोड़ रुपए रही, अर्थात् 1965–66 के मुकाबले में 1966–67 में कर-संग्रह में 79 लाख रुपए की वृद्धि हुई।

विदेशों की यात्रा के लिये 'पी' फार्म

2584. **श्री वि० ना० शास्त्री :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'पी' फार्म जारी करने में अत्यधिक विलम्ब के कारण विदेशी अभिकरणों के आमंत्रण पर विदेश जाने वाले व्यक्तियों को जिनको विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती है, प्रायः काफी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है और उनको उक्त कठिनाइयों से बचाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) विदेशी अभिकरणों के आमंत्रण पर विदेश जाने वाले व्यक्तियों से यदि समय पर आवेदन पत्र और उसके समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हो जाते हैं तो उन्हें विदेश जाने की अनुमति देने में विलम्ब नहीं किया जाता है। कुछ मामलों में आवेदन पूरी पूरी जानकारी नहीं भेजते हैं तथा रिज़र्व बैंक को आवेदन पत्र पर विचार करने से पहले आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी होती है और इसमें समय लग सकता है।

डीजल तेल

2585. **श्री कृ० मा० कौशिक** :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश के तेल के क्षेत्रों में डीजल तेल का उत्पादन होता है जो इंजनों और मोटरगाड़ियों के चलाने के लिये आवश्यक है;

(ख) क्या उसकी इतनी अधिक मात्रा में सप्लाई होती है जिससे इंजनों और मोटर गाड़ियों दोनों की माँग पूरी हो जाती है;

(ग) यदि नहीं तो क्या डीजल तेल का आयात किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो देश में स्टीम के कोयले की पर्याप्त सप्लाई को ध्यान में रखते हुए डीजल से चलने वाले इंजनों के उत्पादन में वृद्धि के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) और (ख) हाई स्पीड और लो-स्पीड दोनों ही डीजल तेल ऐसे पेट्रोलियम उत्पाद हैं जिन्हें तेल के क्षेत्रों से निकाले गए अशोधित तेल को शुद्ध करके बनाया जाता है।

देशी तेलशोधक कारखानों में इन उत्पादों के वर्तमान उत्पादन से लोकोमोटिव तथा मोटर-गाड़ियों की भी सभी माँगों की पूर्ति हो सकती है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

अनुसूचित आदिम जातियां

2586. **श्री कृ० मा० कौशिक**:

क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने किसी जाति को अनुसूचित आदिम जातियों में शामिल करने के लिये क्या मापदंड निर्धारित किया है?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : प्राचीनता का लक्षण अलग सी संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, समुदाय के साथ मेल-मिलाप में हिचकिचाहट और पिछड़ापन। इन्हीं बातों के आधार पर ही किसी जाति को अनुसूचित आदिम जाति में शामिल किया जाता है।

फिल्म अभिनेता द्वारा कर अपवंचन

2587. **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता श्री देवानन्द द्वारा कर अपवंचन के बारे में असिस्टेंट डायरेक्टर आफ इंस्पेक्शन (इंटेलिजेंस) बम्बई को कोई शिकायत मिली थी;

(ख) क्या उसके घर या उसके स्टुडियो नवकेतन पर छापा मारा गया था;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस फिल्म अभिनेता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पहाड़गंज दिल्ली म आटे की मिलें

2588. **श्री राम स्वरूप:**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उद्योग निदेशक, दिल्ली की सिफारिशों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली, पहाड़गंज दिल्ली की आटा-मिलें जो वृहत् योजना के अनुरूप नहीं है, वैकल्पिक औद्योगिक प्लॉट देने का विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उनपर क्या कार्यवाही की गई है;

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) हाँ। जो यूनिटें 7½ एच० पी० से अधिक पर काम कर रही हैं या चार से अधिक कर्मचारियों को काम पर लगा रही हैं, उनसे दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानान्तरित होने के लिये कहा जायेगा।

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है उसे यथासमय सभा-पटल पर रखा जायेगा।

उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

2589. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्यों में सहायता कार्यों के लिये केन्द्रीय सहायता देने के बारे में बनाई गई प्रक्रिया के अनुसार केन्द्र को इस प्रयोजन के लिये 75 प्रतिशत व्यय करना पड़ता है;

(ख) यदि हाँ तो सहायता कार्य के लिए उड़ीसा को चालू वर्ष म कितनी केन्द्रीय सहायता दी जानी थी;

(ग) सरकार ने वास्तव में कुल कितनी राशि दी है; और

(घ) बकाया राशि का पूरा भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क) जब किसी वर्ष सहायता कार्यों पर होने वाला खर्च उस धन-राशि से अधिक हो जाता है जिसकी वित्त आयोग ने केन्द्र से सिफारिश की थी, तो स्वीकृत राशि से अधिक खर्च का केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्बन्धित राज्य को (50 प्रतिशत अनुदान तथा 25 प्रतिशत ऋण के रूप में) भुगतान कर दिया जाता है।

(ख) चूंकि केन्द्रीय सहायता उस वर्ष के दौरान खर्च के उन आँकड़ों के आधार पर जिनकी जाँच की गई हो, केन्द्रीय सहायता भुगतान के रूप में दी जाती है इसलिये चालू वर्ष के दौरान सहायता कार्य के लिये उड़ीसा को कोई धन नहीं दिया गया है।

(ग) साधनों की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार को अग्रिम तदर्थ भुगतान के रूप में 1 करोड़ रुपया दिया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा आयकर का भुगतान

2590. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन राजनैतिक दलों से, जिनके प्रतिनिधि राज्य विधान सभाओं तथा केन्द्र में हैं, अपने दलों के सदस्यों के अतिरिक्त व्यक्तियों से मिलने वाले धन पर आयकर लिया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें आयकर विभाग के जी० आई० आर० में शामिल करने तथा विधि के अनुसार कर लगाने अथवा छूट देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या उन प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष राशि से अधिक राशि की प्राप्ति की जानकारी अपने क्षेत्र के आयकर अधिकारियों को देना अनिवार्य बनाने का सरकार का विचार है ताकि उस स्रोत की जाँच की जा सके जहाँ से यह राशि प्राप्त होती है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी नहीं। ऐसी प्राप्तियाँ आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आय नहीं मानी जाती और इसीलिए कानून के अनुसार ये कर लगने योग्य नहीं हैं।

(ख) उत्तर के भाग (क) को देखते हुए यह सवाल ही पैदा नहीं होता।

(ग) रुपए का निवेश करने से होने वाली आय के सम्बन्ध में रकम देने का दायित्व राजनीतिक दलों पर आता है। कर-निर्धारण के सिलसिले में आयकर अधिकारी किसी भी कर-निर्धारिती के बही-खातों में शामिल किसी भी रकम के स्रोत की आयकर अधिनियम की धारा 68 के प्रयोजनो के लिए छानबीन कर सकता है। सरकार इस प्रयोजन के लिये कोई अन्य व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझती।

कलकत्ता में आयकर कार्यालय

2591. **श्री वेणी शंकर शर्मा: क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में आयकर कार्यालय कितने स्थानों पर और कहाँ-कहाँ स्थित हैं और किराये पर लिये गए भवनों का प्रतिवर्ष कितना किराया दिया जाता है और किराये की अलग-अलग दरें क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि किराये पर लिये गए भवनों का किराया इतना अधिक है कि चार अथवा पाँच वर्ष में किराये की कुल राशि भवन की लागत से भी बढ़ जायेगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि नगर में आयकर कार्यालय जिन भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थित हैं, उनमें से कुछ स्थान बहुत ही घने बसे हुए क्षेत्रों में स्थित हैं और उन तक पहुँचना बहुत ही कठिन है और इससे करदाताओं तथा अधिकारियों दोनों को बड़ी असुविधा होती है; और

(घ) यदि हाँ, तो सभी कार्यालयों को एक ही भवन में अथवा कम से कम एक ही क्षेत्र में लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है।

सेनापति बापत के बारे में

RE: SENAPATI BAPAT

श्री नाथ पाई (राजपुर) : अध्यक्ष महोदय स्वर्गीय सेनापति बापत के प्रति जो राष्ट्र के स्वतंत्रता आन्दोलन के सेनानी थे, सभा को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैंने आपको एक पत्र भी लिखा था जिसका मुझे जवाब नहीं मिला। संसद-कार्य मंत्री ने मझे सूचित किया है कि उन्हें इसपर कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: राज्यों में आदरणीय नेता हैं, मैं नामों की चर्चा नहीं करना चाहता।

श्री नाथ पाई: किन्तु वह एक राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया।

श्री हेम बरुआ: (मंगलदायी) : मास्टर तारासिंह के निधन का उल्लेख इस सभा में किया गया था। जब आप.....

अध्यक्ष महोदय: किन्तु आप इसे विवादास्पद मामला बना रहे हैं और सभा में इस तरह यह मामला उठाना उचित नहीं है।

श्री नाथ पाई: ठीक है, इस पर हम आपसे विचार-विमर्श करेंगे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ऊन के आयात और वितरण के बारे में नई नीति

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I call the attention of the Minister of Commerce to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon :

"New policy of the Government regarding import and distribution of wool."

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): अध्यक्ष महोदय यह विवरण बहुत लम्बा है, इसलिए मैं आपकी अनुमति से इसे सभा-पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी०** 1856/67]

अध्यक्ष महोदय: इसे परिचालित किया जायेगा और प्रश्न कल पूछे जा सकते हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय जीवन बीमा निगम का वर्ष 1966-67 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारतीय जीवन बीमा

निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा साथ में लेखापरीक्षित लेखे सभा-पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी०** 1782/67]

औषध तथा कान्तिद्रव्य अधिनियम 1940 के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ तथा इन अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): मैं डा० श्री चन्द्रशेखर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) औषध तथा कान्तिद्रव्य अधिनियम, 1940 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) औषध तथा कान्तिद्रव्य (पहला संशोधन) नियम, 1967, जो दिनांक 15 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2369 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औषध तथा कान्तिद्रव्य (दूसरा संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 22 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2405 में प्रकाशित हुए थे।

(2) ऊपर की मद (2) की अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1793/67]

Shri George Fernendes (Bombay South) : Sir on a point of order. It is said in the order paper for today.

"A statement showing reasons for delay in laying the notifications mentioned at (1) above"

I do not know the reasons for delay in the matter, but Sub-section (3) of Section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 under which these notifications are being laid on the Table reads thus :

"Every rule made under this section shall be laid as soon as may be, after it is made, before each House of Parliament while it is in session for a total period of 30 days which may be comprised in one session or in two successive Sessions and if, before the expiry of the Session in which it is so laid or the Session immediately following, both Houses agree in making any modification in the rule of both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect as the case may be. So, however, with any such modification or annualment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule'

In addition to this, Rule 234 (a) of Rules of Procedure and conduct of Business in the Lok Sabha says :

"Where a regulation, rule, sub-rule, bye-law etc. framed in pursuance of the constitution or of the legislative functions delegated by Parliament to a Subordinate authority is laid before the House, the period specified in the Constitution or the relevant Act for which it is required to be laid shall be completed before the House is adjourned **Sine die** and later prorogued, unless otherwise provided in the constitution, or the relevant Act."

Now the point is that these ammendments were gazetted on 15th & 22nd July respectively and the Parliament was in session till 12th August. So, these papers, as required by the rules,

should have been laid in July, and an inordiante delay has been caused in this matter constituting gross violation of the relvant rules. We are not satisfied with the explanation given by the Hon. Minister. It does not comply with the requirements of the rules. I, would, therefore request you not to allow these papers to be placed on the Table and the Minister may be asked to withdraw these papers for their validity can be questioned on this ground.

अध्यक्ष महोदय: पत्र सभा पटल पर तो रखे जा चुके हैं और इस बात से मंत्री महोदय सहमत हैं कि इन्हें सभा-पटल पर जुलाई में रखा जाना चाहिए था, और उनसे विलम्ब हो गया है। इसके लिए उन्होंने अफसोस जाहिर किया है और अपनी गलती मानी है, यदि उसमें कोई गलती है, तो वह नोटिस दें और हम उसपर भी विचार करेंगे।

ऐसे मामलों का विवरण जिनमें इंडिया सप्लाई मिशन, लन्दन तथा इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन द्वारा निम्नतम टेंडर स्वीकार नहीं किये गये हैं।

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): मैं, 30 जून, 1967 को समाप्त हुई छमाही के ऐसे मामलों का एक विवरण जिनमें इंडिया सप्लाई मिशन, लन्दन तथा इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन द्वारा निम्नतम टेंडर स्वीकार नहीं किए गए हैं; सभा-पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1794/67]

कृषि पुनर्वित्त निगम का वार्षिक विवरण तथा सीमा शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत 30 जून, 1967 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कृषि पुनर्वित्त निगम, बम्बई, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये एल० टी० संख्या 1795/67]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 4053 जो दिनांक 10 नवम्बर, 1967 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० एस० आर० 1725 जो दिनांक 18 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाति हुई थी।

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये एल० टी० संख्या 1796/67]

(एक) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यातशुल्क वापसी (सामान्य) 58वाँ संशोधन नियम, 1967, जो दिनांक, 18 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1727 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शल्क वापसी (सामान्य) 59वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 18 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र 1967 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1728 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 60वां संशोधन नियम, 1967, जो दिनांक 18 नवम्बर, 1967 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1729 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 1796/67]

दक्षिण यमन के लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्वाधीनता के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: INDEPENDENCE OF THE PEOPLES REPUBLIC OF SOUTH YEMEN

प्रधान मंत्री, आण्विक शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सवा सौ साल से भी अधिक समय तक उपनिवेशी अधिराज्य बने रहने (कॉलोनियल डोमिनेशन) के बाद आज दक्षिण अरब का एक स्वतंत्र राष्ट्र—दक्षिण यमन का लोक गणतंत्रात्मक गणराज्य– के रूप में अभ्युदय हुआ है। इस शुभ अवसर पर हम इस नई राज्य की सरकार तथा उसकी जनता को बधाई देते हैं और उनके प्रति अपनी शुभकामनाएँ प्रकट करते हैं। इसके साथ-साथ हम उन स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों को भी, जिन्होंने अपनी देश के स्वतंत्रता-संग्राम के दौरान अपने जीवन की आहुतियाँ दी हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ।

भारत तथा दक्षिण अरब के बीच शताब्दियों से घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं, भारत सरकार इस नए राज्य के साथ अपने सम्बन्धों को और आगे मजबूत करने तथा उसे ऐसी आर्थिक तथा तकनीकी सहायता, जिसे हम दे सकते हैं और जिसकी उन्हें आवश्यकता हो, देने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेगी।

भारत सरकार ने दक्षिण यमन की लोक गणातंत्रात्मक सरकार को मान्यता प्रदान की है और हमारा अभिप्राय अदन स्थित हमारे आयुक्तावास को राजदूतावास में परिवर्तित करने तथा वहाँ एक रेजीडेन्ट राजदूत नियुक्त करने का है।

पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: SITUATION IN WEST BENGAL

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : पश्चिम बंगल विधान सभा के अध्यक्ष ने कल विधान-सभा को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करते हुए अन्त में कहा कि मुझे कुछ और समय की जरूरत है और केवल तभी मैं उन गम्भीर मामलों पर, जो खतरे में हैं, सोच विचार कर अपनी परिपक्व विनिर्णय दे सकता हूँ। अपना अन्तिम फैसला रिजर्व रखते हुए भी, अध्यक्ष ने कई मामलों/विवादों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।

हमें उपलब्ध सर्वोत्तम कानूनी सलाह के अनुसार राज्यपाल मंत्रिपरिषद् को, हमें जो सर्वोत्तम कानूनी सलाह प्राप्त हुई है, उसके अनुसार राज्यपाल भी अजय मुकर्जी की सरकार को भंग कर सकते थे और इसीलिये उन्होंने ऐसा किया। आगे यह सलाह दी गई है कि डा० पी० सी० घोष की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद् का विधिवत गठन किया गया है। हमें यकीन है कि यह ठीक दृष्टिकोण है और पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा व्यक्त विचारों के बावजूद डा० पी० सी० घोष तथा उनके सहयोगी पश्चिम बंगाल की वैध मंत्रिपरिषद् के रूप में बराबर काम कर रहे हैं।

राज्यपाल ने भी अजय मुकर्जी की सरकार को समाप्त करने तथा डा० पी० सी० घोष की नई सरकार बनाने की कार्यवाही अपने इस फैसले के आधार पर की है कि श्री अजय मुखर्जी को विधान में अब बहुमत प्राप्त नहीं था और डा० घोष को वह बहुमत प्राप्त है। विधान सभा की बैठक को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करके अध्यक्ष ने विधान सभा को इस परीक्षण का मौका नहीं दिया कि विधान सभा में बहुमत श्री अजय मुकर्जी को प्राप्त था अथवा डा० पी० सी० घोष को, लेकिन कल की घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि बहुमत डा० पी० सी० घोष को ही प्राप्त है।

अध्यक्ष महोदय: इस सम्बन्ध में मुझे आज सुबह एक स्थानापन्न प्रस्ताव मिला है जिसके बारे में मैंने श्री ही० ना० मुखर्जी श्री स० मो० बनर्जी, डा० रानेन सेन, इन्द्रजीत गुप्त तथा सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी के साथ विचार-विमर्श किया है; स्थानापन्न प्रस्ताव इस प्रकार है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति से सिफारिश करती है कि वह कृपया पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल को, पश्चिम बंगाल में संयुक्त वामपंथी मोर्चे के मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की उनकी प्रजातंत्रविरोधी कार्यवाही के कारण बर्खास्त कर दें"

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur): Sir, the hon. Home Minister has made a very important Statement today and the House should get an opportunity to discuss it. You may please accept a motion—out of these you have received in this connection—which may enable the House to have a discussion on the Statement. The House may then recommend to the President views it takes on the subject after it has considered the same.

अध्यक्ष महोदय: क्या माननीय सदस्य अलग चर्चा चाहते हैं?

Shri A. B. Vajppayee. No, Sir. We can club both—the Home Ministers Statement and the motion which he has been pleased to accept.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रस्ताव में राज्यपाल को बर्खास्त करने का नहीं अपितु हटाने का सुझाव दिया है, मैंने वर्तमान स्थिति का उल्लेख किया है। मेरे प्रस्ताव में उस प्रस्ताव की तुलना में जो आपने पढ़ा है थोड़ा सा फर्क है। किन्तु मैं नहीं जानता कि उस प्रस्ताव में जिसे आपने स्वीकार किया है, वर्तमान स्थिति का उल्लेख है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय: स्थिति इस प्रकार है कि इस सम्बन्ध में कई प्रस्ताव आये हैं। भाषा तो सबकी एक नहीं है किन्तु सार सबका एक ही है। अर्थात् राज्यपाल को हटाया जाये। इसलिये मैं चाहता हूँ कि गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य पर विचार-विमर्श किया जाये जैसा कि श्री वाजपेयी जी ने सुझाव दिया है।

इसके अलावा यदि हम इस विषय को लेकर कि किसी विधान सभा में क्या हो रहा है, काम रोको प्रस्ताव पर बहस करना आरम्भ कर दें तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसके साथ-

साथ किसी विधान सभा में जो कुछ होता है, उसपर हम यहाँ बहस भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं इस बात से निश्चित तौर पर सहमत हूँ और इसे मानता हूँ कि गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य पर बहस होनी जरूरी है। विरोधी दल के नेताओं के साथ मशवरा करके मैं इस चर्चा के लिये कल लगभग दो घंटे का समय निश्चित कर रहा हूँ। इसपर बहस कल होगी

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, the adjournment motion which I had given notice of may also be taken up.

Shri Ram Sevek Yadav (Barabanki): There have been agitations throughout Uttar Pradesh on account of the indifferent policy towards Hindi followed by Government....Kindly listen me. I will finish it in few seconds. **

अध्यक्ष महोदय : वहाँ राज्य सरकार मौजूद है । इस प्रकार कई सदस्यों का उठकर बोलने लगना उचित नहीं है।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

Not Recorded

संविधान संशोधन विधेयक 1967

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL 1967

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिये नियत समय को और आगे बढ़ा कर अगले सत्र के पहले दिन तक कर दिया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिये नियत समय को और आगे बढ़ा कर अगले सत्र के पहले दिन तक कर दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was Adopted

देश में खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE : FOOD SITUTATION IN THE COUNTRY—Contd.

अध्यक्ष महोदय: अब हम 29 नवम्बर, 1967 को श्री अन्नासाहिब शिन्दे द्वारा पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर प्रस्तुत किए गए संशोधनों सहित आगे चर्चा करेंगे :

"कि देश की खाद्य स्थिति पर विचार किया जाये।"

श्री प्र० के० देव (कालाहाण्डी) : हमारे देश में खाद्य तथा कृषि क्षेत्र में असफलता का कारण स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक सरकार द्वारा लगातार गलत नीतियों का अपनाया जाना है। खाद्य तथा कृषि क्षेत्र में संकट के कारण योजनाओं के लिये गलत प्राथमिकता निर्धारित करना, कृषि तथा सिंचाई की उपेक्षा, अत्यधिक करारोपण तथा नियंत्रण तथा इनके साथ साथ भ्रष्टाचार तथा अपव्यय और स्वामित्व समाप्त करने वाले भूमि सुधार हैं। इन सबके परिणामस्वरूप हम विदेशी खाद्य सहायता पर इतने अधिक निर्भर हो गए हैं।

प्रत्येक योजना के आरम्भ में हमें बताया गया कि हम योजना के अन्त तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे परन्तु इसके विपरीत प्रत्येक योजना के बाद विदेशी खाद्य सहायता पर हमारी निर्भरता बढ़ती ही गई है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

Mr. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR

पिछले वर्ष हमने 500 करोड़ रुपए के मूल्य का अनाज बाहर से मंगाया। इतने अधिक मूल्य का आयात पहले कभी नहीं किया गया था। प्रत्येक वर्ष बाहर से अनाज मंगाने पर जो राशि खर्च की जाती है यदि उसे सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने के लिये प्रयोग में लाया जाता तो स्थिति बिल्कुल ही भिन्न होती।

कृषि के लिए सिंचाई सुविधाओं का होना एक बुनियादी चीज है। जल की सप्लाई की व्यवस्था करने से ही उर्वरकों, संकर बीजों आदि का लाभ उठाया जा सकता है। पानी के बिना इनका प्रयोग बेइमानी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं उनका जल दर अधिक होने के कारण पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है। यदि इनका पूर्ण उपयोग किया जाता तो उससे और 20 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की जा सकती थी। जल दर को 50 प्रतिशत घटाकर उड़ीसा सरकार ने जो पहलकदमी की है अन्य राज्यों को भी उसका अनुसरण करना चाहिये।

सूखे के दौरान हमारा अनुभव यह रहा है कि छोटी सिंचाई सुविधाएं पूर्ण रूप से असफल रही हैं। इसलिए भविष्य में सरकार को बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। राज्यों को सहायता दी जानी चाहिये ताकि वे किसानों को नलकूप लगाने के लिये सस्ती बिजली की व्यवस्था कर सकें।

उर्वरक उत्पादन का हमारा जो लक्ष्य था हम उससे बहुत पिछड़ गए हैं। हमारे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कारखानों के लिये नेफ्था मुख्य कच्चा माल है। जो नए कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं उनके लिये शायद हम नेफ्था की कमी महसूस करें। इसलिए मध्य-पूर्व में फालतू प्राकृतिक गैस से अमोनिया प्राप्त किया जाना चाहिये। इसराइल तथा फार्मूसा ने कृषि क्षेत्र में बहुत भारी प्रगति की है। हमें उनके साथ कृषि के बारे में तकनीकी जानकारी का आदान-प्रदान करना चाहिये। इन देशों के साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध इस बारे में रुकावट नहीं बनने चाहिये।

खाद्य क्षेत्र समाप्त किए जाने चाहिये। केवल विशेष मामलों में ही जहाँ लोगों की क्रय-शक्ति बहुत कम है इन्हें बनाए रखा जाये। वसूली अधिक से अधिक की जानी चाहिये। परन्तु वह खुले बाजार में की जाये। वसूली मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिये और यदि उसे अधिक मूल्य पर वसूली की जाये तो उसका स्वागत है। व्यापारियों को राज्य के अन्दर अनाज का व्यापार करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिये और यदि अनाज फालतू है तो उसका निर्यात किया जा सकता है।

हालांकि इस वर्ष अगस्त-अक्तूबर में कीमतों में कुछ कमी हुई थी परन्तु वे उन कीमतों की तुलना में कही अधिक थीं जो पिछले वर्ष इसी अवधि में विद्यमान थीं। समाज के निर्बल तथा शोषित वर्गों को कम दरों पर अत्यावश्यक खाद्य वस्तुएं मुहैया की जानी चाहिये।

दैवी विपत्तियों, जैसे बाढ़ तथा तूफान में कृषकों को ऋणों का कुछ अधिक समय बाद भुगतान करने की छूट दी जानी चाहिये और उनके ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिये। इसी प्रकार राज्यों को दैवी विपत्तियों का सामना करने के लिये दी गई सहायता को भी बट्टे-खाते में डाल दिया जाना चाहिये और लगान भी पूर्णतया माफ कर या जाना चाहिये।

समुद्री खाद्य के मामले में हमारे पास जो असीम संसाधन मौजूद हैं, उनकी खोज की जानी चाहिये। कच्छ की रन, व थार के विशाल रेगिस्तान, चम्बल घाटी तथा दण्डकारण्य क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने के लिये भी प्रयत्न किया जाने चाहिये।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (नलौव): मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 13 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 प्रस्तुत करता हूँ।

इसके पश्चात् लोक सभायें मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई :

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

Mr. Deputy Speaker in the Chair.

Shri K. N. Tiwary (Betia) : It has become a ritual to hold a food debate in every session of Parliament. But the suggestions made by Members are not headed or implemented by the Government.

Some time back an Agricultural Prices Commission was set up which has submitted a report. The Commission did not have a representative of the farmers and its members did not have more than bookish knowledge of agriculture. That is the reason why the Commission has produced a useless report. The purpose for which it was appointed viz. the fixation of prices of food commodities, has not been achieved. It should have studied the cost of food-grain production and suggested a basis for fixation of a remunerative and integrated price for the farmer. Instead of doing this, it has suggested a lower price for the former than the market price. It is an anti-kisan report and should not be implemented if the farmer is not to be discouraged to produce more.

There is demand all over the conntry for abolition of food zones. Only the traders benefit out of this system. The food zones serve no other purpose.

The State Governments should be left free in regard to fixation of the procurement price which they want to pay to the agriculturists. The Central Governments should not come in their way.

The Planning Commission is reported to be considering about levy of income-tax and agriculture-tax on the farmers. If it is was true it would prove to be a suicidal blunder for the Congress Government. The farmers will not return such a party into power. The farmers were always exposed to the vagaries of nature. Droughts and floods can spell disaster to them. They therefore do not have a secure income. Only recently, there were two years of drought.

Tractors should be made available to farmers at subsidised rates and a quota should be fixed for them. When we can fix a quota for 'Fiat' and 'Ambassador Cars' why should'nt there be a quota of tractors for the farmers? We can abolish the quota for cars, if need be, but some quota of tractors for farmers must be fixed.

By the completion of the Gandak project, the production in Bihar State would rise by 26 to 30 lakh tons. Bihar would then be in a position to supply some of its surplus produce to other States in addition to wiping out its own deficit. Therefore somehow or other money should be found for this project.

The malpractices prevailing in the matter of distribution of improved variety of seeds to the farmers should be put an end to without any delay, so that the farmers can reap the benefit of these new reasearches.

Shri Yajnik (**Ahmedabad**): We have been getting one assurance after another from the Government for the last twenty years that the country would become self-sufficient in food. Now again it is being said that we would become self-sufficient by 1971. When it could not be done in twenty years, one wonders whether it would be possible to do it in the next three years.

Since manure determined the productive capacity of land, it is natural that attention has now been focussed on fertilisers. But it is our misfortune that during the last twenty years we had forgotten the value of organic fertitizers and are now laying too much emphasis on chemical fertilisers.

Gandhiji had said that the excreta of animals and human beings judiciously mixed with refuse made a golden manure which may result in saving of millions of rupees and increasing manifold the total yield of our foodgrains. It is unfortunate that our Government have done nothing in this direction.

A British expert, Sir Albert Howard toured throughout India and he made many experiments in agriculture here. Thereafter he wrote a book narrating his experiences with Indian agriculture. He recounted the harmful effects of the chemical fertilisers and narrated how our vegetable and animal waste could be turned into humus and can be cohverted into an ideal manure.

The Chemical fertilisers created germs for the destruction of which an elaborate machinery for spraying insecticides and germicides had to be maintained. In a vast country like India, the question of their production and distribution and of taking them to remove villages was also a ticklish one. Then, there is the question of their high cost. It is therefore time for the Government to think in terms of organic manure for solving the country's food problem. Our villages have vast resources for producing such manure easily and cheaply.

श्रीमती सुचेता कृपलानी (गोंडा) : हमारा चीनी उद्योग उत्पादन, वितरण, मूल्य तथा उपलब्धि आदि चारों ओर से संकट का सामना कर रहा है और यह संकट 20 वर्षों से चल रहा है। हर साल चीनी उद्योग और चीनी उत्पादन के लिए संकट का वर्ष होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम कोई विस्तृत नीति बनाने में सफल नहीं हुए हैं। हमारी कोई नीति नहीं है और समय-समय पर हमारी नीतियाँ बदलती रहती हैं। एक बार हमें गन्ने के दाम में प्रोत्साहन दिया गया जिससे काफी क्षेत्र पर गन्ने की उपज की गई। फिर आदेश दिया गया कि गन्ने के स्थान पर अनाज की उपज की जाये। राज्य सरकारों ने कुछ उदासीन रुख दिखाया तो गन्ने की उपज कम हो गई। ऐसा करने पर संकट पैदा हो गया और फिर गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए कहा गया। इस तरह हमेशा परिवर्तन होते रहते है। मुक्त अर्थव्यवस्था होने पर तो यह बात समझ में आ सकती है लेकिन हमारे देश में पिछले 16 या 18 वर्षों से नियोजित अर्थव्यवस्था है। योजना में इस बात पर विचार किया जाता है कि

चीनी की घरेलू माँग कितनी है, निर्यात के लिए कितनी चीनी की जरूरत है, कितने उद्योग हैं और देश में उत्पादन क्षमता कितनी है। इन सभी बातों पर विचार करके एक नीति बनाई जाती है जिसपर क्रमशः पालन करके बढ़ाया जाता है लोगों की जरूरत को पूरा किया जाता है और निर्यात की जरूरतों को पूरा किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है जिसके कारण यह संकट चल रहा है।

चीनी उद्योग में इस समय जो संकट की स्थिति मौजूद है उसके दो कारण हैं। एक यह है कि गन्ने को खेती का क्षेत्र अधिकाधिक कम किया जा रहा है। दूसरा कारण यह है कि खण्डसारी, गुड़ और चीनी के दाम में भारी प्रतिस्पर्धा है। चीनी केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है। कारखानों पर भी केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण और विनियम है जबकि गुड़ और खण्डसारी पर राज्य सरकारों का नियन्त्रण है। नीति में जो संतुलन होना चाहिये वह नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप चीनी उद्योग को बड़ी कठिनाई हो रही है। दूसरी ओर, खण्डसारी और गुड़ गन्ने के लिए असाधारण उच्च दाम देते हैं जिसके कारण गन्ना, गुड़ और खण्डसारी बनाने के काम लाया जाता है। इसी कारण चीनी का संकट हो रहा है।

चीनी का वितरण भी दोषपूर्ण है। इसे केवल शहरी इलाकों में बाँटा जाता है। देहाती इलाकों को चीनी नहीं मिलती है। देहाती क्षेत्रों को केवल नाम मात्र चीनी दी जाती है।

विभिन्न प्रोत्साहनों के कारण उत्पादन 1965–66 में बढ़कर 35–37 लाख टन हो गया। अब यह घट कर 22 लाख टन अथवा इस से भी कम हो गया है। जब कि इस वर्ष के लिए 37 लाख टन लक्ष्य रखा गया था। उत्पादन में 38 प्रतिशत कमी हुई है और गन्ने के क्षेत्र में 14 प्रतिशत कमी हुई है। इस तरह इस उद्योग में बड़ा भारी संकट है।

दो वर्ष पहले केन्द्र सरकार ने उत्पादन शुल्क 28.35 रुपये से बढ़ा कर 37 रुपये कर दिया था। उत्पादन शुल्क में इस वृद्धि से चीनी उद्योग का संकट और जटिल हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप चीनी की भारी कमी हो गई है। कीमतें बढ़ गई हैं और गन्ना कारखानों में जाने के स्थान पर गुड़ और खंडसारी बनाने के लिए दिया जा रहा है।

विद्यमान बाजार मूल्य पर विचार करते हुए, जो 12 अथवा 15 रुपये अथवा इससे भी ज्यादा है, गन्ने का दाम बदलना जरूरी है। यदि विद्यमान बाजार मूल्य इतने ज्यादा हैं तो सरकार यह आशा कैसे कर सकती है कि कारखाने 2.75 रुपये के दूसरे मूल्य पर गन्ना प्राप्त कर सकते हैं? सरकार के सामने जो कठिनाइयाँ हैं, हम उन को समझते हैं लेकिन वास्तविक मूल्य और सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य में कुछ संतुलन होना चाहिये।

यदि उत्तर प्रदेश में चीनी के कारखाने बन्द हो जायें तो एक बहुत कठिन स्थिति पैदा हो जायेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सामान्य मौसम से तीन सप्ताह बाद काम शुरू किया और चार या पाँच दिन बाद कुछ कारखाने बन्द हो गया। 15 रुपये कीमत निर्धारित करने के बाद उनमें से कुछ ने पुनः काम शुरू कर दिया है लेकिन आशा है कि वे दिसम्बर के बाद नहीं चलेंगे। यदि कारखाने नहीं चलते हैं तो हजारों मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे जिससे बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो जायेगी।

चीनी के उत्पादन में कमी होने के कारण सरकार को और नुकसान भी होंगे। सरकार को उत्पादन शुल्क और विदेशी मुद्रा में लगभग 40 करोड़ रुपये की हानि होगी। सरकार को निर्यात की मात्रा कम करनी पड़ेगी। खरीद करने में राज्य सरकारों को भारी नुकसान होगा। इसके अतिरिक्त अन्य उद्योगों को जो चीनी उद्योग पर आश्रित हैं, नुकसान होगा। इस प्रकार चीनी उद्योग को सभी ओर से भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है।

सर्वप्रथम, सरकार को नीति के सम्बन्ध में अवश्य निश्चय करना चाहिये। हमें यह देखना चाहिये कि उपभोक्ता को उचित मूल्य पर सामान मिले।

हमें गुड़ और खण्डसारी पर किसी तरह का नियन्त्रण लगाना चाहिये ताकि वे उचित मूल्य पर बिक सकें। गुड़ के दाम बहुत ऊँचे हैं क्योंकि गुड़ को अवैध शराब निकालने के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

गन्ने के दाम बढ़ाये जाने चाहिये। बाजार मूल्य और सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों में संतुलन होना चाहिये। यदि इन दो के बीच संतुलन नहीं होगा तो एक गम्भीर स्थिति पैदा हो जायेगी। 20 वर्षों के बाद भी, चीनी उद्योग का जहाँ तक सम्बन्ध है, योजना पूर्णतया असफल है। उपभोक्ता दुःख उठा रहे हैं और उद्योग संकट का सामना कर रहा है। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को जल्दी ही कदम उठाने चाहिये।

Shri J. B. Singh (Shahabad) : The Country was facing a serious problem of food shortage. It was disgraceful that we depended also much on foreign countries for our food requirements. This problem would have to be solved and the solution mainly depended upon four factors, that is, manure, seed, water and distribution system.

The Government have failed to make the required quantity of manure available to the cultivators. So far as the question of seed is concerned, free from making improved seeds avaialble to the farmers, even ordinary seeds are not made available in time.

The need of the hour is that adequate irrigation facilities should be made available to our agriculturists. A regular supply of water must be assured to them. If sufficient water is not made available for irrigation, and fetilizers are used in large quantity, the fertility of land may go down and that will be more harmful.

Our system of distribution is also defective. The Zonal System in respect of foodgrains is no good and should be abolished. At the moment the acreage of land which is under food cultivation is almost the double of what was in 1951-52. On the other hand, population has not multiplied in that proportion. Therefore there should not have been this huge shortage. In fact the shortage was man-made. One of the factors is that large quantities of foodgrains are smuggled to Pakistan and China. This should have been stopped.

We are facing sugar crisis also. This is due to the failure of Governments policy because it had not raised the price of sugarcane. If the Government wants to solve this problem, they should raise the price of sugarcane.

श्री चेंगलराय नायडू (चित्तूर) : श्री जगजीवन राम और श्री अन्ना साहेब शिन्दे ने खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में मंत्री बनने के बाद खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए अथक प्रयत्न किया है और किसानों की हालत सुधारने के लिए भी प्रयत्न किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये हैं लेकिन अब तक हम अनाज में आत्म-निर्भर नहीं हो सके।

योजना आयोग कृषि आयकर लगाना, सिंचाई के लिए बिजली की दरें बढ़ाना और और आयकर बढ़ाना चाहता है। यह सुझाव बहुत विचित्र है। यदि यह कर वास्तव में लगाये गये तो किसानों के साथ अन्याय होगा।

अब तक किसान कैसे काम करता रहा है, सरकार ने किसान को कौन-सी सुविधाएँ दी हैं, इन बातों पर विचार किया जाना चाहिये। अन्य लोगों को सुविधाएँ दी जाती हैं लेकिन किसान की कोई सुविधा नहीं दी जाती। कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अधिकारियों को सभी सुविधाएँ दी गई हैं लेकिन एक किसान जो गाँव में रहता है उसे क्या सुविधा दी गई है?

किसान के पास कोई सुविधा नहीं है और उसके पूरे परिवार को काम करना पड़ता है और बड़ी कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है तभी वह अपनी आजीविका अर्जित कर सकता है। इसके बावजूद भी यह समझ में नहीं आता कि सरकार किसानों पर इतने प्रतिबन्ध क्यों लगाना चाहती है। यदि हम देश को आत्म-निर्भर बनाना चाहते हैं तो हमें किसानों की हालत को सुधारना होगा। हमें कृषि सम्बन्धी उद्योग पर अधिक कर लगा कर उसे बिल्कुल समाप्त नहीं कर देना चाहिये।

आन्ध्र प्रदेश में कुछ मास पूर्व भूमि-राजस्व को दुगना कर दिया गया है। कृषि के लिये पानी खींचने के लिये हम बिजली के एक यूनिट पर 8 पैसे दे रहे थे जो अब बढ़ाकर 12 पैसे कर दिया गया है। ट्रैक्टरों के मूल्य में वृद्धि हो गई है। डीजल तेल तथा रासायनकि उर्वरकों के मूल्य में भी वृद्धि हुई है। सब प्रकार से कृषि की लागत में वृद्धि हुई है। खेतिहार ही इस सरकार के सब से अधिक समर्थक है परन्तु यदि सरकार खेतिहरों को हानि पहुँचाना चाहती है तो आगामी चुनावों में सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री से अनुरोध करूँगा कि वह कम से कम 1971 तक, जब हम आत्म-निर्भर हो जाने की आशा करते हैं, इस प्रकार के कर लगा कर खाद्य उत्पादन को को हानि न पहुँचाएँ।

मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने आंशिक रूप से चीनी पर से नियन्त्रण हटा लिया है। उपभोक्ताओं को चीनी वितरित की जाती है। और उन्हें कुछ चीनी मिल रही है। केवल गाँवों में रहने वाले खेतिहरों को हानि पहुँच रही है। नगरों में तो सभी को चीनी मिल रही है। केवल मिठाई आदि बनाने वालों को ही खुले बाज़ार से चीनी खरीदने पड़ेगी। मेरे विचार में एक या दो वर्ष तक सरकार सारे देश में चीनी से नियन्त्रण हटा लेगी। इस समय तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार बड़े उद्योगपतियों की सहायता करती है परन्तु वे खेतिहरों की सहायता नहीं कर रहे। जैसे गुड़ का शीरा चीनी के सहकारी कारखानों द्वारा बेचा जाता है जिसके मूल्य पर सरकार का नियत्रण है। इसका दर 6 रुपये 80 पैसे है। परन्तु खांडसारी के कारखानों द्वारा खुले बाजार में जो गुड़ का शीरा बेचा जाता है उसका दर लगभग 400 से 500 रुपये प्रति टन है। इस दर पर गुड़ का शीरा खरीद कर भी वे लाभ कमाते हैं। सरकार का यह रवैय्या उचित नहीं है। सरकार को गुड़ के शीरे पर से नियन्त्रन हटा लेना चाहिये और खुले बाज़ार मे बेचने की अनुमति देनी चाहिये। इससे उत्पादक को अधिक धन मिलेगा। यदि ऐसा किया गया तो चीनी की लागत में कमी होगी।

ट्रैक्टर के टायर खरीदने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे ट्रैक्टर के टायर बिना कठिनाई के उपलब्ध हो सकें।

हमें पता चला था कि अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में सरकार स्थायी रूप से कुछ राहत दे रही है परन्तु वास्तव में अभी तक कुछ नहीं किया गया। यदि सरकार वास्तव में कुछ राहत देना चाहती है तो सरकार को सिंचाई की छोटी योजनाओं पर और कृषि के लिये देहाती क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करने पर अधिक ध्यान देना चाहिये। परन्तु इस कार्य के लिये जो धन नियत किया गया है उससे पता चलता है कि सरकार का अकालग्रस्त क्षेत्रों को स्थायी रूप से राहत देने का विचार नहीं है। इस सम्बन्ध में मैंने प्रधान मंत्री तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री को पत्र लिखे हैं जिनमें मैंने उनसे आन्ध्र प्रदेश के लिये कुछ धन देने के लिये अनुरोध किया है। यदि धन की मंजूरी मिल जाये तो योजनाओं का तत्काल क्रियान्वित किया जा सकता है और हमें उनका फल भी तत्काल प्राप्त किया जा सकता है।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : The food situation in the country is detriorating. Many times it has been declared that our country would become self-sufficient in food but no

concrete steps have been taken to achieve the same. We cannot achieve self sufficiency until we stop the import of fertilizers and foodgrains.

There are three types of farmers. First of all there are some farmers who can manage to get all types of facilities required to achieve good results. But in spite of all this they cannot achieve good results because they depend on others and they do not plough their fields themselves. Second type of farmers are those who depend on the facilities to be provided by the Government. But the officials who are incharge of distributing these agricultural inputs are so corrupt that these farmers are deprived of these amenities. The third type of farmers are those whose holdings are uneconomic. They are small farmers. They are neither provided with fertilizers and irrigation facilities nor their requirements are met by Government resources. They should be given more facilities and they should not be charged any land revenue. The actual land tillers should be given proper rights on the land they till.

So far the question of irrigation facilities is concerned, the Central Government should accord priority to small irrigation projects and small farmers should be given preference in the matter of providing irrigation facilities. In Delhi alone 64-65 thousand acres of agricultural land has been acquired on the plea that that these plots would be developed and the houses would be constructed. The land owners are not given suitable compensation when their lands are acquired. In such circumstances how can we grow more food. It is not possible at all.

In so far as the question of policy of the Government with regard to sugar is concerned, it may be stated that it is beneficial to the millowners only. They would be earning a profit worth crores of rupees. Neither the farmer nor the consumer has been benefitted by the policy of the sugar policy of Government because Government have fixed Rs. 2.75 P. the price of sugarcane. The mill-owners are however giving higher price to the farmer because of partial decontrol of sugar. The Government have admitted that the production of sugarcane would be less unless the farmer is given remunerative prices, the position in regard to the sugar production would not improve.

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): What should be the price of sugarcane according to the assessment of the Hon. member?

Shri Ram Sewak Yadav : There was a time when the price ratio between sugar and sugarcane was one rupee to an anna. The policy can be followed now. But Government has to change its taxation policy. If this policy is followed neither the farmer nor the consumer would suffer and mill-owner would also have his reasonable benefit. The present crisis of sugar is an artificial one. The Government have encouraged black market by partially decontrolling the Sugar. There should be some definite policy with regard to the prices of foodgrains. We should keep in our minds fluctuations in the prices of different commodities. The difference in the prices of foodgrains in different States should be removed We can solve our immediate and long term problems in this manner.

श्री भगवती (तेजपुर) : वर्षा अच्छी हो जाने के कारण अच्छी फसल की आशा पर हमें संतोष नहीं कर लेना चाहिये। सरकार का यह अनुमान है कि वर्ष 1967-68 के दौरान खाद्य उत्पादन 950 लाख टन होगा। सरकार को 70 लाख टन अनाज की वसूली करनी होगी और 75 लाख टन अनाज आयात करना होगा और 30 लाख टन अनाज का भण्डार बनाना होगा। हम अपने अनुभव से कह सकते हैं कि हम वसूली की जितनी मात्रा निर्धारित करते, उतनी वसूली कर नहीं पाते। हमें अधिक से अधिक अनाज की वसूली करनी चाहिये। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो अच्छी फसल के बावजूद हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के प्रतिवेदन में कहा गया है कि वसूली का तरीका राज्यों पर छोड़ देना चाहिये। इस सम्बन्ध में राज्यों को कुछ छूट देना आवश्यक हो सकता है परन्तु इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये। मेरे विचार में केवल एक एजेंसी के माध्यम से वसूली करनी चाहिये और वह एजेंसी सहकारी समितियाँ होनी चाहिये।

आज हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हमें कृषि का आधुनिकीकरण करना चाहिये। परन्तु यह कैसे हो सकता है। हम आधुनिक तरीके छोटी जोतों पर लागू नहीं कर सकते। ये जोतें बहुत छोटी और अलाभकारी हैं। हमें बड़ी-बड़ी जोतें बनानी चाहिये। हमें कृषि के मामले में अनुसन्धान भी करना चाहिये। आज हम परम्परागत तरीकों से आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। यह असम्भव है। हमें उत्पादन के आधुनिक तरीके सीखने चाहिये। ऐसा करने के लिये कृषि के विषय में अनुसन्धान करना आवश्यक है। हम कृषि सम्बन्धी तकनीकी ज्ञान का आयात नहीं कर सकते। यह अनुसन्धान हमारे देश की जलवायु के अनुरूप होना चाहिये। यह बहुत ही आवश्यक है जिस पर अभी तक हमने पूरा ध्यान नहीं दिया।

फिर यह भी आवश्यक है कि हम अनाज से भिन्न खाद्य पदार्थों के उत्पादन को अधिक महत्व दें। जब तक हम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को संतुलित भोजन नहीं देते तब तक वे बौद्धिक कार्य कैसे कर सकते हैं। यदि उन्हें पर्याप्त प्रोटीन नहीं दी गई तो उनका बौद्धिक विकास रुक जायेगा। हमने इस सम्बन्ध में क्या किया है ? हमारे देश में दूध, माँस, अण्डों, फल आदि के उत्पादन में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई। दूध तथा अन्य प्रकार के प्रोटीन की खपत प्रति व्यक्ति बहुत कम है। हमें इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये कि देश में सभी प्रकार की वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हो जिससे गरीब लोग भी इस प्रकार के खाद्य पदार्थों को खरीद सके।

जहाँ तक भूमि-सुधारों का सम्बन्ध है, हमें खेतिहरों को भूमि का मालिक बना देने से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिये। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उन्हें पर्याप्त भूमि दी जाये।

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के एक प्रकाशन से पता चला है कि कोई एक एजेंसी पंचायत समिति, सहकारी समिति या विभाग खेतिहरों के विभिन्न कार्यक्रमों के लिये ऋण देने के लिये व्यवस्था करने में समर्थ नहीं है। खेतिहरों के लिये ऋण की सुविधा उपलब्ध करने के लिये व्यवस्था करना आवश्यक है। ऋण की यह सुविधा स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों के माध्यम से दी जानी चाहिये। स्टेट बैंक को सारे देश में शाखाएँ खोलनी चाहिये। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये जिससे खेतिहरों को पर्याप्त ऋण मिल सके और वे उत्पादन में वृद्धि कर सकें। देश में लाखों लोगों को खिलाने के लिये पर्याप्त अनाज पैदा करने की समस्या बहुत बड़ी है। मुझे आशा है कि वर्ष 1970–71 तक खाद्य के मामले पर आत्म निर्भर होने के लिये सरकार पर्याप्त व्यवस्था करेगी।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

Mr. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR

जहाँ तक आसाम की खाद्य समस्या का सम्बन्ध है वहाँ की मुख्य समस्या बाढ़-नियंत्रण और भूमि परिरक्षण की है। जब तक ब्रह्मपुत्र नदी पर नियन्त्रण नहीं होता तब तक आसाम खाद्य उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि भारत सरकार इस विषय पर विचार करेगी। आसाम में खाद्य स्थिति इतनी खराब नहीं होनी चहिये थी। परन्तु वहाँ भी चाय बागान में चावल नहीं भेजे जा सके और उसके बदले गेहूँ भेजना पड़ा था। यह सप्लाई भी पूरी नहीं थी। मेरा सरकार

से अनुरोध है कि आसाम में ही गेहूं का पर्याप्त भण्डार बनाया जाना चाहिये जिससे उन्हे सप्लाई की कमी के कारण कष्ट न हो।

उपाध्यक्ष महोदय : अब चार बज चुके हैं। हम अब श्री प्रकाशवीर शास्त्री तथा अन्य सदस्यों के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

पाकिस्तानियों द्वारा काश्मीर में घुसपैठ के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: PAKISTANI INFILTRATION INTO KASHMIR

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): Mr. Deputy Speaker, since the day of its creation, Pakistan has been carrying on a slanderous campaign against India. That country is sending trained infiltrators in Jammu and Kashmir. Now those infiltrators have gone underground. In fact the situation is much gloomy than what it was in 1965.

Some prominent people who went as tourists to Jammu and Kashmir were ill-treated by the urchins who have the support of big people there. Among those who were ill-treated included late Smt. Huttee Singh who was the aunt of our Prime Minister, the ambassador of Yugoslavia in India and General Manager of Tatas. But this has not damped the efforts of the Union Tourist Minister, Dr. Karan Singh due to whose efforts the number of tourists this year was 1,50,000 as against 60 to 70 at an average thousand per year in previous years. But the tourists are harassed by people which is most improper.

Mr. Ghulam Mohiuddin Kara is still carrying on anti-India Campaign and asking Pakistan to send him arms. One of his letters asked the Pakistanis to send him arms and in the Code words he asked them to send to him more medicine as the number of patients was increasing. Then there is a photo taken with a mosque in the background which too indicated anti-India slogans. I have got photostat copies of both these documents and am prepared to place the same on the table of the House.

According to the Census of 1961 the total population of Jammu and Kashmir was about 36 lakh people. Out of it approximately 28 lakh are Muslims and about 5 lakh are Hindus. Never in the last 20 years history of Jammu and Kashmir there were communal riots there but since August 1967 when a Hindu Girl was forcibly married to a Muslim boy, these communal riots are taking place there. Even the Magistrate who was trying that case could not hold his court properly as the rioters did not permit him to do so. There have been cases of molestation of women, stabbing and murder which are worse than the happenings of Jalianwala Bagh tragedy. The persons who were throwing acid included son of a prominent minister there. The complicity of Kashmir Home Guards and Kashmir Armed Police was also found. The Home Guards and Field Service Organisation in that State are the Shiv Sena of Jammu and Kashmir. There are 7000 people in Home Guards on whom Rs. 60 lakh is spent and the Field Service organisation has on its rolls 2000 people on whom Rs. 30 lakh is spent. They are used to crowd the meetings of Congress leaders and disturb the meetings of opposition leaders. They are also used during elections. Tear gas was resorted to 143 times and acid was thrown on five women, five meetings were stoned and 2075 people were injured in them which also resulted in the death of 6 persons. This shows how disturbed are the conditions in Jammu and Kashmir. People were not even admitted to hospitals. I want that an inquiry be conducted by a Judge of the High Court so that whole truth may come to light.

I want to know definitely from Shri Y. B. Chavan, the Home Minister, whether the Hindus should continue living in Jammu and Kashmir or they should come out of it. If they stay on, are you prepared to guarantee their security. Did he give some assurance to them when he

visited Jammu and Kashmir on 3rd September, and if so, what that assurance was? Whether he has fulfilled those assurances? What is the condition of that unfortunate girl and where is she now? Is there some change in the policy of the Government in regard to Jammu and Kashmir? Now the policy of Russia regarding Kashmir is not what it was at the time of Khruschev.

When Shri G. M. Sadiq was not the Chief Minister of Kashmir he had advocated the abolition of Article 370 of Constitution. But now he says that this should not be done. I want to know the truth behind the message which the Prime Minister sent to President Ayub Khan on the completion of Mangla Dam. Even the Deputy-Prime Minister was stressing upon the necessity to improve relations with India. I want to know after all what do you want to do ? You are spending Rs. 16,000 on your guest in Delhi. Do you want to release Sheikh Abdullah and later on do you want to leave Kashmir? Are you not changing your stand on Kashmir question? The government committed some blunders. One was to agree for the partition of the country in 1947. Then you agreed to have linguistic States. Now please do not try to leave Kashmir after spending so much money there. This will be test case for the Congress Government. During the last general elections 26 persons were elected unopposed as the elections were gagged. There is no difference between the State of W. Bengal and Kashmir so far as the law and order situation is concerned. If you do not treat Kashmir in the same way as you treated West Bengal, it is because there is Congress Government in one State and a non-Congress Government in the other. Article 370 should be abolished and there should be President's rule in Kashmir.

The Government of J & K is responsible for the deteriorating law and order situation there. Many prominent Pakistani officials are visiting Kashmir and they are planning evil designs against this country. Similarly the Communist Party holds its secret meetings in that State. Some of those people who were arrested in 1965 for collaboration with Paskistan are now holding high offices there.

I want to know the fate of the foodgrains which we supply to Jammu and Kashmir. I think that a major portion of it is going to Pakistan. I also feel that there is some plan to link Islamabad with Aksai Chin. The Government is ignoring the tested leader of Ladakh, who is Kushak Bakula and they have brought a 16 years old boy as his rival.

I again want the abolition of Article 370 of Constitution. No mercy should be shown to Pakistan agents there and they should be cleared. The Hindu girl should be returned to her parents. The inefficient and guilty officers should atonce be transferred. A new enquiry should be held in regard to Kashmir Armed Police and anti-national elements should be weeded out of it. The Home Guards and Field Service Organisation should be abolished at once. The victims of August riots should be compensated. People of Jammu, Kashmir and Ladakh should be taken into services according to their population. I want that permission should be given to me to lay the documents which I mentioned earlier on the Table of the House.

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय को पता है कि सभा पटल पर पत्र रखने का एक नियम है। यदि वह रखना चाहते हैं तो मैं उनकी देख भाल करा लूंगा और बाद में अपना निर्णय दूंगा।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : मेरे विचार में काश्मीर की समस्या को हमें वहाँ के गत 20 वर्ष के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिये। यह समस्या एक ओर तो प्रकट करती है वहाँ की कमजोर सरकार को और दूसरी ओर उन गलतियों को जो यहाँ केन्द्रीय सरकार ने की हैं। जो व्यक्ति काश्मीर में घूमने जाते हैं उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि सरकार ने वहाँ के लोगों के कोई ठीक रोजगार तालाश नहीं किया हैं ? वहाँ लकड़ी तथा फलों के बगीचे लगाये जा सकते थे परन्तु दुर्भाग्य से यह कार्य किया नहीं गया और बेकार धन नष्ट किया गया है।

जन संख्या बढ़ने से अधिक पढ़े लिखे लोग बेकार हो रहे हैं और उनमें असंतोष फैला हुआ है। तथा वे सरकार के विरुद्ध हो गये हैं। श्री सादिक स्वयं वहाँ बदनाम हैं और वह लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कभी किसी समुदाय के लोगों की हिमायत करते हैं और कभी किसी समुदाय के लोगों की। श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी ने बताया कि किस प्रकार वहाँ 26 व्यक्तियों को बिना चुनाव लड़े ही सफल घोषित कर दिया गया। वहाँ कांग्रेस के ही उम्मीदवारों को इस प्रकार सफल घोषित किया गया।

भारत के विरुद्ध वहाँ जो नारे लगते हैं उनसे तो केवल वहाँ के कमजोर प्रशासन का ही पता चलता है। क्या कारण है कि वहाँ पर गत 30 वर्षों से हिन्दू तथा मुसलमान साथ-साथ प्यार से रहते थे परन्तु अब उनमें एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना पैदा हो गयी है। ऐसा दिखाई देता है कि सब समुदायों ने एक दूसरे पर ज्यादती की हैं। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने एक लड़की के कारण उत्पन्न हुए झगड़े का उल्लेख किया, वह मेरे विचार में केवल एक प्रशासनिक समस्या थी। इससे साफ दिखाई देता है कि सादिक सरकार वहाँ की समस्याओं को हल करने में असफल रहेगी।

जो व्यक्ति दो वर्ष पूर्व पाकिस्तान चले गये थे उनकी निष्ठा पर मुझे बड़ी आपत्ति है। मुझे तो स्पष्ट दिखाई देता है कि पाकिस्तान ने उन्हें ठीक प्रकार से अपना प्रचार करके गड़बड़ करने के लिये भेजा है। वहाँ भारतीय नेताओं के विरुद्ध नारे लगे और उन्हें बर्दाशत किया गया, इससे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि सादिक सरकार निष्क्रिय है।

वहाँ दो राज्यों की पुलिस ने भी सामुदायिक भावनाओं में बहकर ही कार्य किया। वहाँ के लिए एक अच्छे प्रशासन की आवश्यकता है जो वहाँ के समाज विरोधी तत्वों को दबा कर रख सके।

वहाँ एक स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसका समाधान हमें दलों के हितों से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन सुझावों को स्वीकार करेंगे।

Shri Amrit Nahata (Barmer): Kashmir is dear to us not because it is the queen of hills, not because it is part of India but because it is here that our cherished ideal of secularism has been reached and when attempts are made to shatter this haven of peace and communal harmony, it is natural for every secular and patriotic Indian to be resentful and indignant about it. Those elements who are responsible for fanning the fire of communal hatred and instigating violence and sabotage in the most sensitive part of India, viz. J & K. These trators are playing into the hands of our enemies across the border and giving them a big handle to intensify their anti-Indian propaganda. I do not know why a demand is made to impose President's Rule in J & K when it is well evident that such incidents are a part of nation-wide conspiracy to create communal disturbances and lawlessness. We would be playing into the hands of our enemies by conceding to this demand.

Many measures have been taken up to bring about complete fusion of the State with the rest of the country and it would take a little longer to abrogate Article 370 of the Constitution. Till then, we have to win over the hearts of our Kashmir bretheren by our love and Sincerity. I would as the end, once again appeal to my friends in the opposition to restrain themselves from fanning the fire of communal strife in the State.

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) : The Government have a tendency to live in a world of illusion as regards Kashmir is concerned. The actual conditions are deteriorating fast as has been depicted by Shri Shastri. The State Government have proved to be entirely incapable to control the situation but we are pained to see the Centre as a helpless spactator in the whole drama. The local administration has been paralysed completely. Kashmir today

looks like a Pakistani enclave more than a part of India. Everywhere posters can be seen having not only 'Pakistan Zindabad' but also 'Hindustan Murdabad'. Two Pro-Pak elements got killed in police firing and all prominent persons including the President of J & K Congress join in the protest meeting. Explosions take place in Assembly building but none is apprehended. A Deputy Minister of the State Government provides shelter to a persons warrants for the arrest of whom have been issued. How can you expect matters to improve when things have come to such a pass. I am sure the Home Minister is in the know of all these incidents and yet it is surprising why he is sitting pretty.

Shri N. Gopalaswami Ayangar had said as far back as in 1947 that "that particular State is not yet ripe for the some sort of integration as has been taken place in the case of other States", and that in due course it will become ripe for the same sort of integrations. In twenty years it is the country's security and unity which has fallen in jeopardy rather than Article 370 which has worn itself off. Today patriots like Kushk Bakula find themselves aliens in the State and Pak. elements have assumed the role of rulers of the State. It is therefore high time that Art. 370 is abrogated without further delay as our patience has now been exhausted. If we do not act now, we might have to repent later as the picture on political horizon is changing fast in the State to the deteriment of India's interest.

Shri Balraj Madhok, the President of All-India Jan Sangh was invited by the State Chief Minister himself to help in the restoration of law and order in the State. He said what every Indian felt and he said it is a forthright manner. All went well till the Pro-Pak. elements dubbed it in communal colours. These elements provoked communal frenzy in an otherwise peaceful communally harmonious atmosphere.

Jammu and Ladhakh regions are being discriminated against in the matter of employment and development. The Centre should take note of all these happenings with open eyes and an open mind and take immediate action to correct all these wrongs by abrogating Art. 370, imposing President's Rule by removing puppets and bringing about economic equality in all the three regions of the State.

श्रीमती सुशील रोहतगी (बिल्हार) : काश्मीर और वहाँ की स्थिति के बारे में हमें भावनाओं से ऊपर उठकर सोचना चाहिये। यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने की बात कही जाती है और अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात भी कही जाती है। किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि श्री सादिक के कारण ही हम अनुच्छेद 356 के द्वारा कार्यवाही करने की बात सोच सकते है। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ सादिक सरकार को हटाने की बात तो बार-बार सुनने में आती है। परन्तु काश्मीर विधान सभा में किसी भी विरोधी दल ने सादिक सरकार के प्रति अपना अविश्वास अथवा उनके दल के बहुमत के प्रति अपना संदेह व्यक्त नहीं किया। क्या वहाँ के राज्यपाल ने इसकी सिफारिश की है ? फिर राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कहने का क्या औचित्य है ? काश्मीर की स्थिति का मुकाबला पश्चिम बंगाल से नहीं किया जा सकता। बंगाल में न तो कोई सरकार थी न ही प्रशासन कार्य कर रहा था और न ही शान्ति अथवा व्यवस्था थी। हरियाना में राज्यपाल ने इसकी सिफारिश की थी। पता नहीं अचानक यह माँग क्यों की जा रही है। बिहार में भी दंगे हुये थे और दो दिनों में 150 लोग मारे गये थे वहाँ यह माँग क्यों नहीं की गई।

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारे यहाँ विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र कार्य कर रहा है। हमारी परम्परा पुरानी और महान है और हमें भावनाओं में बह कर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिये। मैं श्री शास्त्री जी से भी निवेदन करूँगी कि वह भय उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति फैलाने का यत्न न करें क्योंकि इससे सब से अधिक हानि मनोबल की गिरावट होती है जिससे देश की सुरक्षा को सब से अधिक धक्का पहुँचाता है। इसलिये मेरा शास्त्री जी से निवेदन है कि वह अपना प्रस्ताव वापिस ले लें।

Shri Gulam Mohammad Bakshi (Srinagar): Mr. Deputy Speaker; Some hon. Members have already expressed their views on Kashmir. I want to remove one misunderstanding in the first instance that whatever happened in Kashmir from 7th June to September, should not be measured with the yardstick of majority and minority angle because both the majority and minority communities have been living in complete harmony for thousands of years in Kashmir. They have been secular and will always remain secular. They have lived together and they can live together till eternity. Whatever happened there is not due to any feelings of communalism as alleged by Shri Prakash Vir Shastri and some other hon. friends. Neither Muslims have attacked Hindus nor Hindus have attacked Muslims. I, therefore, refute this charge with full force at my command. If anybody has died in Kashmir, it is due to police firing or lathi charge by Police. Kashmir has been a secular State. She is and shall remain a secular State. Kashmir has associated herself with India irrespective of controversies ;. she is tied with India and will always remain tied with India. There can be many reasons for controversies over Kashmir. An hon. Member here has suggested that by abrogating certain Articles everything would be alright. I have my own views in this regard, and that was why I had asked earlier for an oportunity to speak. With honesty and sincerity I would say that unfortunately the present day Government in Kashmir is not a popular Government. I am not saying this out of any grudge or rancour, when Shri Lal Bahadur Shastri had installed this Government in Kashmir in February, 1964 it was not a representative Government. This Government did not command popular support. Three years afterwards i.e. in 1967, the election came and the people expected that there would be free and impartial elections in Kashmir. They hoped that whatever Government would be in power, would be a Government of the people and a representative one and it would serve the State of Kashmir and discharge its responsibilities towards the people honestly. But what has happened? As stated by my hon. friend Shri Shastri, ten thousand Home Guards were put on duty in December much ahead of the elections. I wrote a lengthy letter to the hon. Home Minister requesting him that he should look into what was happening in Kashmir. I told him that the ruling party in Kashmir was disturbing public meetings held by opposition parties. We ourselves could not hold meetings. Wherever we hold meetings they were disturbing it and in this process not one or two but hundreds of our men were injured. I wrote myself to Shri Chavan in this connection. Afterwards the Election Commission announced and the Law Minister also announced in the Parliament that elections would be held in Jammu and Kashmir, in Jammu elections would be held alongwith other parts of the country and keeping in view the conditions prevailing in Kashmir elections would be postponed till the end of March, because that had been the schedule earlier also. But what happened? It was announced in a notification by the Election Commission as well as by the ruling party that elections would be held in Kashmir on 21st March and in Jammu on the 19th February alongwith Punjab. But the dates of election were deferred to April all of a sudden, against which we represented. The dates for Jammu and Kashmir were put together as against different dates fixed earlier. Election Commission afterwards decided that elections in Kashmir would also be held on the 21st February, when Kashmir hills was clad with snow 3, 4, 5, 6 feet deep. Then came the 21st January when nomination papers were to be filed and all the candidates filed their nomination papers. Nomination papers were submitted by us and also by other opposition parties and I want to point out that our 141 nomination papers were rejected on flimsy grounds which has been admitted by the Election Commission itself. Not a single nomination paper of the ruling party was rejected. That is the real position. Then we again approached the President, the hon. Prime Minister, the the Home Minister and other Central Ministers, placed all those facts before them. We demanded that the elections should be annuled or at least postponed due to this whole-sale rejection of nomination papers and inclement weather in Kashmir. But neither the elections were annuled nor postponed. I wrote a letter to Shri Chavan stating that such a thing was not expected from Government which had sacrificed everything for the sake of democracy in India. Shri Chavan wrote a letter to me which reads as follows :

"I have your letter No..... dated 7th January. I am forwarding a copy of this letter to Sadiq Saheb, with a request that he should look into your complaints personally and satisfy himself that nothing wrong or improper is done. I am very keen that the elections in Jammu and Kashmir, as in the rest of the country, should not only be fair, but should also appear to be so, and that nothing should be done that can be regarded as at all unfair and improper."

This is that Shri Chavan wrote to me. This gave us a ray of hope that there would be fair and impartial elections. But what happened? There were rejections of nomination papers. 26 persons were returned to the Assembly uncontested straightaway and thus the ruling party gained the strength of 26 and all the other things that followed are known to all. These are all open secrets, Ballot boxes were found broken and without lids and without seal and ballot papers without any account. We objected to it but nobody did anything or even cared for that. It was said that those ballot papers would be counted. Two persons were deputed by the Election Commission to go to Jammu and Kashmir to see what was going on in the State but with no instructions. They simply watched standing still like ghosts and expressed their helplessness to do anything in the matter. What happened in a particular constituency is further startling. 1185 ballot papers were found from a Ballot box of a polling booth, whose total number of voters was only 550. (Interruptions) Even then nothing was done. We met Dr. Karan Singh, the then Governor of Jammu and Kashmir, and all other authorities and also saw the President but ultimately we were told that the Law did not allow them to do anything. We were told that elections would not be annulled because if that was done the people in the world would say all sorts of things. We told the Government that we were dishonoured by that state of affairs in the eyes of the world.

It was said about India that elections were fair and impartial here. That is why the services of our Shiv Kumar Sen had been requisitioned for conducting election in Sudan and Egypt. But what is happening here? Shri Sundaram has himself said: "that the nomination papers of a large number of opposition candidates were rejected on flimsy grounds is serious." And he has further said :

"The difference in law is not satisfactory, and I intend recommending to the State Government that the State election law should be brought in line with the general election law on this point as soon as possible."

Shri Sundaram has called it a serious matter. We were advised to file election petitions. We replied "alright". When there is no other course left to us, that is the only remedy to file an election petition. That is the law of the country. We submitted ourselves to that situation. Now, Sir, there are 57 election petitions in so far as Kashmir is concerned. There were twelve petitions from Andhra Pradesh and all of them have been disposed of. There were 13 petitions from Haryana and out of them decision has been announced in 12 cases. In Maharashtra decision has been given in 20 cases out of 21 petitions. In Mysore decision has been given in 13 cases out of 21 petitions. Whereas in Jammu and Kashmir out of 57 election petitions, decision has been given in one case only. Now let me come to the real story. Election Tribunal was constituted. Shri Sundaram had said "change the law. Bring it on a par with the rest of the country-as early as February 67." The Legislative Assembly met in the month of March. The law was not passed in that session. What happened? The Tribunal was appointed under the old law. The Tribunal started its work and gave decision in one case. According to the schedule of the Tribunal, they should have given their decisions in 26 cases by the month of September, (**Interruptions**) what happened then? The verdict could have been given in the cases of 26 uncontested returns by September. They came to know in Kashmir Assembly that one member had been unseated because of uncontested return-rejection of nomination paper and 25 more will meet the same fate. Then they changed the law all of a suddden in one sitting of the Assembly. It was changed on the 9th September and Governor's assent was obtained on 10th September. The new law was enforced on the

11th and the Election Tribunal appointed by the Government was holding its sitting, when a peon reached there and said "you are no more an election tribunal, please go." This happened on the 11th September and immediately thereafter I approached Shri Chavan. After all where could we go? He is the doctor. We have to tell him the disease and it is his duty to diagnose it further. I again approached him and wrote a lengthy letter and explained him the circumstances under which that law was passed, the Election Tribunal was wound up like that in one day. I suggested that an **ad hoc** judges should be appointed immediately. He replied that he would do so at the earliest. This happened, perhaps, on 14th September. Now September, October and even November have passed. Nine months have passed since we filed our election petitions. Decision has been given only on one petition out of 57 petitions and if the same speed continues, it would take 10 years in disposing of these petitions, whereas decision has to be given within six months. The decisions have been announced in other States, in 20 cases out of 21 in Maharashtra and in 12 cases out of 15 in Haryana, but in the case of Kashmir which is said to be a special subject under Article 370, 380 and 390, I do not know what other subjects are included but no **ad hoc** judge has yet been appointed. There are now three permanent judges of the High Court. They are fully coccupied with their own work. They cannot do it. They have clearly told that.

If I talk of President's rule, it will not be acceptable to them. If I say that the minority government so formed there and against which there are so many petitions, should be dismissed, it will not be acceptable to them. Ksshmir is a special subject. Nine months have passed and four months, i.e. December, January, February and March, are left. I shall make a positive suggestion that all these petitions should be decided within these four months and let there be fresh elections in April 1968. More judges should be appointed who should be able to dispose of these cases quickly. I am not an extremist but it is my suggestion that immediate steps should be taken in that direction and 141 cases should be decided, particularly 41 cases pertaining to the elections for the Assembly by appointing judges. If those cases are decided by the end of March, 1968, fresh elections i.e. by-elections can be held in April, '68,

The aid being given to Kashmir has been referred to here. Kashmir is your poverty-stricken and small partner—you have rich parts like Bombay and Calcutta and poor like Kashmir, and as such aid will have to be given to Kashmir. Total grants and loans given to Kashmir from 1947 to March 1964 were of the order of 72 crores rupees whereas grants and loans granted to the new Government of Kashmir during two years from 1964 to 1966 amounted to Rs. 70 crores. I would like you to look into it. These figures, which I have quoted, have been taken from a statement of the Finance Department. Please show a bit of mercy on Kahsmir. Shri Patodia has made a constructive suggestion that you should win the faith of the people and provide them work and arrange for expansion of employment opportunities and industrial as well as agricultural development. But the position is quite different. Expenditure on general administration during 1962-63 was 61 lakhs of rupees but now after lapse of four years it has gone up to Rs. 1 crore 10 lakhs. The expenditure on police in 1963-64 was Rupees one crores but now it has gone up to 2.75 crores. This is the sort of expansion that has taken place in Jammu and Kashmir State. I am quoting it from the Kashmir Budget. At that time we used to spend 2 crores and 49 lakhs of rupees on industries. But the amount now spent on industries is only 49 lakhs of rupees. As a result the developmental activity has been considerably curtailed. Mr. Dange had gone there in connection with some labour matter. Now there are not more than 500 workers in our Silk Factory whereas previously 4 thousand persons were employed there. The production of cocoons has now come down from 60 thousand maunds to 10-12 thousand maunds—the workers are jobless for about 7-8 months. As such I urge that due attention should be paid to all these matters.

Secondly, I want to make a mention of Home Guards and Field Survey Organization. Just now, a reference was made about F.S.A.—on which more than 1½ crores of rupees are spent. If you are going to dismiss them.....

Mahant Digvijay Nath: Are they Hindus or Muslims?

Gulam Mohammad Bakshi: Both Hindus and Muslims are there. Now if you dismiss all these 10 thousand persons, it would create a new problem of unemployment. No doubt, it is desirable to weed out anti-national and anti-social elements among them and the rest should be absorbed and handed over to the Theatre Commander. You may tell them that the Centre gives a grant upto 90%for them and they have been recruited for the purpose of border defence; thereafter they should be posted on China and Paskistan borders. There is no necessity ot post them in Srinagar or Anantnag or Barahmula. What are they to do there? Therefore, my submission is that to dismiss them like this will be difficult. They should be engaged on the work for which they have been recruited and they should be straightway asked to perform those duties. They may be sent to Ladakh, Chushul, Kargil or posted on other border areas.

A reference was made here of the food situation. It was really alarming. During the period from 1957 to 1959, the foodgrains of all varieties including rice, maize, jwar, bajara, wheat etc. were supplied not more than 60 to 62 thousand tons. But in reply to a question of 1965-66 which I received yesterday, it has been stated that during the period of three years, foodgrains amounting to 5 lakh and 58 thousand tons were supplied. I urge that proper steps should be taken to find out as to how it has happened so.

A reference was made here by some hon. friend that foodgrains at cheaper rates are supplied to Kashmir. I would like to state here for the information of the House that foodgrains are supplied to Kashmir on the same prices on which these are supplied to other States. The Government of Kashmir certainly gives subsidy on foodgrains and not the Government of India. The Government of India had been subsidising upto 1957-58 and and now the Kashmir Government is doing this. Previously the Kashmir Government used to subsidise to the tune of Rs. 1,25,000 ; 1,75,000 and 2,50,000 rupees ; but now the amount of subsidy has been raised to Rs. 8 crores. Therefore, I feel that due attention should be paid to this matter.

Thirdly, I would like to bring it to the notice of the House that it was stated by Shri Sadiq in his policy statement that he believed in democracy. I would have stepped down from Premiership if there had been any case of firing. But it is not an easy job to give up power—no body is preapred to abdicate the authority he enjoys. You can seen how many times firings were resorted to there. We have got three things from this Government—the Indo-Pakistan Conflict in 1965—a very big gift. At that time our hon.friend Shri Chavan was present at Srinagar on 3rd August when he said;

> "There is no fear of infiltration and we have sealed the borders." On the 8th of August, in this very hon. house Shri Nanda announced that 12,000 infiltrators have reached Srinagar and they have surrounded Srinagar."

I do not want to go into its details, but it is a question of the policy of liberalization, I can say with authority that there was not even a single incident of firing on the people nor was there any single strike during my period—from 1953 to 1963. All such things started in 1964. Now, you may say that I am responsible for all this. It may be called Bakshi phobia.

I was saying that in 1965 we were gifted with Indo-Pakistan conflict and in 1966 there was police firing on Jammu students wherein certain persons were killed and the 1967 witnessed firing on both the Hindus and the muslims in Kashmir and section 144 was imposed there. So, the Section 144 has become a part of a statute of the Constitution of Kashmir. It is perpetual 144 since 1965 upto this time. And I may also submit for your information that Section 144 was not lifted even during the last general elections. We were arranging meetings only after obtaining permission and if it was granted we could hold the meetings and if permission was not granted we could not hold any meeting. It has become perpetual. Let me also say something about curfew. Where curfew is imposed in West Bengal, there is a great

hue and cry, but there had been complete curfew for 5 days in Kashmir and still night curfew is in force there—this is the state of affairs in the State today. You may say that I am aware of the difficulties of that Government. A friend here has said that if the demand for having President's rule in Jammu and Kashmir State is accepted, it will mean giving a handle to Pakistan. But, Sir, I am of the opinion that we gave a handle to Pakistan on the very day when 141 nomination papers were rejected and since then handle is constantly being given. I am worried about the fate of Democracy. Since there is not much time allotted to me I will not say anything more. However I have tried to draw a picture of the situation before you. I hope you would not have any difficulty in accepting my moderate and practical suggestions or otherwise your position will be as has been explained in a Persian couplet, which says that you may live for a thousand years and this position will aso continue for a thousand years. Neither you are going to do it nor we are going to have it.

I will conclude with the submission that Kashmir is with India, Muslims of Kashmir, Hindus of Kashmir, Hindus and Sikhs of Jammu and Buddhists of Ladakh, all are with India. Inspite of all those things they are Indians, they have been Indians and will remain Indians in future as well and they are not going to drift away from this.

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): I may differ with Mr. Bakshi but I agree with him on certain points. He has rightly stated that the allegation against the Kashmiris that they are Pakistani agents is quite wrong and too much insulting. In order to have a correct understanding of the Kashmir problem we should cast a glance over the history of Kashmir from where it will be evident that the statements made by certain friends are baseless. In 1938 it was decided to convert the Muslim Conference, organised by Sheikh Abdullah, Bakshi Gulam Mohammed and Gulam Mohammed Sadiq, into a National Conference. This decision was taken not as a result of any political pressure but on account of the fact that Kashmiris have all along believed in secular democracy. Secularism has been there in the very blood of Kashmirs. You will find that names of Kashmiri Muslims consist of Hindu names at the end and similarly Muslim names are added to the names of Hindu Kashmiris.

श्री एस० एम० जोशी पीठासीन हुए

SHRI S. N. JOSHI In the Chair

It would be better if such ideas that it has become very difficult for non-Muslims to live in Kashmir because of atrocities of Muslim community there, should be removed from the minds of people.

It would not be proper to plead that since a particular road has not been constructed or the elections have been rigged, President's rule should be imposed there. The demand for imposition of President's rule in Jammu and Kashmir would strangthen the hands of the enemies of Kashmir. It would do no good to the people of the State.

In Kashmir inter-caste marriages between people belonging to different communities has not been something uncommon. Many Muslim girls have been married to Hindu boys. We should not therefore, give a communal colour to the marriage of Parameshwari, a Hindu girl, with a Muslim. There is a certain circle of people which wants to divide the people by arousing communal feelings amongst them and to disrupt the peace in those places where people have been living peacefully and brotherly.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. DEPUTY SPEAKER In The Chair

Kashmiris had shown their mettle in 1947 and they have shown their mettle again at the time of aggression by Pakistan.

Shri Kanuwar Lal Gupta (Delhi Sadar). : Is it not a fact that slogans like 'Pakistan Zindabad,' and 'Ayub Zindabad' have been raised there ? It is a matter of shame but you are defending it.

उपाध्यक्ष महोदय: यह अच्छी बात है कि हमने सभी भाषण पूरे ध्यान से सुने हैं। पर श्री कुरेशी के भाषण में यदि माननीय सदस्य इस प्रकार अन्तर्बाधा डालते रहे तो बहुत मुश्किल हो जायेगी। गृह मंत्री अन्त में अपना भाषण देंगे, तभी माननीय सदस्य प्रश्न करें।

Shri Mohd. Shafi Qureshi : We should oppose such allegations of being Pakistani agents against those persons who have made sacrifices for the country. I have said this thing because of certain remarks made by Shri Prakash Vir Shsatri about the abduction of Hindu ladies in Kashmir.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): I have only stated that if you allow Kashmir to go out from the hands of India after having spent millions of rupees, you will be forgetting the fact that several people had laid their lives for the cause of Kashmir and several women were made widows.

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ और बख्शी साहब का समर्थन करता हूँ। न तो विरोधी पक्ष के और न हमारी तरफ के किसी सदस्य ने कश्मीर के मुसलमानों पर कोई आक्षेप लगाया है। यदि ऐसे आरोप का उत्तर दिया जाने लगा तो जनता में भ्रांति पैदा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने सभी भाषण ध्यानपूर्वक सुने हैं। मुख्य समस्या काश्मीर प्रशासन के बारे में हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ उसमें साम्प्रदायिकता की भावना को नहीं लाया जाना चाहिए।

Shri Mohd Shafi Qureshi : I have been surprised to hear that administration of Kashmir is not functioning properly and the funds have been diverted to other sides. The allegation that foodgrains sent to Kashmir were smuggled to Pakistan is not correct. Every inch of our border with Pakistan is well protected . The allegation of smuggling is an aspersion on the army.

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने माननीय सदस्य से कहा है कि वह इन पहलुओं का उल्लेख न करें।

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Our elder Members do not went to listen to me. I do not ask them to agree with me but as a Member I have the right to express myself. I am telling the bitter truth. Peace cannot be maintained in Kashmir by using force. If we want the people of Kashmir to realise that they are part of India we should create confidence in them that whatever decision was taken in 1947 is right.

श्री बलराज मधोक (दिल्ली दक्षिण) : मैं यह बात पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि काश्मीर उनके या अन्य किसी के कारण भारत का अंग नहीं है, वरन् काश्मीर भारत का अंग इसलिए है क्योंकि वहाँ हमारी सेना ने जाकर पाकिस्तान द्वारा अधिकृत अधिकांश भाग को उनसे मुक्त करा लिया और हजारों वर्षों से ऐतिहासिक तथा भौगोलिक दृष्टि से वह भारत का अंग रहा है। अतः माननीय सदस्य को ऐसा विचार न पैदा करने दिया जाये। यदि कोई काश्मीर में नहीं रहना चाहता तो वह उसे छोड़कर पाकिस्तान या अन्य कहीं जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: वह यह गलत धारणा पैदा कर रहे हैं कि भारत में मिल जाने के कारण काश्मीर भारत का अंग है। वह भारत का अंग इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोगों ने भारत में मिलने की राय प्रकट की थी। इसलिए वह अन्य बातों पर अधिक जोर न दें।

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी : 1947 में भारतीय सेना की सहायता लिये बिना ही काश्मीर वासियों तथा नेशनल कांफ्रेंस वालों ने पाकिस्तानी सेना तथा घुसपैठियों का मुकाबला किया था। इसलिए काश्मीर की जनता के बिना काश्मीर का अस्तित्व नहीं है।

Shri Mohd. Shafi Qureshi : I understand the reason of the angry feelings of Bakshi Saheb and Jan Sangh. It is Jan Sangh which has been routed out in elections in Kashmir. These friends of mine should not look into the Kashmir problem with coloured vision. In the end I would like to assure you that Kashmirs are Indians. We will shed the last drop of our blood for our motherland.

Shri S. M. Joshi (Poona) : We are facing a difficult situation in our country. We should, therefore, consider the Kashmir problem which is complicated, very carefully. This problem cannot be solved by taking some extreme steps.

There is no doubt that Kashmiri Muslims want to remain with India. Proper climate should be created and confidence infused in the people of Kashmir. An atmosphere in consonance with the spirit of Tashkent Declaration should be built up.

People of Kashmir are not behind the present State Government, A people's Government should be installed there. We should find out a political solution to the problem of Kashmir. Sheikh Abdullah, Bakshi Gulam Mohammed and Shri G. M. Sadiq should be taken into confidence.

Shri Yogendra Sharma (Vegusarai) : Kashmir is a chronic problem. We should try to solve it at a national level rising above party considerations.

Kashmir is an integral part of our country. It will remain so and any aggression on Kashmir will be strongly met by us.

Policies of the State Government, which has been thrust upon the people of Kashmir by the Central Government, are responsible for creating certain misgivings in the minds of the people of the State. We should try to win over the hearts of the people there.

It has been contended that crores of rupees are given to Kashmir. We should not grudge over the money being given for the development of that State who have made great sacrifices for Kashmir.

Jan Sangh should not encourage communalism. Differences should not be created between Hindus and Muslims.

Imposition of President's rule on Jammu and Kashmir is no solution to the problem. We should take such steps so that we may get rid of corruption in administration in the State.

श्री राममूर्ति (मदुरै) : यह वाद-विवाद काफी अच्छा रहा, इसलिए भी कि काश्मीर में चुनाव किस प्रकार हुए थे और चुनाव याचिकाओं का निपटान किस तरह किया जा रहा है इसका एक व्यापक चित्र श्री बख्शी गुलाम मुहम्मद ने खीचा है। इससे यह मालूम होता है कि वहाँ की वर्तमान सरकार लोकतंत्रात्मक पद्धति से निर्वाचित सरकार नहीं है। 1964 में जब हजरत बाल वाली घटना हुई थी और काफी गड़बड़ी हुई थी तो यह बताया गया था कि वह सब गड़बड़ पवित्र बाल की घटना के कारण नहीं हैं अपितु इस कारण है कि वहाँ की जनता शमशुद्दीन सरकार से बहुत नाराज है। श्रीनगर में लगातार 14 वर्षों से धारा 144 लगाई जा ही है। पैगम्बर के जन्मदिन को भी वहाँ के लोग धारा 144 के निषेधात्मक आदेश के कारण जुलूस नही निकाल सके थे। इसका क्या कारण है कि काश्मीर के लोगों को सामान्य लोकतंत्रीय अधिकार भी नहीं दिये जा रहे हैं ? वहाँ की जनता पर आप धारा 144 के आदेशों के सहारे ही शासन क्यों चलाना चाहते है ?

इस समस्या का एक हल यह सुझाया गया है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाये अथवा संविधान की धारा 370 काश्मीर में लागू कर दी जाये, आदि। यदि इन कार्यों के द्वारा

काश्मीर की समस्या हल ही हो सके तो मैं अवश्य ही उनकी सराहना करूँगा। इस बात के बावजूद कि 1964 तक उस राज्य को 70 करोड़ रुपये की अर्थ सहायता और उसके बाद और 72 करोड़ रुपये की सहायता दी जाती रही है, यह सत्य है कि सादिक सरकार अपना शमशुद्दीन सरकार अथवा उससे भी पहले की सरकार के शासन में वहाँ के लोगों के लोकतंत्रीय अधिकारों का हनन किया जाता रहा है। राष्ट्रपति का शासन लागू करने से लोगों को वह अधिकार नहीं मिल सकते। अतः राष्ट्रपति का शासन लागू करना समस्या का हल नहीं है।

यह कहना भी ठीक नहीं है कि काश्मीर की कोई समस्या नहीं है। यदि कोई समस्या नहीं है तो प्रतिवर्ष इसपर सदन में चर्चा क्यों की जाती है। वास्तविकता यह है कि समस्या है और वह केवल इतना कहने मात्र से हल नहीं हो सकती कि वहाँ संविधान पूरी तरह लागू कर दिया जाये। श्री मधोक समस्या को जिस प्रकार हल करना चाहते हैं उस प्रकार भी वह हल नहीं हो सकती कि यदि कोई यह समझता है कि वहाँ सुरक्षित नहीं है तो वह पाकिस्तान चला जाये। और न ही वह समस्या यह हिन्दुओं से यह कहने से हल हो सकती है कि आप इस बात का विश्वास रखें कि भारत के 40 करोड़ हिन्दू आपकी रक्षा के लिये हैं। इस प्रकार काश्मीर की हिन्दू जनता की रक्षा नहीं की जा सकती। उनका संरक्षण तभी संभव है जबकि हम कश्मीर की मुसलमान जनता से यह अपील करें कि अपनी उसी गैर-साम्प्रदायिक भावना की परम्परा को बनाये रखे जो कि उन्होंने 1947 में और पाकिस्तान के हमले के समय बनाये रखी थी और उसी गैर-साम्प्रदायिक भावना को लेकर वह शत्रु से डटकर लडे थे। हम आपकी रक्षा के लिये हैं कहने से तो साम्प्रदायिक भावना और भड़कती ही है, समस्या का कोई हल नहीं निकलता। मैं अपने मित्र की इस बात से सहमत हूँ कि यह समस्या स्वयं काश्मीर के नेताओं के परामर्श से ही ठीक प्रकार सुलझाई जा सकती है और मैं समझता हूँ कि उन नेताओं में शेख अब्दुल्ला का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह कहकर कि वह अब काश्मीर का नेता नहीं रहा आप काश्मीर की जनता के उसके प्रति स्नेह को कम नहीं कर सकते। काश्मीर की समस्या को हल करने का एकमात्र उपाय यही है कि वहाँ की जनता के विश्वास को जीता जाये और यह ध्यान रखा जावे कि कोई भी बाहरी शक्ति स्थिति का कोई लाभ न उठा पाये। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस आधार पर शीघ्र कार्यवाही करे।

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh): There is much truth in what many hon. Members have stated that the root of Kashmir problem is not so much the communal tension as is the economic situation there. If we think deep we would know that even the root of trouble caused to Kashmiri Pandits was economic. If we go into the history of Kashmir we would find that in 1931, when there was Maharaja's rule in Kashmir, the Kashmir people organised an agitation and demanded that economic disparity should be removed. A commission was set up which recommended for action to the taken for giving proper education and services in the State to the Muslim people. You might remember that when Gopalaswami Ayyangar was Prime Minister there he changed the laws of the State in order to extend the facilities of education and services to the Muslim people of the State. Even today when Kashmiri people are making some demands, they could be met through economic solution only. It is not proper to give it a communal shape. Hindu—Muslim disturbances have taken place not only in Kashmir but in other states also.

To day no one can deny it that there have been no communal riots in the area of Mirza Afzal Beg, through many of us do not agree with his views. In Hazratbal mosque 50 thousand Muslims took a vow that they would not allow any communal riots to take place in their area. Such forces should be strengthened to avoid communal disturbances.

Shri Prakash Vir Shastri criticized the Prime Minister for sending a message of greetings to President Ayub over Mangla Dam. But I may remind that this House approved the

proposal of giving money for Mangla Dam. By the construction of this dam some area in Punjab, Haryana and Rajasthan would get water. No misapprehension should therefore be created in regard to it.

But I would like to remind the Government of Kashmir and the Home Minister that when Section 144 was enforced there and Srinagar was under curfew 7000 permits were issued on that day. Such relaxations should not be permitted and the administration in Kashmir should be strengthened. But it does not mean that President's rule should be imposed there.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी): सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर भी विचार करना चाहिये था क्योंकि काश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ की समस्या पर पृथक से विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह बलपूर्वक काश्मीर को हथियाने की पाकिस्तान की चाल का एक अंग है। ताशकन्द संधि पर हस्ताक्षर के पश्चात् हमसे कहा गया था कि काश्मीर समस्या हल हो गई है और अब काश्मीर के बारे में कोई चर्चा नहीं की जायेगी। हमारी प्रधान मंत्री ने बाद में यह भी कहा कि काश्मीर अहस्तांतरणीय है। यदि ऐसा है तो फिर भूतपूर्व विदेश मंत्री श्री छागला ने 6 मई, 1967 को पाकिस्तान के विदेश मंत्री को ऐसा पत्र क्यों लिखा था जिसमें प्रस्ताव किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों पर जिसमें काश्मीर भी शामिल है बातचीत की जाये।

पाकिस्तान ने चीन के साथ करार किया है जिसके अंतर्गत चीन पाकिस्तान को 1200 लाख डालर के मूल्य के हथियार देगा। चीन इस करार पर 1968 से अमल करेगा। काश्मीर के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति अस्थिर रही है। अंग्रेज शासक काश्मीर के हिन्दू शासकों के साथ समझौते की बातचीत किया करते थे । हमारी सरकार भी उसी दुर्भाग्यपूर्ण नीति का पालन कर रही है। जनता की उपेक्षा करके कुछ व्यक्ति विशेषों से समझौते की बातचीत की जाती है। कभी शेख अब्दुल्ला को ऊपर उठाया जाता है, कभी बख्शी जी को और कभी सादिक को। काश्मीर आज संकट में है, यह संकट अन्तर्राष्ट्रीय ही नहीं आन्तरिक भी है । काश्मीर के मुसलमानों में अनेक पाकिस्तान-समर्थक हैं, वहाँ हिन्दुओं में भी कुछ साम्प्रदायिक भावना है । मेरा प्रस्ताव है कि एक सामान्य जाँच आयोग बैठाया जाय जो यह मालूम करे कि जम्मू और काश्मीर राज्य में इस प्रकार की गड़बड़ी फैलाने के लिये कौन उत्तरदायी है।

3 अगस्त, 1965 को हमारे गृह मंत्री ने जो उस समय प्रतिरक्षा मंत्री थे, श्रीनगर में कहा कि एक भी पाकिस्तानीघुसपैठिया श्रीनगर में नहीं आया है और सीमा पर सख्त रोक लगा दी गई है। 12 अगस्त, 1965 को तत्कालीन गृहमंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा ने इस सदन में ही वक्तव्य दिया कि 12,0000 पाकिस्तान घुसपैठिये राज्य में आ गए हैं और उन्होंने श्रीनगर को घेर लिया है। ये 1200 घुसपैठिये किस प्रकार घुस आये? क्या काश्मीर सरकार और आप सो रहे थे? ताशकन्द संधि के बाद आप वृद्धाओं की भाँति चिल्लाते और पाकिस्तान से प्रार्थना करते रहे कि वह घुसपैठिये को वापस बुला ले। वह क्यों बुलाता—राज्य में शान्ति-व्यवस्था रखना आपका काम था, आपको उन्हें खदेड़ बाहर करना चाहिये था। सरकार को इस बात की जाँच करनी चाहिये कि यह किस प्रकार सम्भव हुआ। जिस प्रकार राँची और गोरखपुर आदि में हुए साम्प्रदायिक झगड़ों की जाँच करने के लिए आयोग नियुक्त किया है उसी प्रकार जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में भी जाँच कराई जानी चाहिये। यह जाँच कार्य सरकार के ऊपर नहीं छोड़ा जाना चाहिये, केन्द्रीय सरकार को स्वयं जाँच करानी चाहिये क्योंकि वर्तमान काश्मीर सरकार के बारे में अनेक संदेहास्पद बातें हैं। बख्शी जी ने चुनावों के बारे में कुछ आरोप लगाये हैं।

केन्द्रीय सरकार को उन आरोपों की भी जाँच करानी चाहिये। जहाँ कहीं भी पाकिस्तान-समर्थक तत्व मिलें उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण किया जाना चाहिये अन्यथा जम्मू तथा काश्मीर राज्य में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती।

Shri Mahant Digvijai Nath (Gorakhpur): There is a collusion between Paskistan and China in regard to Kashmir and to harm India and Pakistan is also being backed by Britain and America. It is they who are inciting communal riots in Ranchi, in Gorakhpur and in Jammu and Kashmir. In 1947 a Muslim State was formed with the division of the country. Though the other State should have automatically been a Hindu State but is was called a secular State. The national feelings of Hindus were termed as communal which lowered our morale and encouraged the foreign elements. Who are the nationalists if the Hindus living in the country are not? A muslim can also be a nationalist if the recognizes this country as his fatherland and motherland and has no extra-territorial activities. The Congress Government had committed a great mistake in not setting the refugees in Kashmir after the division of the country. Had they been settled there there would have been no problem of minority people in Kashmir today. Muslims expelled by China from Sinking are being settled in Kashmir. Why it is so, when people from other parts of the country are not allowed to settle there. Besides this there is one more law in Kashmir under which we cannot purchase any property etc. there but they can come here and purchase whatever they like.

Shri J. B. Kripalani (Guna): Since the very beginning we had been following a wrong policy in regard to Kashmir. The Constituent Assebly of the State ratified the Kashmir's accession to India but even then our leaders said that "it is not complete, it is without prejudice to our promise of plebiscite." Our Government is at mistake when they think that the whole problem would be solved by appointing this man or that man as Prime Minister or Chief Minister of the State. They had a great faith in Sheikh Abdullah and whatever he wished was done by them. When things did not run smoothly Bakshi Gulam Mohammed was appointed in his place and now we find another man there. Thus they made one Chief Minister after another. Sheikh Abdullah and Bakshi Gulam Mohammed had their roots in the masses but the present Chief Minister had no link with the people. It is not understood as to why he has been made the Chief Minister.

PSP wanted to have a branch there. My opinion was that there was no need of it but Ashoka Mehta did not agree. They opened a branch but could not succeed. I have not gone to Kashmir after 1946. This time I had an idea to go there after 20 years and I wrote to the workers of Gandhi Ashram and they advised me not to go there. We also lost a big man there, Shyama Prasad Mukherjee. In fact that is still a native State.

Large sums of money are being given to Kashmir. We do not know in what manner that money is being utilized. Rice is being sold — 6 annas a kilo in Kashmir while in other parts of the country it is not available even — Rs. 1.50 per kilo. Education upto university level is free in Kashmir while in other parts of the country it is not. Such a bribery would not solve the problem of Kashmir. It is not correct to say that there is no communalism in Kashmir. If there is no communalism, how could 12,000 infiltrators come there. There are many Pakistani agents in the State. It might also be possible that some of them are working in the Indian Army. Now the question comes how this feeling of commulaism should be countereacted. The only solution is that people from other States should be settled there. The money we spent over Kashmir should be utilized for the benefit of the people there and steps should be taken to remove the poverty from the State. This problem is going to be solved by imposition of President's rule in the State. Poverty of the masses, economic difficulties of the people should be removed. Social reformers and constrive workers from other States should go there and serve the people for bringing social reforms. Bakshiji was correct in saying that there is no democracy in the States. Steps should be taken to see that real democracy is established there. The funds should be utilized properly and for the benefit of the common

man. First class administrators from other parts of the country should be sent to Kashmir. Kashmiri people should be provided job in other parts of the country also. If these steps are taken I am sure the Kashmir problem would be solved.

गृह-कार्य मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण: श्री प्रकाश वीर शास्त्री का यह प्रस्ताव वास्तव में, काश्मीर में घुसपैठियों के प्रवेश से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे में पड़ जाने के कारण जो स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो गई है उससे सम्बन्ध रखता है। सभी बातों का उत्तर देना तो मेरे लिये सम्भव नहीं है किन्तु जो मूल बात मैं कहना चाहता हूँ वह श्री प्रकाशवीर शास्त्री और बक्शी गुलाम मुहम्मद द्वारा उठाये गए मामलों से सम्बन्ध रखती है। श्री शास्त्री ने मुझसे पूछा है कि जब मैं पण्डित आन्दोलन के समय काश्मीर गया था और वहाँ पर जो मैंने आश्वासन दिए थे उनके सम्बन्ध में मैंने क्या कार्यवाही की। पहला अश्वासन तो मैंने यह दिया था कि आन्दोलन के दौरान पुलिस द्वारा की गई ज्यादितयों की जाँच मेरे द्वारा नामनिर्दिशेति एक व्यक्ति करेगा। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि केन्द्रीय गुप्तचर ब्यूरो के निर्देशक, श्री कोहली को मैंने इस प्रयोजनार्थ नामनिर्देशित कर दिया है और यह नामनिर्देशन काश्मीर के मुख्य मंत्री ने स्वीकार कर लिया है।

जहाँ तक आर्थिक असंतुलन, रोजगार आदि के असन्तुलनों के प्रश्न का सम्बन्ध है, इस प्रश्न की छानबीन करने के लिये एक समिति नियुक्त कर दी गई है, जिसके अध्यक्ष श्री गजेन्द्रगडकर होंगे और उनके दो सहयोगी उनकी इस कार्य में सहायता करेंगे।

एक हिन्दू लड़की के साथ एक मुसलमान सज्जन के विवाह के प्रश्न पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि यह मामला न्यायाधीन है।

चुनावों के बारे में, आरोप लगाये जाने के बाद चुनाव आयुक्त के प्रतिनिधि काश्मीर गए और उन्होंने सुझाव दिया कि यदि काश्मीर के चुनाव सम्बन्धी कानून को भी भारतीय कानून जैसा ही बना दिया जाये तो यह श्रेयस्कर होगा। स्वाभाविक है कि वह चुनावों के दौरान नहीं किया जा सका किन्तु चुनावों के तुरन्त बाद यह काम हाथ में ले लिया गया। सितम्बर में एक संशोधन करने वाला विधेयक पास कर दिया गया और अब सभी मामलों में खास तौर पर चुनाव याचिकाओं के सम्बन्ध में काश्मीर का चुनाव कानून भी अखिल भारतीय चुनाव कानून जैसा बना दिया गया है।

चुनाव कानून में संशोधन करने के बाद हमने हाल ही में काश्मीर सरकार से कुछ सुझाव प्राप्त किए थे और राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये हैं। ये तदर्थ न्यायाधीश होंगे। ये केवल चुनाव याचिकाओं को ही निबटायेंगे या दूसरा सामान्य न्याय सम्बन्धी कार्य भी देखेंगे, इसके बारे में मैं नहीं जानता।

यह कहना तो बड़ा मुश्किल है कि काश्मीर में साम्प्रदायिकता बिल्कुल नहीं है किन्तु एक बात माननी होगी कि जब भारत के अन्य भागों में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे थे तब, हालाँकि काश्मीर में भी साम्प्रदायिक भावनायें थीं, लेकिन वहाँ पर हिन्दू और मुसलमानों के बीच एक भी साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ। काश्मीर के लोगों में एक भावना अवश्य है। वे अपने आपको अल्पसंख्यक महसूस करते हैं। जम्मू में जो हिन्दू है वह सोचता है कि काश्मीर में वह अल्पसंख्यक है और काश्मीर में जो मुसलमान है वह सोचता है कि वह जम्मू में अल्पसंख्यक है। यह बड़ी विचित्र भावना वहाँ पर मौजूद है। इसलिये उनकी समस्या को आसानी से हल नहीं किया जा सकता।

श्री सादिक धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। वे एक उदार व्यक्ति हैं और लोकतंत्र में उनकी आस्था है। ताशकन्द घोषणा के बाद काश्मीर सरकार ने लगभग 35 जासूसी अड्डों को खत्म किया और बहुत से लोगों को जासूसी करने के अपराध में गिरफ्तार किया। कुछ गैर कानूनी हथियार जो काश्मीर के विभिन्न भागों में दबे हुए थे उनका भी पता लगाया गया और उन्हें जब्त कर लिया गया। कुछ मुकदमे भी चलाये गए हैं। जहाँ तक राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, श्री सादिक ने भी इसमें पूरी दिलचस्पी दिखाई है। इसका श्रेय काश्मीर की वर्तमान सरकार को ही प्राप्त है। काश्मीर सरकार की जो भी गलतियाँ रही हों किन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने विकास के बारे में कुछ नहीं किया है। सादिक सरकार ने निस्सन्देह महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं और ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है।

मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि काश्मीर समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका यही है कि हम वहाँ के लोगों के पास जायें। अन्ततः हमें लोगों के पास जाकर उनके दिलों को जीतना होगा। यदि उनमें देशभक्ति का अभाव है तो हमें उनके साथ काम करना होगा, उनमें मित्रता की भावना फूंकनी होगी और उनका भारत के भविष्य में विश्वास पैदा करना होगा।

काश्मीर में शान्ति बनाये रखने में श्री सादिक का जो योगदान है, वह हमें स्वीकार करना होगा। 1965 में जब काश्मीर में भारी खतरा पैदा होगया था, जब घुसपैठिये भारी संख्या में कश्मीर में घुस आये थे उस समय श्री सादिक ने बड़े शानदार तरीके से कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभाले रखा।

यदि काश्मीर में कुछ राष्ट्र-विरोधी तत्त्व मौजूद हैं तो हमें उनके साथ दृढ़तापूर्वक निबटना होगा। किन्तु थोड़े से इस प्रकार के लोगों को देखकर हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिये और यह नहीं सोचना चाहिये कि वहाँ पर सभी लोग इस प्रकार के ही हैं।

काश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सुझाव को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

काश्मीर में सर्वोत्तम प्रशासकों को भेजने के बारे में भी कहा गया है। ये काम पिछले दो वर्षों से बराबर किया जा रहा है। सादिक सरकार सर्वोत्तम अधिकारियों को ही चुन रही है। हम वहाँ पर अधिकारियों को नहीं भेजते हैं। सादिक सरकार ही सर्वोत्तम अधिकारियों की माँग करती है और अच्छे अधिकारियों का उन्होंने हमेशा स्वागत किया है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : If we deliberately become blind to the threat to our national security, then there is no necessity of advancing all these arguments and discussing it at such a length but if the Government takes this threat seriously, then it must try to take this threat at a national level, rising above party considerations.

It is regrettable that nomination papers in the last election in Jammu and Kashmir were rejected on flimsy grounds. The nomination paper of Shri Sham Lal Saraf had been rejected on the ground that he had not taken the oath in the presence of the presiding officer.

I am prepared to accept full responsibility for every word that I utter here on the floor of this House. It is true that for the last 30 years there had never been any communal clash between Hindus and Muslims prior to the incident that took place in August, 1967. But the Deputy Minister in the Ministry of Commerce tried to give a different colour to this entire discussion. He went to the length of saying that if we wanted to win the hearts of the people of Kashmir, we should provide them facilities to get employment in other parts of the country and there should be no restrictions on the movement of the people of Kashmir. I fail to understand as to what he means by saying so. Do the people of Kashmir not enjoy the

facility of employment? I do not want to stress this point any further but would say that such statements by a responsible member of the Government go a long way to create a very wrong impression.

The Home Minister had given certain assurances to the people of Kashmir when he visited that State in September. He should have been courageons enough to say that Parmeshwari would be kept in the custody of some neutral persons till the Court decides the case.

We also do not want that the President's rule should be imposed in any part of the country. But in Jammu and Kashmir a grave situation has developed now. The security of the people there is in danger. It is feared that an atmosphere which may be taken advantage of by Pakistan is being created. This being the state of affairs, it is high time for the Home Minister to give a serious thought to this problem. If he did not take steps to tackle the situation, posterity would not forgive him.

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 1 दिसम्बर, 1967/10 अग्रहायण, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock December 1, 1967/ Agrahayana 10, 1889 (Saka).

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Allahabad.